लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

28 मार्च, 1972 । 8 चैत्र, 1894 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
20	पंक्ति 2 में "भाग न लेने" के स्थान पर "भाग लेने" पढ़िये।

विषय सूची/CONTENTS

अंक 12, मंगलवार, 28 मार्च, 1972/8 चैत्र, 1894 (शक)

No. 12, Tuesday, March 28, 1972/Chaitra 8, 1894 (Saka)

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
यूगोस्लाविया के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत	Welcome to Yugoslav Parliamentary Delegation	...	1
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	...	1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

161. डाकुओं द्वारा यवत रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) का लूटा जाना	Looting of Yevat Railway Station (Central Rly.) by Dacoits	...	2—3
163. मोटे तथा मध्यम दर्जे के कपड़े की कीमतों में कमी	Reduction in Price of Coarse and Medium Cloth	...	3—5
164. गत भारत पाकिस्तान युद्ध में हताहत हुए रेलवे कर्मचारियों के लिए सहायता उपाय	Relief Measures for Railway Employees killed or injured during last Indo-Pak War	...	5—6
165. दीमापुर और रंगपहाड़ स्टेशनों (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के बीच रेलवे लाइन के निकट प्लास्टिक बम का पता लगना	Detection of a Plastic Bomb near Railway Track between Dimapur and Rangapahar Stations on North East Frontier Railway	...	7—8
168. रेलवे के टिकटों में रियायत के लिए आल इंडिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गेनाईजेशन का अनुरोध	Request for Railway concession Tickets by 'All India Federation of University and College Teachers Organisation'	...	9—10
173. अभ्रक व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Take-over of Mica Trade	...	10—12
174. रेलों में खाने पीने की वस्तुओं की दरों में वृद्धि	Increase in Catering Charges on the Railways	...	12—15
176. ब्रिटेन को तम्बाकू निर्यात करने वाले भारतीयों के हितों की सुरक्षा	Safeguarding Interests of Indian Tobacco Exporters to U. K.	...	15—16

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
177. राजस्थान नहर के लिए आबंटित बजट में से धन का उपयोग	Utilisation of budgeted Money for Rajasthan Canal	...	16—18
179. काण्डला निर्बाध व्यापार क्षेत्र परियोजना	Kandla Free Trade Zone Project	...	18—19
180. अमरीका द्वारा एशिया-72 व्यापारिक मेले में भाग न लेना	Non Participation of USA in Asia-72 Trade Fair	...	19—21

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
162. केरल में समुद्री कटाव को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण	Funds for Construction of Anti Sea Erosion Walls in Kerala	...	21
166. दस्तकारी संबंधी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर कार्यवाही	Action on Report of Study Team for Handicrafts	...	21—22
167. सूती कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता	Per Capita Availability of Cotton Cloth	...	22
169. एल्युमीनियम संयंत्र के उपकरणों की सप्लाई के लिए भारत रूस करार	Indo Soviet Agreement for Supply of Equipment for Aluminium Plant	...	23
170. महाराष्ट्र में बिजली की कमी	Power Shortage in Maharashtra	...	23—24
171. उड़ीसा राज्य की सिंचाई क्षमता	Irrigation Potential of Orissa state	...	24—25
172. अफगानिस्तान के साथ व्यापार का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाना	Handling of Trade with Afghanistan by STC	...	25
175. दक्षिण गुजरात में रेलवे में सुधार	Improvement of Railways in South Gujarat	...	25
178. केरल और गुजरात में समुद्री कटाव रोकने के कार्य के लिए मास्टर प्लान	Master Plan for anti sea Erosion work in Kerala and Gujarat	...	26
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
1246. मध्य प्रदेश के लिए सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी	Sanction of Irrigation Projects for Madhya Pradesh	...	27
1247. स्टोर डिपुओं द्वारा एर्नाकुलम और त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशनों को सामान की सप्लाई	Service of Ernakulam and Trivandrum Stations by Store Depots	...	27—28

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1248.	पूर्व रेलवे के मेरल, गढ़वा, रमना, स्टेशनों के लिए पेय जल	Drinking Water for Meral, Garhwa, Ramna Stations (Eastern Railway) ...	28
1249.	दिल्ली से रेवाड़ी तक यात्री गाड़ी चलाया जाना	Introduction of a Passenger Train from Delhi to Rewari ...	28—29
1250.	दिल्ली रेवाड़ी मीटर गेज रेलवे लाइन (उत्तर रेलवे) को दोहरा करना	Doubling of Delhi-Rewari Metre Gauge Railway Line (Northern Railway) ...	29
1251.	अजमेर और पालनपुर स्टेशनों के श्रमिक ठेकेदारों द्वारा कम संख्या में श्रमिक सप्लाई करना	Inadequate Supply of Labour by Labour Contractors of Ajmer and Palanpur Stations ...	29—30
1252.	रेलवे में यूनियनों का श्रेणीवार गठन	Formation of Category-wise Unions on Railway ...	30
1253.	कमशियल क्लर्कों की संख्या में वृद्धि	Increase of Commercial Clerks ...	30
1254.	डीजल, भाप तथा बिजली से चलने वाले इंजनों के चालकों की उपयुक्तता	Suitability of Drivers working in Diesel Steam and Electric Locomotives ...	31
1255.	दोहद रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर पैदल ऊपरी पुल का विस्तार	Extension of Foot over bridge at Dahod Railway Station (Western Railway) ...	31
1256.	पश्चिम रेलवे में योग्यता प्राप्त लेखापालों की ऊँचे वेतनमान में पदोन्नति	Promotion of Qualified Accountants in Higher Scale of Pay (Western Railway) ...	31—32
1257.	घाटे में चल रही जोनल रेलवे	Zonal Railways Running at Loss ...	32
1258.	देश में अति गरीब जिलों का सर्वेक्षण	Survey of Poverty stricken Districts in the country ...	32—33
1259.	मध्य प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम	Flood Control Programme in Madhya Pradesh ...	33
1260.	पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in West Bengal	34
1261.	पश्चिम रेलवे में बोरीवली में न्यू रूट रिले इंटरलाकिंग सिस्टम आरम्भ करना	Operation of New Route Relay Interlocking System at Borivli (Western Railway) ...	35
1262.	मंडल अधीक्षक कार्यालय, इलाहाबाद (उत्तर रेलवे) के यात्री टिकट परीक्षक (टी० टी० ई०) द्वारा झूठे यात्रा भत्ता बिल पेश करना	Bogus Travelling Allowance Bills by T. T. E. of D. S. Office, Allahabad (Northern Railway) ...	35—36
1263.	पटसन के निर्यात में कमी	Fall in Export of Jute	36

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1264.	इलाहाबाद डिवीजन में साईडिंग्ज के साथ किये गये करार को क्रियान्वित न करने के कारण रेलवे को हुई वित्तीय हानि	Financial loss to Railways due to non-execution of agreement with sidings (Allahabad Division) ...	36—37
1265.	निर्यातोन्मुखी सूती कपड़ा मिलों की वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Export-oriented Textile Mills ...	37—39
1266.	केन्द्र द्वारा रबड़ की खरीद	Purchase of Rubber by Centre ...	39
1267.	कच्चे काजू के वितरण के बारे में शिकायत	Complaint *re :* Distribution of Raw Cashew Nuts ...	39—40
1268.	केरल के हथकरघा उद्योग का पुनर्गठन	Reorganisation of Kerala Handloom Industry ...	40—41
1269.	उच्चतम न्यायालय के अनिर्णीत मामलों के निबटारे के बारे में विधि आयोग का प्रतिवेदन	Report of Law Commission Regarding disposal of arrears in Supreme Court ...	41
1270.	काकद्वीप में कपास बेलने का कारखाना लगाना	Cotton Ginning Mill at Kakdwip ...	41
1271.	रेल गाड़ियों में यात्रियों को पहले से पका और पहले से पैक आहार सप्लाई करना	Supply of pre-cooked and pre-packed Food to Passengers in Trains ...	42
1272	टैरिफ आयोग के कार्यकरण में सुधार	Improvement in Working of Tariff Commission ...	42
1273.	राज्यपालों के लिए रेलवे के विशेष सैलून	Special Railway Saloons for Governors ...	42
1274.	भीलवाड़ा का विद्युतीकरण	Electrification of Bhilwara ...	43
1275.	उत्तर रेलवे की मीटर गेज रेल गाड़ियों में स्लीपर कोचों की संख्या में वृद्धि	Increase in Number of Sleeper Coaches in Metre Gauge Trains of Northern Railway ...	43
1276.	सस्ते दामों पर मेवे उपलब्ध करने के उपाय	Steps to make Dry Fruits available at Cheaper Rates ...	43—44
1277.	सिंचाई कार्यों को वित्तीय सहायता देने हेतु संसाधनों की वृद्धि करने के लिए सिंचाई उपकर	Irrigation cess to raise resources to finance Irrigation Works ...	44—45
1278.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को गए अध्ययन एवं विक्रय दल की रिपोर्ट	Report of Study-cum-sales Team to EEC ...	45

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1279. जापान का दौरा करने वाले अध्ययन तथा बिक्री दल का प्रतिवेदन	Report of Study cum sales Team to Japan ...	45
1280. पटना सिटी रेलवे स्टेशन में विश्राम कक्षों और शयन कक्षों की उपलब्धता	Adequacy of Retiring and Dormitary Type of Rooms at Patna City Railway Station ...	45
1281. पटना सिटी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण दौरा	Inspection visit of Patna City Railway Station ...	46
1282. उद्योग गृहों को जारी किये गए निर्यात लाइसेंस	Export Licences issued to Industrial Houses ...	46
1283. विभिन्न कम्पनियों को आयात लाइसेंस जारी करना	Impoit Licences issued to various concerns ...	46—47
1284. पूर्व रेलवे के गढ़वा और गढ़वा रोड स्टेशनों के लिए माल डिब्बों का कोटा	Wagon quota for Garhwa and Garhwa Road Stations (Eastern Railway) ...	47
1285. पूर्व रेलवे के बाल हाई स्कूल, खागौल (दानापुर) का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Eastern Railway Boy's High School, Khagaul (Dhanapur) ...	47—48
1286. रेलवे कर्मचारियों के पुत्रों और आश्रितों के लिए सेवा के अवसर	Seavice Opportunities to Sons and Dependents of Railway Employees ...	48
1287. स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति के अवसर	Channel of Promotion of Station Masters/Assistant Station Masters ...	48—49
1288. विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Trade ...	49
1289. फतहपुर रेलवे स्टेशन पर जलपान गृह ठेकेदार द्वारा जमानत की राशि जमा करना	Deposit of Security Money by Refreshment Room Contractor at Fatchpur Railway Station ...	49—50
1290. भारत और उत्तरी कोरिया के बीच व्यापार	Trade between India and North Korea ...	50
1291. विभिन्न विधि न्यायालयों और संबंधित विभागों को कानून का हिन्दी पाठ देना	Supply of Hindi Texts of Laws to various Law Courts and concerned Departments ...	50—51
1292. गुजरात में हाल ही के विधान सभाओं के चुनावों में प्रयोग में लाए गए मतपत्रों के डिजाइन में परिवर्तन	Change in design of Ballot Papers used in recent Assembly Elections in Gujarat ...	51
1293. गुजरात में बाढ़ के पानी से रेल की पटरी की सुरक्षा	Safety of Track from flood Waters in Gujarat ...	51—52

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1294.	सिंचाई आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Irrigation Commission ...	52
1295.	तम्बाकू के निर्यात के लिए बीजक जारी करने की प्रक्रिया	Mode of Issuing invoices for tobacco Exports ...	52
1296.	तम्बाकू की विपणन पद्धति	Mode of Tobacco Marketing ...	52—53
1297.	निर्यात नीति संबंधी संकल्प का क्रियान्वयन	Implementation of Export Policy Resolution ...	53—54
1298.	बदरपुर से लुमिडिंग तक रात में गाड़ी का चलाया जाना	Introduction of a Night Train from Badarpur to Lumding ...	54
1299.	उठाईगीरी और चोरियों की घटनाओं को रोकने में रेलवे सुरक्षा पुलिस की असमर्थता	Inability of Railway Protection Force to curb incidence of Pilferage and thefts ...	54
1300.	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के लिए एक अलग सचिवालय स्थापित करना	Setting up of an Independent Secretariat for Central Electricity Authority ...	55
1301.	जामनगर को बड़ी रेल लाइन द्वारा जोड़ा जाना	Broad Gauge Line connection for Jamnagar ...	55
1302.	चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे विद्युतीकरण में कमी	Shortfall in electric traction during Fourth Plan ...	56
1303.	रेलवे वर्कशापों के लिए प्रोत्साहन बोनस योजना	Incentive Bonus Scheme for Railway Workshops ...	56
1304.	दरभंगा सकरी निर्मली और सकरी जयनगर रेलवे लाइनों को बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित करना	Darbhanga Sakri Nirmali and Sakri Jayanagar Lines conversion to Broad Gauge ...	57
1305.	दरभंगा से पटना तक एक्सप्रैस रेल सेवा चालू करना	Introduction of Express Rail Service from Darbhanga to Patna ...	57—58
1306.	विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा किये गये अनेक अध्ययनों पर की गई कार्यवाही	Action on various studies conducted by Foreign Trade Ministry ...	58
1307.	किसानों को सिंचाई के पानी की सप्लाई	Supply of Water to Cultivators for Irrigation ...	59
1308.	निर्यात निष्पादन के लिए पुरस्कार	Prizes for Export Performance ...	59—60
1309.	निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशों में प्रशिक्षण हेतु भेजे गये मैनेजर	Managers sent abroad for Training in Export Promotion ...	60—61
1310.	आर्थिक संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए विशेष एजेंसी	Special agency for Financial Assistance to sick Textile Mills ...	61

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1311. उच्च न्यायालय के अनिर्णीत मुकदमों संबंधी समिति की सिफारिशें	Recommendations of High Court Arrears Committee ...	61—62
1312. राज्य व्यापार निगम में भ्रष्टाचार की शिकायतें	Complaints of Corruption in State Trading Corporation ...	62
1313. दिल्ली चारकोल इंपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बारे में जाँच	Enquiry into Strike of Delhi Charcoal Importers Association ...	62—63
1314. विधान संबंधी विभाग तथा राज भाषा (विधायी) आयोग में सुपरिंटेंडेंटों के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व	Representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes on Posts of Superintendents in Legislative Department and Official Language (Legislative Commission) ...	63
1315. रेलवे के यात्री यातायात में वृद्धि	Increase in Passenger Traffih on Railways ...	64
1316. बम्बई इलाहाबाद और बम्बई झांसी पेसेंजर गाड़ियों में चोरी तथा जंजीर खींचने की घटनाओं में वृद्धि	Increase in cases of Theft and Chain Pulling in Bombay-Allahabad and Bombay-Jhansi Passenger Trains ...	64—65
1317. कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills ...	65—66
1318. डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी का लाभ तथा हानि लेखा तथा इसके द्वारा अदा किया गया परामर्श शुल्क	Profit and Loss Account of and Consultants F Paid by Diesel Locom tive Works, Varanasi	66
1319. बालागंज स्टेशन (पूर्वी रेलवे) को दूसरा टर्मिनल स्टेशन बनाना	Ballygunge Station as Second Terminal Station (E. R.) ...	67
1320. पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का निर्माण कार्य	Construction of Western Kosi Canal Project ...	67
1321. बागमती नदी परियोजना की क्रियांविति में प्रगति	Progress in Execution of Bagmati River Project ...	67
1322. बाणसागर बाँध परियोजना के बारे में निर्णय	Decision on Bansagar Dam Project ...	67—68
1323. रेलवे बोर्ड के सदस्यों और अतिरिक्त सदस्यों के अधिकार और कृत्य	Powers and Functions of Members / Additional Members of Railway Board...	68
1324. राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् रेलवे का पास जारी करना	Issue of Retirement passes to Gazetted and non-Gazetted Officers ...	68—69
1325. अंक्टाड के अंतर्गत प्राथमिकता की सामान्यीकृत योजना का क्रियान्वयन	Implementation of GSP under UNCTAD ...	69—70

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1326.	रुई कनवर्शन योजना	Cotton conversion scheme ...	70
1327.	रुई कन्वर्शन योजना के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत	Negotiation with other countries for Cotton Conversion Scheme ...	70—71
1328.	कारुत डिंडीगल से मदुरे के लिए बड़ी रेलवे लाइन और मदुरे मनियाबी से तूतीकोरन (दक्षिण रेलवे) लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना	Survey for new broad gauge line from Karut Dindigul to Madurai and conversion to broad gauge line from Madurai Maniyachi to Tuticorin (Southern Railway) ...	71
1329.	रेल गाड़ियों में श्रेणियों की संख्या कम करने की योजना	Plan to reduce classes of accommodation ...	71—72
1330.	रेल गाड़ियों का समय पर चलना	Punctuality of trains ...	72—73
1331.	ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में बिजली की दरों में अन्तर	Difference in rates of electri city in rural and urban areas ...	73
1332.	रायगंज और कलियागंज (उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे) स्टेशनों पर शयन स्थानों का पृथक कोटा	Separate quota of sleeping accommodation at Raiganj and Calicut Stations (North East Frontier Railway) ...	73—74
1333.	व्यापार वार्ता के लिए अर्जेन्टाइना को प्रतिनिधिमंडल का दौरा	Delegation to Argentina for talks ...	74
1334.	रेलगाड़ियों में चोरी से सुरक्षा की सुविधाएँ	Theft proof amenities in trains ...	74—75
1335.	कपड़े की जमाखोरी को रोकने के लिए कार्यवाही	Steps to check cloth hoarding ...	75
1336.	सियालदह से न्यू बोंगाईगाँव तक (उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे) नार्थ बंगाल एक्सप्रैस का पुनः चालू किया जाना	Re-introduction of North Bengal Express from Sealdah to New Bongaligaon (North East Frontier Railway) ...	75—76
1337.	कामरूप एक्सप्रैस और आसाम मेल में शायिकाओं का आरक्षण	Reservation of Berths in Kamrup Express and Assam Mail ...	76
1338.	जिला कूच बिहार (पश्चिम बंगाल) के ग्रामों का विद्युतीकरण	Rural Electrification in Cooch Behar District (West Bengal) ...	77
1339.	हल्दिया बाड़ी से जलपाइगुड़ी तक (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) रेलवे लाइन को पुनः चालू किया जाना	Re-opening of Railway Line from Haldibari to Jalpaiguri (North-east Frontier Railway) ...	77

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या			
U. S. Q. Nos.			
1340 तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद् के अध्यक्ष का तम्बाकू के बारे में वक्तव्य	Tobacco Export Promotion Council-Chairman's Statement regarding Tobacco	...	77—78
1341. तम्बाकू के बाजार में मन्दी	Depression in Tobacco Market	...	78
1342. विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट	Reports submitted by Law Commission	...	78—79
1343. हांगकांग में राज्य व्यापार निगम के सहायक उपक्रम का कार्यक्रम	Working of STC Subsidary in Hong Kong	...	79
1344. अभ्रक का निर्यात कार्यक्रम	Export Programme of Mica	...	79—80
1345. चुनाव विधि में सुधार करने के संबंध में की गई सिफारिशों को क्रियान्विति करने में विलम्ब	Delay in Implementing Recommendations regarding Election Law Reforms	...	80
1346. भारत संयुक्त अरब गणराज्य के मध्य व्यापार की समस्यायें	Indo UAR Trade Problems	...	81
1347. विभिन्न राज्यों में स्थित शिल्प उद्योगों के बारे में आँकड़े	Data about crafts in various States	...	81—82
1348. निर्यात कर्त्ताओं की जोखिम उठाने संबंधी समिति	Committee on covering Risk of Exporters	...	82
1349. दिल्ली क्षेत्र में क्वार्टरों का निर्माण तथा कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Construction and Allotment of Quarters to Employees in Delhi Area	...	82—83
1350. अधिकारियों (उत्तर रेलवे) द्वारा एक ही समय दो स्थानों पर सरकारी क्वार्टर लिया जाना	Occupation of Government Accommodation simultaneously at two stations by Officers (Northern Railway)	...	83
1351. परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के संबंध में सिंचाई आयोग की टिप्पणियाँ	Comments of Irrigation Commission on delay in Completion of Projects	...	83—84
1352. योजना के अधीन प्रायोजनाओं का पूरा किया जाना	Completion of Plan Projects	...	84
1353. केरल सरकार द्वारा सिफारिश की गई पन-बिजली और सिंचाई परियोजनायें	Hydro Electric and Irrigation Projects recommended by Kerala Government	...	84
1354. केरल में निर्माणाधीन-पन बिजली और सिंचाई योजनायें	Hydro Electric and Irrigation Schemes under Construction in Kerala	...	84—85
1355. पटसन के सामान का निर्यात	Export of Jute Goods	...	85—86

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1356. भारतीय रेलों के प्रबंध में कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना	Workers participdtion in Management of Indian Railways ...	86
1357. नारियल के छिल्के के चूरे (कोकोनटल हस्क) का मूल्य	Price of Coconut Husk ...	86
1358. बिजली बंद होने के कारण उर्वरक संयंत्रों के उत्पादन में कमी	Power Failures Responsible for Low Production in Fertilizer Plants ...	87
1359. दक्षिण पूर्व रेलवे के पान्सकुड़ा स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर	Collision of Trains at Panskura Station (South East Railway) ...	87—88
1361. रेलों के लिए आधुनिक उपकरणों के आयात पर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए निर्माताओं को रियायतें	Concessions to Manufacturers to save Foreign Exchange on Import of Sophisticated Equipment for Railways ...	88
1362. हंगरी के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Hungary ...	88--89
1363. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में पन-बिजली की संभाव्यता के संबंध में सर्वेक्षण	Survey Regarding Hydro Electric Potentiality of Hill Districts of Uttar Pradesh ...	89
1364. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में पन-बिजली तैयार करने संबंधी योजना की प्रगति	Progress of Plan regarding Hydro Electric Generation in Hill Districts of Uttar Pradesh ...	90
1365. पंचेश्वर और टेहरी बांधों की प्रगति	Progress of Pachheswar and Tehri Dams ...	90
1366. पश्चिमी यूरोप के देशों को निर्यात	Export to West European Countries ...	91
1367. पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच	Departmental Enquiries against Employees of North Eastern Railway ...	91
1368. विधान सभा के चुनावों में कुछ स्थानों पर मतदाताओं द्वारा बहिष्कार	Boycott of Voters at certain places in Assembly Elections ...	91
1369. राज्य विधान सभाओं के हाल के आम चुनावों में घायल हुए तथा मारे गये चुनाव अधिकारी	Polling Officers injured and killed during recent General Elections for State Assemblies ...	91—92
1370. मद्रास बीच और ताम्बरम के बीच प्रत्येक स्टेशन पर सोडावाटर और फल के स्टालों के लाइसेंस शुल्क	Licence fee for Soda Water and Fruit Stall on each Station between Madras Beach and Tambaram ...	92
1371. वायरलेस आपरेटरों का दक्षिण रेलवे में स्थानान्तरण	Transfers of Wireless Operators on Southern Railway ...	92

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

1372. राजदूतों के द्वारा विदेशी व्यापार को बढ़ावा	Promotion of Foreign Trade through Envoys ...	92—93
1373. जम्मू पठानकोट लाइन का पूरा किया जाना	Completion of Jammu-Pathankot Rail Line ...	93
1374. केरल में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पेय जल सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Drinking Water facilities at various Railway Stations in Kerala ...	94
1375. केरल में नये रेलवे स्टेशनों का खोला जाना	Opening of New Railway Stations in Kerala ...	94—95
1376. मछली पकड़ने वाले जहाजों का निर्यात	Export of Fishing Vessels ...	95
1377. रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों के लिए बोनस योजना	Bonus Scheme for Rubber Board Employees ...	95
1378. जापान का व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegation from Japan ...	95—96
1379. विदेशों में राज्य व्यापार निगम की शाखायें	S. T. C's Subsidiaries Abroad ...	96
1380. प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत योजना के अन्तर्गत लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore under GSP ...	96
1381. डम-डम हवाई अड्डे के निकट निर्यात वस्तु परीक्षण जोन की स्थापना	Export processing Zone near Dum Dum Airport ...	96—97
1382. कपड़ा निर्यात व्यापार को हाथ में लेने का विरोध	Opposition to taking over of Textile Exports ...	97
1383. माल डिब्बों के लिए विदेशी बाजार	Foreign Markets for Wagons ...	97—98
1384. मेवों का आयात	Import of Dry Fruits ...	98
1385. जिला दरभंगा, बिहार में खिरोई नदी के ऊपर स्लाइस गेट और पुल के निर्माण कार्य में प्रगति	Progress of Construction of Sluice gate-cum-bridge over River Khiroi, Darbhanga in Bihar ...	99
1386. दिल्ली में मतदाता सूचियों में शुद्धि करने के लिए लगाये गये अध्यापकों को भुगतान	Payment to Teachers in Delhi Engaged for correction of Voters List ...	99
1387. दिल्ली में मतदाता सूचियों में शुद्धि करने के लिए लगाये गये अध्यापकों के मानदेय (आनरेरियम) का रोका जाना	Withholding of Honorarium of Teachers Engaged for Correcting voters Lists in Delhi ...	99—100
1388. रेलवे की शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के प्रधानाचार्य की नियुक्ति	Appointment of Scheduled Castes as Principals in Railway Educational Institutions ...	100

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
1389. रेलवे स्कूलों कालिजों में अनुसूचित जन जातियों के लोगों की प्रधानाचार्यों के पदों पर नियुक्ति	Appointment of Principal belonging to Scheduled Tribes for Railways Schools/Colleges ...	100—101
1390. रेलवे शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रधानाचार्यों की नियुक्ति संबंधी नियम	Rules for the Appointment of Principals for Railway Educational Institutions ...	101
1392. चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर छतदार शेड की व्यवस्था	Provision of covered Shed at Chandigarh Railway Station ...	101
1393. रेलवे वाणिज्यिक क्लर्कों की काम करने की शर्तें	Working Comditions of Railway Commercial Clerks ...	102
1394. रेलवे आउट एजेंसियों का बंद होना	Closure of Railway Out-agencies ...	102—103
1395. सुक्ता परियोजना (मध्य प्रदेश) की प्रगति	Progress of Sukta Project (M. P.) ...	103
1396. पठानकोट और वाराणसी एक्सप्रेस गाड़ियों में सोने और बैठने का स्थान	Sleeping and Sitting Accommodation in Pathankot and Varanasi Express Trains ...	103
1397. पश्चिम रेलवे में खंडवा अजमेर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Khandwa-Ajmer Line into Broad Gauge (Western Railway) ...	103—104
1398. मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का चुनाव प्रचार में भाग लेना	Participation of Government Official of Madhya Pradesh in Election Propaganda ...	104
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
धागे की ऊँची कीमत के कारण उत्तर प्रदेश में हथकरघों तथा विद्युत करघों के बुनकरों में व्याप्त असंतोष का समाचार	Reported discontentment among Handloom and Power Loom weavers in U. P. on account of high yarn price ...	104—109
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey	
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	110—111
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement *Rc.* Strike in I. I. T, Kanpur ...	111
प्रो० एस० नुरूल हसन	Prof. S. Nural Hasan ...	111

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under Rule 377	
आयकर की राशि का भुगतान न करने वाले व्यक्तियों आदि के नामों की सूची का पश्चिम बंगाल के समाचार-पत्रों में प्रकाशित होना	Publication of Lists of Income Tax Defaulters etc. in West Bengal Press ...	111—112
सशस्त्र बल (आसाम और मनीपुर) विशेष शक्तियाँ (संशोधन) विधेयक	Armed Forces (Assam and Manipur) Special Powers (Amendment) Bill ...	112—123
राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha ...	112
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant ...	112—113
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta ...	113—114
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ...	114—115
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Behari Vajpayee ...	115
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्	Shri S. D. Somasundaran ...	116
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya ...	116—117
श्री ए० केवीचुसा	Shri A. Kevichusa ...	117
खंड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1 ...	119
पास करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ...	119
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ...	119—120
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Haokip ...	120—121
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi ...	121
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami ...	121
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ...	122
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant ...	122—123
वायुयान (संशोधन) विधेयक	Aircraft (Amendment) Bill ...	123—133
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	123
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh ...	123—124
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder ...	124
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey ...	124—125
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh ...	125
श्री टी० एस० लक्ष्मणन्	Shri T. S. Lakshmanan ...	125
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh ...	126
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade ...	126
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey ...	126
खंड 2 से 12 और 1	Clauses 2 to 12 and 1 ...	128
संशोधित रूप में पास करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended ...	129

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai ...	130
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ...	130
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi ...	130—131
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen ...	131
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Sheila Kaul ...	131—132
श्री वीरभद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh ...	132
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh ...	132
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार विधेयक	Marine Products Exports Development Authority Bill ...	134—139
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ...	134
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George ...	134—135
श्री शिवनाथ सिंह	Shri S. N. Singh ...	135
श्री माधुर्य हाल्दर	Shri Mahduryya Haldar ...	135—136
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen ...	136—137
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ...	137—138
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin ...	138—139
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi ...	139
श्री रामचन्द्रन् कडनापल्ली	Shri Ramachandran Kadanapalli...	139

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 28 **मार्च**, 1972/8 **चैत्र**, 1894 (**शक**)
Tuesday, March 28, 1972/ *Chaitra* 8, 1894 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

यूगोस्लाविया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

WECLOME TO YUGOSLAV PARLIAMENTARY DELEGATION

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, इससे पूर्व कि हम सभा की कार्यवाही आरम्भ करें, मुझे एक घोषणा करनी है ।

मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, और जैसी कि हमारी परम्परा रही है मैं, यूगोस्लाविया की संघीय विधान सभा के राष्ट्रपति, महामहिम श्री मिजाल्को तोदोरोविक, श्रीमती तोदोरोविक, श्री अली सुकरिजा, श्री मिजुस्को सिबालिक, श्री अलमाज़ दौतबिगोविक, डा० निकोला मिल्जानिक, श्रीमती डेरिन्का पुस्कारिक, श्री ब्लागोजा तलेस्की तथा डा० जोज़ा विल्फान, जो भारत आने वाले यूगोस्लाविया के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य हैं तथा उनके साथ अन्य अधिकारीगणों का स्वागत करता हूँ । मुझे आशा है कि वे मेरे उच्चारण दोष को क्षमा करेंगे ।

मैं अपनी ओर से तथा देश की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और कामना करता हूँ कि उनका भारत भ्रमण शुभ हो । धन्यवाद ।

अब एक नए सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे ।

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBER SWORN

श्री वीरेन एंगटी—(दीफू–आसाम)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Looting of Yevat Railway Station (Central Rly.) by Dacoits

*161. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Yevat Railway Station of the Central Railway was looted by dacoits on 16th/17th February, 1972;

(b) if so, the extent of loss suffered by the Railways as a result of this dacoity; and

(c) the measures adopted to protect railway stations from such dacoities.

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ, 16-2-1972 को। यह स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे पर है।

(ख) लगभग 570 रुपये नकदी में।

(ग) महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार अपराधियों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सभी महत्वपूर्ण और बड़े स्टेशनों पर सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात रहते हैं। सूचना इकट्ठी करने और अपराधियों की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए सादी पोशाक में पुलिस कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं।

डा० संकटा प्रसाद : चोरी तथा डकैतियों से भारतीय रेलवे को प्रतिवर्ष किस अनुपात में हानि होती है ?

श्री के० हनुमन्तैया : लगभग 5 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान है।

श्री धामनकर : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या उस समय वहाँ पर रेलवे सुरक्षा दल था ?

श्री के० हनुमन्तैया : उस समय वहाँ सुरक्षा दल उपस्थित नहीं था। ऐसी डकैतियाँ यकायक होती हैं और प्रत्येक स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा दल की व्यवस्था नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा दल भेजा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : डकैतियाँ यकायक हो जाती हैं। डाकू इसके लिए नोटिस नहीं देते।

Shri Hukam Chand Kachwai : These dacoities usually take place at small stations located in forest areas and would like to know whether any special arrangement has been made for the protection of such small stations ?

Mr. Speaker : They are numerous in his region,

Shri Hukam Chand Kachwai : It is correct.

श्री के० हनुमन्तैया : यह अच्छी बात है कि डकैतियाँ इतनी अधिक नहीं होती हैं जितनी कि माननीय सदस्य कहते हैं। रेलवे तथा रेलवे स्टेशनों की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए हम सावधानी बरतते हैं। कभी-कभी, एकाध बार एसी घटना हो जाती है।

Shri Jharkhande Rai : Central Railway and certain other Railways pass through forest areas and lonely places and the dacoities take place on the stations located at these railway lines and in running trains as well. I would like to know whether it has been considered or is being considered to have a special protection force to safeguard the railway property and stop recurrence of such incidents ?

श्री के० हनुमन्तैया : केवल डकैतियों से सुरक्षा के लिए ही अलग से सुरक्षा दल की व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा दल सभी सामान्य कार्य करता है। यदि संभव होता है तो जब कभी डकैती की घटना होती है, उसका पता लगाता है परन्तु डकैतियों का पता लगाने के लिए ही किसी विशेष दल की व्यवस्था नहीं है।

मोटे तथा मध्यम दर्जे के कपड़े की कीमतों में कमी

*163. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1970 की अपेक्षा दिसम्बर, 1971 में विभिन्न प्रकार के मोटे तथा मध्यम दर्जे के कपड़े की कीमतें अधिक थीं; और

(ख) यदि हाँ, तो गरीब लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले इस प्रकार के कपड़ों की कीमतें घटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) मई, 1968 से नियंत्रित कपड़े (मोटे तथा मध्यम दर्जे ख) की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन, जनवरी 1970 से दिसम्बर 1971 के बीच मोटे तथा मध्यम दर्जे की अनियंत्रित किस्मों के कपड़े की कीमतों में हुई वृद्धि की प्रतिशतता इस प्रकार हैं :

मोटा	25·39 से 40·32
मध्यम दर्जे का घटिया	16·35 से 45·12
मध्यम दर्जे का बढ़िया	4·16 से 50·00

(ख) अनियंत्रित कपड़े की कीमतें मांग तथा पूर्ति के अनुसार चलती हैं।

श्री धर्मराव अफज़लपुरकार : विवरण के अनुसार नियंत्रित किस्म के मोटे तथा मध्यम दर्जे

के और मध्यम दर्जे के बढ़िया कपड़े के मूल्य में 25 से 40, 16 से 45 तथा 4 से 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सरकार ने कपड़े के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की है जिससे गरीब लोग मध्यम दर्जे का तथा मोटा कपड़ा खरीद सकें ?

श्री एल० एन० मिश्र : जहाँ तक मोटे कपड़े के मूल्यों का प्रश्न है इस प्रकार का नियंत्रित किस्म का कपड़ा उपलब्ध है और उसके मूल्य भी नहीं बढ़े हैं। इसके उत्पादन में 8 गुनी वृद्धि हुई है। 120 लाख गाँठों के स्थान पर उत्पादन 10 करोड़ गाँठ हो गया है। फाइन कपड़े का मूल्य गत वर्ष बढ़ा था। देश के अन्दर रुई की कमी उसका मुख्य कारण था। कपास का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई है और संबंधित मंत्रालय तथा योजना आयोग के परामर्श से 15 करोड़ रुपये की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है, हमें विश्वास है कि माँग तथा सप्लाई के नियमों पर आधारित फाइन कपड़े के मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी।

श्री धर्मराव अफजलपुरकार : क्या लोगों की माँग को पूरा करने के लिए सरकार ने अनियंत्रित कपड़े तथा मोटे और मध्यम दर्जे के कपड़े की सप्लाई बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने बताया है कि फाइन तथा सुपर फाइन कपड़े के मूल्य बढ़े हैं और मैंने यह भी बताया है कि इसका मुख्य कारण रुई की कमी था। एक गाँठ का मूल्य 3600 रुपये हो गया जबकि उसका समर्थन मूल्य 1600 रुपये था। रुई का दो गुने से भी अधिक मूल्य हो जाने के कारण फाइन तथा सुपर फाइन कपड़े के मूल्यों में वृद्धि होनी स्वाभाविक थी। नियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है और उसके उत्पादन में भी 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Does the hon. Minister know that the controlled variety of cloth is not available in the market ? Those who go in for this variety of cloth they are told that they will have to purchase fine cloth also. Does he also know that the cloth dealers are also complaining against the condition of millowners to purchase fine cloth alongwith the controlled variety ?

Shri L. N. Mishra : The hon. Member is right when he says that higher prices have been charged for the controlled variety of cloth. About a month back we asked the State Governments to take action under the Essential Commodities Act and punish the guilty dealers. It was complained that prices have not been marked on each yard or on each metre. Efforts have been made to see that the prices are marked on each yard or on each metre. As regards fine cloth, the hon. Member might he knowing that certain mills, particularly in Northern and Eastern India, are manufacturing this controlled variety and we subsidize them. But I do not dispute the fact that a dealer dealing in both the varieties indulges in these malpractices. We are pressing the State Governments to take action against such dealers or individuals who charge excss.

श्री के० लकप्पा : जो कपड़ा गरीब लोगों के प्रयोग में आता है उसके संबंध में निर्माताओं ने विभिन्न डिज़ाइन तैयार करने की धारणा बना ली है जिससे जनता में कृत्रिम धागों से बनाया कपड़ा आकर्षक बन सके और जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार का कपड़ा खरीदने वाले धनी लोगों से गरीब लोग प्रतिस्पर्धा न कर सकें। अतः क्या सरकार कपड़े के अधिकाधिक डिज़ाइन तैयार करने की पद्धति को रोकेगी जिससे गरीब लोगों को एक ही डिज़ाइन का सस्ता कपड़ा उपलब्ध हो सके और यदि हाँ, तो सरकार इस पद्धति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री एल० एन० मिश्र : कार्य रूप देने के लिए यह एक सुझाव मात्र है। गरीब लोगों के लिए केवल एक ही डिज़ाइन का कपड़ा नहीं होना चाहिए, एक-दो वैकल्पिक डिज़ाइन होने चाहियें जिनमें से वे अपनी इच्छानुसार चुन सकें।

Shri Nathuram Ahirwar : A few months back the Government had announced that coarse variety of cloth will be produced in larger quantities *vis-a-vis* the costly varieties. Even after this announcement a pair of Dhoties meant for the use of farmers costs Rs. 25/- instead of Rs. 12/-. Why is it so ? I would like to know whether the production of coarse variety has been augmented.

Shri L. N. Mishra : I have stated that we have started scheme under which production of coarse cloth has gone up twelve times. As regards Dhoties costing Rs. 25 these are fine, superfine or mercerised. A pair of Dhoties made of coarse cloth cost Rs. 12 or 13. The reason of price increase regarding fine and superfine cloth is that the production of cotton in last twenty years has never been so small as last year. As per our estimates this year cotton production would be something between 53 and 60 million bales. We do not expect any price increase this year.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या नियंत्रित किस्म के कपड़े के मूल्य भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग हैं, यदि ऐसा है, तो सभी स्थानों पर एक जैसे मूल्य रहें इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री एल० एन० मिश्र : निश्चित मूल्य सर्वत्र एक समान हैं। कपड़े की किस्म के अनुसार मूल्य भिन्न हो सकते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : एक शहर से दूसरे शहर में मूल्यों में अन्तर पाया जाता है। बम्बई के मूल्य कलकत्ता से भिन्न हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : एक नगर के मूल्य दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, एक ही नगर की दो अलग-अलग दुकानों के मूल्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं क्योंकि दुकानदार अवांछनीय ढंग से अधिक मूल्य ले लेते हैं। इसी कारण हम अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम का सहारा ले रहे हैं तथा राज्य सरकारों से दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने को कह रहे हैं।

गत भारत-पाकिस्तान युद्ध में हताहत हुए रेलवे कर्मचारियों के लिए सहायता उपाय

*164. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत भारत-पाकिस्तान युद्ध में हताहत हुए रेलवे कर्मचारियों को सहायता देने के प्रयोजन के लिए सशस्त्र सेना के हताहत सैनिकों के समरूप समझा जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

Dr. Laxmi Narain Pandey : The hon. Minister has said that the matter is under consideration. I would like to know the time by which the matter would be finalised.

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य विश्वस्त रहें कि नियमों के अन्तर्गत जो भी वित्तीय लाभ दिये जा सकते हैं वे सभी ऐसे रेलवे कर्मचारियों को दिये गये हैं। इसके साथ-साथ रेलवे प्रशासन तथा राज्य सरकारों में प्रत्येक ने 11 हजार रुपये दिए हैं। अत: ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई मुआवज़ा तथा भत्ता न मिले। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या रेलवे कर्मचारियों को भी रक्षा कर्मचारियों के समान ही भत्ते, मुआवज़े दिए जायेंगे। जब समानता का प्रश्न उठता है तो वह अन्तिम निर्णय के लिए वित्त मंत्रालय में जाता है। इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

Dr. Laxmi Narain Pandey : My question is : By what time a final decision would be taken ? The hon. Minister is discussing the matter with Finance Ministry. By what time they would decide it finally ? May I know whether Raiiway Ministry agrees to treat them at par with defence personnel ?

श्री के० हनुमन्तैया : रेलवे तथा रक्षा, प्रत्येक मंत्रालय के अपने-अपने वेतनमान हैं, अपने-अपने भत्ते हैं। किसी एक वर्ग विशेष को एक समान स्तर पर लाने की बात वित्त मंत्रालय से निश्चित होती है। अत: मैं कोई समय सीमा नहीं बना सकता।

Dr. Laxmi Narain Pandey : Do you treat them at par with defence personnel ? You kindly reply to it.

Mr. Speaker : He is already replying.

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य आश्वस्त रहें कि मृतक रेल कर्मचारियों के आश्रितों को रक्षा कर्मचारियों के समान ही लाभ मिलेंगे। इसमें बहुत अधिक अन्तर नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तब समानता क्यों नहीं है ?

श्री के० हनुमन्तैया : हम विभिन्न मंत्रालयों के बीच समानता नहीं ला सकते क्योंकि प्रत्येक मंत्रालय में अलग-अलग कार्य होता है।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : इस युद्ध में कितने रेलवे कर्मचारी मारे गए और कितने घायल हुए ?

श्री के० हनुमन्तैया : 13 मारे गए और 26 घायल हुए।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय मंत्री ने बताया कि रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के मुआवज़े में थोड़ा ही अन्तर है और वित्त मंत्रालय की सहमति लेनी होती है। रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए मंत्री महोदय ने इस अवसर पर विशेष दरों में और छूट देने की घोषणा की थी। क्या रेल मंत्रालय भी उन कर्मचारियों को जिन्हें हानि पहुँची है, सुरक्षा कर्मचारियों के समान ही छूट देगी ? यह एक विशेष मामला है।

श्री के० हनुमन्तैया : हमने इसी की सिफारिश की है।

दीमापुर और रंगपहाड़ स्टेशनों (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के बीच रेलवे लाइन के निकट प्लास्टिक बम का पता लगना

*165. **श्री निहार लास्कर :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर आसाम में 20 फरवरी, 1972 को दीमापुर और रंगपहाड़ स्टेशनों (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के बीच रेलवे लाइन के निकट प्लास्टिक बम का समय पर पता लग जाने से एक बड़ी रेल दुर्घटना होते-होते बच गयी;

(ख) क्या इस मामले में कोई जाँच की गई थी और यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं। 20-2-1972 को लगभग 10-25 बजे दीमापुर और रंगपहाड़ स्टेशनों के बीच रेल पथ के पास, प्लास्टिक बम नहीं बल्कि एक हथगोला मिला था जिस पर पी० ओ० एफ० का मार्का अंकित था।

(ख) इस मामले की पुलिस द्वारा जाँच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) पुलिस/होम गार्डों द्वारा भेद्य खण्डों में सुरक्षा गश्त लगाना।

(2) पुलिस और सैनिक प्राधिकारियों के सहयोग से रेलवे के गैंगमैनों द्वारा रेल-पथ का गश्त लगाना।

(3) सशस्त्र पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की रात-दिन रखवाली। सशस्त्र पुलिस और होमगार्डों द्वारा महत्वपूर्ण पुलों की रखवाली।

(4) 59 माउंटेन बिग्रेड द्वारा सर्चलाइट से गश्त लगाना।

(5) असम की सार्वजनिक कानून और व्यवस्था अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत रेल-पथ के दोनों ओर के 10 मीटर क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना।

(6) महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर चौकियाँ स्थापित करना।

(7) अपराधियों का पता लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा दल के कुत्ता-दस्तों को लगाया जाता है।

(8) संदिग्ध व्यक्तियों विशेषकर लुहारों और रद्दी सामान के व्यापारियों पर निगरानी रखी जाती है ।

(9) रेल-पथ पर पहरा देने की ड्यूटी से सेवामुक्त गैंगमैनों और नैमित्तिक श्रमिकों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है जो इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं जिससे गश्त लगाने का कार्य फिर से चालू हो जाए और उन्हें नौकरी मिल जाय ।

(10) तोड़फोड़ संबंधी गतिविधियों का समय से पहले पता लगाने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करना ।

श्री निहार रंजन लास्कर : क्या यह सच नहीं है कि इस क्षेत्र में अन्य कई घटनाएँ घटी है ? इन्हें रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री के० हनुमन्तैया : ये बन्द हो गए हैं । ऐसी घटनाओं के दोबारा होने का प्रश्न ही नहीं है। जिन घटनाओं का माननीय सदस्य ने जिक्र किया वे जानकारी में नहीं आए; कुछ गिरफ्तारियाँ की गईं और मामले दर्ज किए गए ।

श्री निहार रंजन लास्कर : क्या इन घटनाओं में किसी विदेशी देश का हाथ होने का पता चला है ?

श्री के० हनुमन्तैया : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has been said in the statement that safety arrangements are being made on all important stations. I would like to know the criteria for an important station. All the stations are important. When are you going to start it ? It has also been stated that investigation is being made into the case of casual labourers and all the suspects will be removed. On what grounds is one to be suspected ? Has any big officer ever been arrested for the thefts in railways ? Who are the investigating officers and who are the persons responsible for thefts in railways ?

श्री के० हनुमन्तैया : ये चोरियाँ चोर करते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I asked whether they belong to upper class or lower class.

श्री के० हनुमन्तैया : जहाँ तक महत्वपूर्ण और महत्वहीन स्टेशनों का संबंध है, चोर इस तरह का कोई फर्क नहीं करते और वे जहाँ ठीक समझते हैं रेलवे सम्पत्ति को हानि पहुँचाते हैं । इस संबंध में राज्य सरकारों, पुलिस और सेना ने बहुत ही प्रभावकारी व्यवस्थाएँ की हैं और उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई ।

श्री मुहम्मद खुदाबक्श : सरकार को इन घटनाओं की जानकारी किस एजेन्सी की मार्फत मिलती है ?

श्री के० हनुमन्तैया : इस जानकारी को देने की पहली जिम्मेदारी राज्य सरकारों के अन्तर्गत काम करने वाली रेलवे पुलिस की है ।

रेलवे के टिकटों में रियायत के लिए 'आल इंडिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गेनाईजेशन' का अनुरोध

*168. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने 'आल इंडिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आर्गेनाइजेशन' के इस अनुरोध को कि उसके प्रतिनिधियों को अपने वार्षिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए रेलवे के टिकटों में रियायत दी जाए उनके मंत्रालय के पास भेज दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ। शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों को इस फेडरेशन के सम्मेलनों में भाग लेने के लिए किराए में रियायत देने की सिफारिश की है। लेकिन, फेडरेशन द्वारा कोई सीधा अनुरोध नहीं किया गया है।

(ख) अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है।

Shri Ramavtar Shastri : Hon. Minister informed that Federation has written to the Minister or Department directly. I never asked this. Hon. Minister emphasized that if Federation had applied directly, he might have agreed. I would liked to know the organisations which get ticket concession and the criteria adopted in this respect.

श्री के० हनुमन्तैया : संक्षेप में यह रियायत प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जाने वाले खिलाड़ियों, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए जाने वाले पेशेवर और गैर-पेशेवर कलाकारों, शिक्षा कार्य से यात्रा करने वाले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों, कैंपों में जाने वाले छात्र, सेना के कैडिटों और अधिकारियों, अंधे व्यक्तियों; इलाज के लिए जाने वाले टी० बी०, कैंसर और कुष्ट रोगियों, स्काउटिंग और सहायता कार्य के लिए जाने वाले स्काउटों और सेंट जोन एम्बुलैंस ब्रिगेड के सदस्यों; देश की नदी घाटी परियोजनाओं आदि को देखने के लिए जाने वाले 20 से अधिक किसानों; अथवा औद्योगिक श्रमिकों, प्रशिक्षित नर्सों और दाइयों, शिक्षा संबंधी दौरों पर जाने वाले प्राइमरी और उच्च अध्यापकों और स्कूलों के अध्यापकों और अखिल भारतीय शिक्षण, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की संस्थाओं के वार्षिक सम्मेलनों में भाग लेने जाने वाले व्यक्तियों को दी जाती हैं। संस्थाएँ अखिल भारतीय स्तर की होनी चाहिएँ, क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर की नहीं तथा वे शिक्षण, सांस्कृतिक या सामाजिक संस्थाएँ होनी चाहिएँ। यह राजनीतिक, धार्मिक नहीं होनी चाहिएँ। सामान्यत: एक क्षेत्र की एक ही अखिल भारतीय स्तर की संस्था को यह रियायत दी जाती है।

Shri Ramavtar Shastri : In the criteria spelt out by hon. Minister he has come upto secondary teachers but did not reach upto college teachers. I would like to know that keeping this in view how far this criteria of not accepting this demand is justified. What is the basis of giving concession by the Education Ministry ? Hon. Minister has not given any reason for not giving the concession.

श्री के० हनुमन्तैया : मेरे कार्यभार सँभालने से पहले यह सूची विद्यमान थी। और हम वर्तमान सूचियों के अनुसार ही कार्य करते हैं। जहाँ तक मेरा संबंध है मैं सूची में और कुछ जोड़ने के बजाय कुछ कम करना चाहता हूँ। यह कारण ऐसा नहीं है कि इसे सभा न सराहे। सदस्य सदैव यह कहते रहे हैं कि रेलवे की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। इस मद में प्रतिवर्ष दो करोड़ की हानि होती है। मैं कोई कारण नहीं समझता कि सभी मंत्रालयों और अन्य व्यवसायों के सम्मेलनों के लिए रेलवे क्यों इस प्रकार पैसा खर्च करे। यदि मुझे छूट मिले तो मैं इन सब रियायतों को समाप्त कर दूँ।

श्री के० लकप्पा : मुझे रेलवे से ऐसी जानकारी मिली है कि धार्मिक गुरुओं और महाधिपतियों को कुछ रियायतें दी गई हैं। यदि हाँ, तो कितने लोगों को यह रियायतें दी गईं और क्या सरकार इन रियायतों को बन्द करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल विश्वविद्यालय के अध्यापकों से संबंधित है।

श्री के० लकप्पा : अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने सभी बातों को लिया था। उसी संदर्भ में मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूँ।

श्री के० हनुमन्तैया : मैं यह स्पष्ट बता चुका हूँ कि किसी भी धार्मिक संस्था को यह रियायत नहीं दी जाती। यदि मेरे माननीय मित्र के पास ऐसी कोई सूचना हो, तो वे उसे मुझे दें और इसे तुरन्त बन्द कर दूंगा।

Shri K. N. Tiwari : Hon. Minister just now stated that on account of these concessions Railways have to suffer losses. May I know the quantum of losses suffered ?

Mr. Speaker : Hon. Minister just now informed that the railways suffered losses to the tune of two crores.

अभ्रक व्यापार का राष्ट्रीयकरण

*173. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस-किस देश को कितने-कितने अभ्रक का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार अभ्रक के व्यापार और उसके निर्यात का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1970-71 और 1971-72 (अप्रैल-सितम्बर) में विभिन्न देशों को निर्यात किए गए अभ्रक का परिमाण और मूल्य इस प्रकार है :

परिमाण : लाख किग्रा० में
मूल्य : लाख रु० में

	1970-71		1971-72 (सितम्बर 1971 तक)	
देश	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
चैकोस्लोवाकिया	14	72·8	11	42·7
पोलैंड	14	118·0	5	46·4
जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य	6	71·5	4	43·2
सोवियत संघ	6	544·0	3	322·2
फ्रांस	26	67·0	16	33·3
ब्रिटेन	35	133·0	18	61·8
संयुक्त राज्य अमरीका	57	173·0	21	129·8
जापान	45	159·0	23	63·2
जर्मन संघीय गणराज्य	14	40·8	5	15·3
अन्य	51	336·9	17	55·3
योग :	268	1716·0	123	813·2

(ख) तथा (ग). 24 जनवरी, 1972 से अभ्रक (फैब्रिकेटेड तथा निर्मित अभ्रक को छोड़कर) का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत, सुस्थापित व्यापारियों के लिए निर्यातक अभिकरण के रूप में कार्य करने के अलावा यह निगम, लघु निर्यातकों/खान मालिकों को उनके उत्पादन तथा निर्यात प्रयासों में भी सहायता देगा।

Shri Rajendra Prasad Yadav : The statement shows that the exports in 1970-71 amounted to Rs. 1716 crores whereas in 1971-72 only to Rs. 813 crores. What are the reasons of this fall in export ?

Shri L. N. Mishra : This is not Rs. 1716 crores, but 17 crores and 16 lakhs which has fallen to the 8 crores and 10 lakhs. The main reason for this shortfall is reduction in the demand of mica due to the increasing use of its substitutes. We are trying to increase its use so as to recapture the market. But difficulties are there.

Shri Rajendra Prasad Yadav : May I know whether Government is trying to explore new market and if so, whether the steps being taken in this regard ?

Shri L. N. Mishra : Yes, Sir. I told that we are trying to find some other use of mica, because India is the biggest mica producing country. The reason of losing market of mica in the world is the invention of its substitutes.

Shri R. S. Pandey : May I know whether any research has been made to find out its other uses, so that our exports do not fall ?

Shri L. N. Mishra : The other factor of decline is that the owners of mica mines have done nothing to improve its quality and for exploring its other uses. That is why six months back we decided to canalise and nationalise the mica trade. We want to do some research in it and we do not want to lose this valuable mineral. Hon. Member might be knowing that this very thing happened with Jute but after conducting research and identifying its other uses we captured the market. We will do the same this time also.

Shri Ramavtar Shastri : There had been news in the press that mica producers in Bihar are in difficulty, and sometimes smuggling of mica is also done. If it is correct, may I know whether any arrangement is being made for stoping this ?

Shri L. N. Mishra : I do not understand what is the difficulty with mine owners. They are exploiting the labour. They pay only eight annas for Rs. 10 worth of mica extracted by them. Therefore, we are opening the agencies and shops of M. M. T. C. at all places. I think the mine owners do not have any difficulty. We want to reduce the huge profit they are earning these days. We also want to nationalise it. The reports of smuggling are there, but I do not want to name the countries. But in the recent treaty there is a provision to stop it.

रेलों में खान-पान की वस्तुओं की दरों में वृद्धि

*174. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे खान-पान विभाग की खान-पान तथा पेय वस्तुओं की दरें बाजार दरों से अधिक हैं;

(ख) क्या रेलवे में खान-पान की वस्तुओं की दरों में बाजार में होने वाली दरों की घटा-बढ़ी के अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं और यदि हाँ, तो कितने-कितने समय पश्चात्; और

(ग) रेलवे में खान-पान की वस्तुओं की दरों को उचित तथा बाजार दरों के समान बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। रेलवे खान-पान विभाग भोजन और पेय पदार्थों के लिए बाहर के ऐसे ही कैन्टीनों की अपेक्षा ऊँची दरों पर पैसा नहीं लेता।

(ख) और (ग). जी नहीं। भोजन और पेय पदार्थों की दरें कच्चे माल की लागत और ऊपरी खर्च को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं। दरें केवल, लागत में वृद्धि होने पर संशोधित की जाती हैं न कि निर्धारित अवधियों के अनुसार। इन संशोधनों में प्रचलित बाजार दरों का भी ध्यान रखा जाता है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या विभिन्न ज़ोनों में प्रचलित खान-पान की वस्तुओं की दरें, अखिल भारतीय समय सारणी समिति जैसी किसी अन्य अखिल भारतीय समिति द्वारा निर्धारित की जाती हैं ?

श्री के० हनुमन्तैया : इस प्रकार की कोई अखिल भारतीय समिति नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : फिर ये दरें किस प्रकार से अधिसूचित की जाती हैं और क्या उनका पालन दृढ़तापूर्वक किया जाता है ?

श्री के० हनुमन्तैया : प्रत्येक ज़ोन में इस प्रयोजनार्थ समिति और कार्यालय हैं जिनके परामर्श से ये दरें निश्चित की जाती हैं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या स्वयं मंत्री महोदय ने यह नहीं माना है कि रेलवे कैन्टीनों में दी जाने वाली खाद्य-सामग्री कुछ घटिया किस्म की है ? वहाँ खाद्य-पदार्थों की किस्म सुधारने की दृष्टि से क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैंने स्वयं देखा है कि कभी यह अच्छी होती है और कभी बुरी। कुछ संसद सदस्यों ने मुझे लिखा है कि कुछ स्थानों में उन्हें खान-पान व्यवस्था अच्छी मिली। मैं सभा को विश्वास में लेकर यह बताना चाहता हूँ कि मेरा विचार संसद सदस्यों की एक राष्ट्रीय समिति बनाने का है जो न केवल दरें निर्धारित करेगी, बल्कि खाद्य-पदार्थों की किस्म को भी निर्धारित करेगी।

श्री समर गुह : कल छपे एक समाचार के अनुसार स्वयं मंत्री महोदय ने ऐसी टिप्पणी की थी कि रेलवे में खान-पान सेवा का गैर सरकारी ऐजेन्सियों से रेलवे विभाग को दिया जाना एक 'समाजवादी दुर्भाग्य' था। यदि मंत्री महोदय ने वास्तव में ऐसा कहा है, तो क्या उनका विचार रेलवे खान-पान व्यवस्था को पुनः गैर-सरकारी ऐजेन्सियों को देने का है और यदि नहीं, तो खान-पान व्यवस्था में सुधार लाने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैंने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है। मैंने तो केवल यह कहा था कि कुछ संसद सदस्यों और अन्य लोगों से यह शिकायत मिली थी कि गैर सरकारी ठेके की व्यवस्था में माल भी अच्छा नहीं मिलता है और कीमत भी अधिक देनी पड़ती है। इसी कारण से खान-पान की व्यवस्था विभाग के नियंत्रण में लाई गई थी। मैं विभागीय खान-पान की व्यवस्था को समाप्त करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पुरानी व्यवस्था को पुनः चालू करने से सुधार भी नहीं होगा। दोनों की अपनी-अपनी कमियाँ हैं। विभागीय खान-पान व्यवस्था की वास्तविक समस्या यह है कि इस पर उपरि खर्च अधिक आता है। हमें उन्हें उसी प्रकार से पारिश्रमिक देना पड़ता है जैसा कि अन्य रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है। साथ ही मैं संसद सदस्यों के अनुभव और सतर्कता से लाभ उठाना चाहता हूँ और उनकी राष्ट्रीय समिति के गठन का सुझाव देता हूँ जो खान-पान व्यवस्था में सुधार लाने का कार्य करेगी।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Mr. Speaker, Sir, may I know whether he has received certain complaints alleging that the officers take away the stuff purchased by the Catering

Department to their houses which results in the serving of sub-standard food on the railways. If so, whether he will inquire into it ?

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है । You should put a question in proper form.

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने कहा कि वह एक समिति गठित करने जा रहे हैं । किन्तु परिमल घोष समिति नियुक्त की गई थी, जिसने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है । क्या मंत्री महोदय ने यह जानने का प्रयास किया है कि रेलवे खान-पान विभाग द्वारा यात्रियों को खाना घटिया किस्म का और अधिक मूल्य पर क्यों दिया जाता है जबकि संसद भवन में वही विभाग संसद सदस्यों को अपेक्षाकृत अच्छा भोजन कम मूल्य पर देता है ? यह भेदभाव क्यों है और इसे दूर क्यों नहीं किया जा सकता ।

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं किसी जाँच समिति की नियुक्ति की बात नहीं सोच रहा हूँ । मैं तो संसद सदस्यों की एक स्थायी समिति बनाना चाहता हूँ ताकि वह रेलवे के खान-पान विभाग पर निरीक्षण रख सके और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ सुझाव दे सके । जहाँ तक किस्म के घटिया होने का प्रश्न है, मैं स्वीकार करता हूँ कि वहाँ काफी भ्रष्टाचार है और हर स्थान पर भ्रष्टाचार को रोक पाना दुर्भर होता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने रेलवे खान-पान विभाग द्वारा संसद सदस्यों को दिए जाने वाले भोजन के बारे में पूछा था ।

श्री के० हनुमन्तैया : मैं इसका उत्तर देने जा रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय का उत्तर संक्षिप्त और सारगर्भित हो ।

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्यों को सस्ती दरों पर भोजन मिलने का कारण यह है कि इस कैन्टीन को प्रतिवर्ष 1,25,000 रुपये की राज सहायता मिलती है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान्, मैं इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूँ । उन्होंने स्थायी समिति का उल्लेख किया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में तर्क नहीं दिये जाने चाहिएँ ।

श्री एस० एम० बनर्जी : केवल स्थायी समिति के सदस्यों को ही अच्छा भोजन मिलेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : One of the reasons for the supply of sub-standard food in railway catering is that licencees donot work themselves, they take all kinds of work from their employees and pay them meagre wages. In view of this, may I know whether Government will make a policy of giving licence only to those who work themselves and the policy which may effect increase in the wages of employees of Catering Department of railways.

Shri K. Hanumanthaiya : No, Sir.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, this is no answer. I am not satisfied with it.

अध्यक्ष महोदय : आपने जो प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में मंत्री महोदय ने 'जी, नहीं' कहा है। उचित समय पर वह इस 'जी, नहीं' को और स्पष्ट कर देंगे।

श्री पीलू मोदी : यह सब इसलिये हुआ कि उत्तर ठीक नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे तो इसकी व्याख्या करने को नहीं कहा था।

ब्रिटेन को तम्बाकू निर्यात करने वाले भारतीयों के हितों की सुरक्षा

*176. **श्री सतपाल कपूर :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन लीफ टुबैको डिवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा ब्रिटेन को निर्यात किये जाने वाले भारतीय पत्ती तम्बाकू की बिक्री के लिये लन्दन में ठेकों पर हस्ताक्षर किये जाते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या लदान से पूर्व मूल्य निर्धारित किये बिना ही तम्बाकू का निर्यात किया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो भारतीय निर्यातकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). सभी स्थानों को तम्बाकू के निर्यात की निर्बाध अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि तम्बाकू विदेशों में प्रतिवर्ष सरकार द्वारा अधिसूचित निम्नतम निर्यात कीमतों से कम पर नहीं बेची जा सकती। निर्यात व्यापार नियंत्रण विनियमन में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि संविदाओं पर भारत में ही हस्ताक्षर किए जाएँ। पार्टियों द्वारा अलग-अलग अंतिम रूप से तय की गई संविदाओं के संबंध में सरकार कोई जानकारी नहीं रखती।

Shri Satpal Kapur : Whether it is a fact that the minimum price of tobacco which is exported by I. L. T. D. to London is not fixed in our country because that tobacco is of x—y quality ?

श्री ए० सी० जार्ज : तम्बाकू की 11 अथवा 12 किस्में हैं और इन सबकी कीमतें वर्ष के प्रारम्भ में अर्थात् जनवरी के महीने में तम्बाकू निर्यात संवर्द्धन परिषद की प्रशासनिक समिति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

Shri Satpal Kapur : Is it a fact that a statement was published in the 'Times of India' dated the 21st Feb. 1971 in the name of Shri P. V. K. Murti, who is the Managing Director of I. L. T. D. also that our tobacco is of inferior quality and should be dumped in the East European countries ? In the ministry proposing to take over the tobacco trade in its own hands and set up a Tobacco Board ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : Yes, there was a statement like that in the paper. We have condemned it and have said that the statement is altogether wrong. The quality of our tobacco is very superior and it is in demand. Whatever the Managing Director has said, is not correct and it is very unfair on his part to say so.

Shri Satpal Kapur : You have'nt said anything about setting up a Tobacco Board.

श्री ए० सी० जार्ज : यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री के० सूर्यनारायण : कई बार हमने इस प्रश्न को उठाया है किन्तु हमेशा इसे टालने का यत्न किया गया। कभी इसकी जिम्मेदारी एक मंत्रालय पर डाली जाती है तो कभी दूसरे पर। तम्बाकू व्यापार और उद्योग की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तथा उत्पादकों की आवश्यकता पूर्त्ति हेतु क्या सरकार एक तम्बाकू बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता नहीं समझती।

श्री ए० सी० जार्ज : तम्बाकू बोर्ड के जल्दी गठित न किए जाने के कारण माननीय सदस्यों में जो असंतोष व्याप्त है उससे हम परिचित हैं। यह सच है कि इस मामले में कभी हमने अंतिम निर्णय नहीं लिया है, किन्तु मैं सदन को आश्वासन देता हूँ कि इस प्रस्ताव पर काफी विचार हो चुका है और इस पर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पिछले वर्ष तम्बाकू उत्पादन में कमी के कारण तम्बाकू के निर्यात में कुछ कमी हुई है?

श्री ए० सी० जार्ज : बात बिल्कुल इससे उलट है। पिछले वर्ष लगभग 3 करोड़ रुपये का तम्बाकू निर्यात किया गया जबकि इस वर्ष निर्यात की राशि 37 करोड़ रुपये है। तम्बाकू के उत्पादन में भी 20 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

राजस्थान नहर के लिए बजट में निर्धारित राशि में से धन का उपयोग

*177. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के लिए 1971-72 के दौरान 9·23 करोड़ रुपये ही प्रयुक्त किए जा सके हैं;

(ख) क्या कोयले और इस्पात की अपर्याप्त सप्लाई के कारण निर्माण कार्य बहुत धीमा पड़ गया था;

(ग) बजट में निर्धारित राशि में से धनराशि का उपयोग कम किए जाने के अन्य क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जनवरी, 1972 तक लगभग 5·60 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। बहरहाल, समग्र आबंटित धन-राशि के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समुपयोजन होने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं। आपातकाल के परिणामस्वरूप कोयले की सप्लाई में कमी के कारण कार्य की केवल कुछ मदें ही थोड़ी सी प्रभावित हुई थीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : राजस्थान नहर का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है और व्यास नदी का 80 प्रतिशत पानी इस समय पाकिस्तान में जा रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या आप आशा करते हैं कि यदि व्यास नदी के पानी को राजस्थान नहर में नहीं लाया जाता तो पाकिस्तान व्यास नदी के कुछ पानी पर अपने दाबे का मामला उठा सकता है ? क्या इस राजस्थान नहर का निर्माण कार्य 10 वर्ष के भीतर पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : जो पानी हमें मिल चुका है, पाकिस्तान उस पर अपना दावा नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है, तो हम इससे अधिक दावा कर सकते हैं। नदी का अधिकांश पानी जो इस समय ढलान की ओर जा रहा है, पोंग बाँध के निर्माण के बाद रोक लिया जायेगा। हम आशा करते हैं कि इस बाँध का निर्माण कार्य 1973-74 तक पूरा हो जायेगा। राजस्थान नहर का निर्माण कार्य धनराशि के अभाव में पूरा नहीं हो रहा है। हमें उतनी राशि नहीं मिल रही, जितनी कि हमें मिलनी चाहिए थी। 1973-74 के अंत तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। केवल थोड़ा सा कार्य अभी बाकी है। जहाँ तक दूसरे चरण का संबंध है, हम आशा करते हैं कि यह पाँचवीं योजना के अंत तक पूरा हो जाएगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : राजस्थान नहर के कमांड क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपये के ऋण के संबंध में सरकार विश्व बैंक से बातचीत कर रही थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है ?

डा० के० एल० राव : न तो हम ऐसे ऋण की आशा ही कर रहे हैं और न ही हमें इस धनराशि की आवश्यकता है। निर्माण पहले चरण में है। आशा है इस वर्ष 5 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी तथा अगले वर्ष तक 7-8 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी। अतिरिक्त धनराशि निःसंदेह निर्माण कार्य के शीघ्र विकास में सहायक होगी। किन्तु हम इस कारण विश्व-बैंक के ऋण पर आश्रित रहने की बात नहीं सोच रहे।

श्री अमृत नाहाटा : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान नहर नियत निर्माणावधि से दो वर्ष पीछे हैं और दूसरे चरण के लिए आबंटित की गई धनराशि पहले चरण को पूरा करने में व्यय की जा रही है। माननीय मंत्री का यह कथन बहुत आश्चर्यजनक है कि इस वर्ष के लिए आबंटित धनराशि भी पूरी व्यय नहीं हुई है, केवल आधे से भी कम व्यय हुई है, तथा बाकी कुछ दिनों में व्यय की जाएगी। क्या मंती महोदय इस बात से परिचित हैं कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्या

सरकार इस बात की जाँच कराएगी कि केन्द्र सरकार द्वारा नहर निर्माण के लिए दी गईराशि का सदुपयोग हो रहा है अथवा दुरुपयोग ?

डा० के० एल० राव : वास्तविक स्थिति इस प्रकार है। 1971-72 वर्ष के लिए 9·2 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जा चुकी है और 3 करोड़ रुपये की धनराशि अभी बाकी है। देखने में बड़ा आश्चर्य होता है कि राज्य सरकार मार्च के महीने में यह सारी 3 करोड़ रुपये की राशि कैसे व्यय करेगी। होता यह है कि परियोजना अधिकारी पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और सीमेंट निर्माताओं को तुरन्त अदायगी नहीं करते और अदायगी वर्ष के अंत तक रोक ली जाती है जबकि यह अदायगी शीघ्र की जानी चाहिए। अतः $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का समायोजन किया जाना है। वास्तविक निर्माण कार्य के लिए $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये शेष हैं और यह व्यय किए जाएँगे। अतः यह कहना ठीक नहीं कि राजस्थान नहर के लिए आबंटित धनराशि व्यय नहीं की गई। वस्तुतः इस पर और धन व्यय किया जाना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। यदि हमारे पास धनराशि उपलब्ध होती तो मैं इस निर्माणाधीन परियोजना के लिए और धनराशि अवश्य आबंटित कर देता। यह परियोजना यथाशीघ्र पूरी होनी चाहिए। जैसे ही पोंग बाँध बन जाएगा, उसका पानी राजस्थान में प्रयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन : क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने सदन में इस बारे में आश्वासन दिया था कि राजस्थान नहर निश्चित की गई समयावधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी और हिमाचल प्रदेश, जहाँ बाँध निर्माणाधीन है, से हटाए गए लोगों को 1974 तक पुनः बसा दिया जाएगा? इस बात को ध्यान में रखते हुए परियोजना में विलम्ब हो रहा है, मंत्री महोदय अपने इस आश्वासन पर कब तक टिके रहेंगे कि विस्थापित किए गए लोगों को निर्धारित समयावधि के भीतर बसा दिया जाएगा ?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य स्वयं मुसीबतों के लिए जिम्मेवार हैं। मूलतः सम्पत्ति की कीमत 18 करोड़ रुपये थी और अब यह बढ़कर 45 करोड़ रुपये हो गई है और अभी भी वह संतुष्ट नहीं हैं तथा और धनराशि चाहते हैं। यही कठिनाई है। हम सब जानते हैं कि जब पोंग बाध में पानी आ जाएगा, तो सभी लोगों को बसा दिया जाएगा। हमारी कुछ कठिनाइयाँ हैं। अब वे 18 करोड़ रुपये की धनराशि का दान कर रहे हैं। धन कहाँ से आएगा? यह धन उत्पादक कार्यों हेतु व्यय नहीं किया जा रहा। राजस्थान नहर के लिए धनराशि उपलब्ध होनी चाहिये। हम हिमाचल प्रदेश सरकार से इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि शेष एक या दो वर्षों में हमारी कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी।

कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र परियोजना

\+

*179. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र परियोजना के कार्यकरण की जाँच के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). सरकार ने कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र परियोजना के कार्य की जाँच करने के लिए अभी तक कोई समिति नियुक्त नहीं की है । तथापि, इस संबंध में अध्ययन कार्य विदेश व्यापार के भारतीय संस्थान को सौंपा गया है जिसका अंतिम प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या सरकार का विचार बंगला देश, नेपाल, बर्मा इत्यादि के लिए भारतीय साझा बाजार के ढंग पर निर्बाध व्यापार ज़ोन खोलने का है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र परियोजना के संबंध में ही प्रश्न करें ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : उन्होंने अध्ययन कार्य किसी संस्थान को सौंपा है । क्या यह संस्थान केवल कांडला ज़ोन के बारे में अध्ययन करेगा अथवा अन्य ज़ोनों के बारे में भी अध्ययन करेगा ?

श्री ए० सी० जार्ज : कांडला परियोजना इस ढंग की हमारी प्रथम परियोजना है और इस निर्बाध व्यापार क्षेत्र परियोजना के सभी पहलुओं के विकास से पूर्ण संतुष्ट होने के बाद ही हम ऐसी अन्य परियोजनाएँ बनाने का विचार करेंगे ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मंत्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि कब तक इस अध्ययन दल का प्रतिवेदन आने की संभावना है ?

श्री ए० सी० जार्ज : भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को कांडला निर्बाध क्षेत्र परियोजना के सभी पहलुओं के कार्यकरण के अध्ययन का काम सौंपा गया है । हमें आशा है कि यह अविलम्ब विस्तार से अध्ययन करेगा ।

अमरीका द्वारा एशिया-72 व्यापारिक मेले में भाग न लेना

+
*180. **श्री रण बहादुर सिंह :**
श्री पी० के० देव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने नवम्बर, 1972 में भारत में होने वाले एशिया-72 व्यापारिक मेले में भाग लेने के भारत के निमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जो इस मेले में भाग नहीं ले रहे हैं; और

(ग) मेले में भाग न लेने के लिए उन्होंने क्या कारण बताए हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) उन अन्य देशों के नाम संलग्न सूची में दिये गये हैं जिन्होंने मेले में भाग न लेने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है ।

(ग) भाग न लेने के मुख्य कारण, प्रशासनिक, तकनीकी अथवा वित्तीय अथवा वचनबद्धता बताए गए हैं ।

विवरण

उन देशों के नाम, जिन्होंने तृतीय एशियाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है ।

1. अर्जेन्टीना
2. बहरीन
3. बारबाडोस
4. कम्बोडिया
5. कोलम्बिया
6. इथोपिया
7. फिजी
8. फिनलैंड
9. गाम्बिया
10. ग्याना
11. आयरलैंड
12. आइवरीकोस्ट
13. जमैका
14. कीनिया
15. लाओस
16. लग्जमबर्ग
17. मैडागास्कर
18. मलावी
19. माल्टा
20. मैक्सिको
21. मंगोलिया
22. नीदरलैंड्स
23. उत्तर कोरिया
24. उत्तरी वियतनाम
25. नार्वे
26. पाकिस्तान
27. पनामा
28. सऊदी अरब
29. सेनेगल
30. सियरालियोन
31. सोमालिया
32. दक्षिण वियतनाम
33. दक्षिणी यमन
34. सल्तनत आफ ओमन
35. स्वीडन
36. सूरीनाम
37. तंजानिया
38. ट्रिनिडाड एंड टोबागो
39. ट्यूनिशिया
40. टर्की
41. यूगांडा
42. अपर् बोल्टा
43. ब्रिटेन
45. वेंजुएला
45. जाम्बिया

श्री रणबहादुर सिंह : क्या अन्य सरकारों ने जिन्होंने इस मेले में भाग लेने की असमर्थता प्रकट की है, उसके लिए कोई कारण बताए हैं ।

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने उन कारणों को सामान्य रूप से बता दिया है। लगभग 45 देशों ने हमारे निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, और सभी कारणों को विस्तार से बताना संभव नहीं हैं। उन्हें केवल प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय अथवा पूर्ववचनबद्धता के अंतर्गत रखा जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केरल में समुद्री कटाव को रोकने के लिए दिवारों का निर्माण

*162. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा धन का आबंटन न किये जाने के परिणामस्वरूप केरल में समुद्री कटाव को रोकने वाली दीवारों का निर्माण-कार्य अब बिल्कुल रुक गया है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकार को धन का आबंटन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). केरल सरकार ने बताया है कि कुछ समुद्र-कटाव रोधी कार्य, जिन पर राज्य में कार्य हो रहा था, बंद करने पड़े क्योंकि राज्य के बजट में किया गया प्रावधान पहले ही समाप्त हो गया था। तात्कालिक सुरक्षा उपायों पर व्यय को पूरा करने के लिए 1971-72 के दौरान राज्य सरकार ने 1·35 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता माँगी थी।

समुद्र-कटाव रोधी कार्य बाढ़-नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित है जो राज्य योजना का अंग है। चतुर्थ योजना के आरंभ से राज्यों को उनके योजना कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह विकास के किसी विशेष सैक्टर के साथ जुड़ी हुई नहीं है। इस तरह से समुद्र-कटाव रोधी कार्यों के लिए कोई पृथक्-रक्षित सहायता नहीं है। यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि योजना कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुसार वे उनके लिए समुचित मात्रा में प्रावधान करें।

1971-72 के दौरान अतिरिक्त सहायता के लिए राज्य सरकार का अनुरोध विचाराधीन है।

दस्तकारी संबंधी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

*166. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड के चेयरमैन, श्री अनिल के० चन्दा की अध्यक्षता में नियुक्त उस अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है, जिसने 1969 के मध्य में जापान का दौरा किया था और जापानी दस्तकारी उद्योगों के उत्पादन और डिज़ाइन के पहलुओं तथा जापान में भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की संभावना का अध्ययन किया था ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जून, 1970 में जापान का दौरा करने वाले अध्ययन दल के प्रतिवेदन में निम्नलिखित हस्तशिल्प की सात वस्तुएं अभिज्ञात की गई हैं, जिनकी जापान में विपणन गुंजाइश है :

1. लकड़ी पर खुदाई के काम की वस्तुएँ;
2. हाथ से छपे वस्त्र;
3. हाथ से बुने ऊनी कालीन;
4. चमड़े का हाथ का बना माल;
5. ज़री की चीज़ें;
6. बेंत तथा बाँस की चीजें; और
7. धातुओं की कलात्मक वस्तुएँ।

प्रतिवेदन में यह भी सुझाव दिया गया है कि लकड़ी की चीजों के संबंध में मेज़ों तथा पर्दों के विशिष्ट विवरण बदलने पड़ेंगे ताकि वे जापानी घरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और भारत सरकार को जापान में बहु-विभागीय स्टोरों में आयोजित विशेष संवर्धन कार्यों में भाग लेना चाहिए। तदनुसार हस्तशिल्प बोर्ड ने इन्टरनेशनल गुड लिविंग शो में भाग लिया जिसका आयोजन, टोक्यो के एक प्रधान बहु-विभागीय स्टोर में किया गया था। इस "शो" में निर्यातकों का एक दल भी भेजा गया था। इससे जो सफलता मिली और जितने आर्डर मिले वह बहुत उत्साह-वर्धक हैं। यह प्रतिवेदन राज्यों के उद्योग निदेशकों, क्षेत्रीय हस्तशिल्प निर्यातक संघों और हस्त-शिल्प के निर्यात से संबंधित सभी अन्य संस्थाओं को परिचालित किया गया था और यह आशा की जाती है कि उपर्युक्त प्रयासों के फलस्वरूप जापान को भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यातों में यथासमय काफी वृद्धि होगी।

सूती कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

*167. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सूती कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या है;

(ख) क्या यह विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा सब से कम है;

(ग) यदि हाँ, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप सूती कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) भारत 1970 में सूती कपड़े की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 13·60 मीटर थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एल्यूमीनियम संयंत्र के उपकरणों की सप्लाई के लिए भारत-रूस करार

*169. **श्री सरजू पांडे** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने मध्य प्रदेश में कोरबा में लगाए जाने वाले प्रस्तावित एल्यूमीनियम संयंत्र के लिये रूसी उपकरणों की सप्लाई के लिए रूस के साथ एक करार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) कोरबा (मध्य प्रदेश) एल्यूमीनियम परियोजना के गलाई (स्मेल्टर) तथा फैब्रिकेशन एककों के लिए अपेक्षित उपस्कर सप्लाई करने के लिये भारत एल्यूमीनियम कम्पनी (सरकारी क्षेत्र का उपक्रम) ने मै० टस्वेटमैटप्रोम-एक्सपोर्ट, मास्को (सोवियत संघ) के साथ 30-12-1971 को एक संविदा की।

(ख) इस संविदा की मुख्य बातें ये हैं :—

(1) सोवियत एजेंसी एल्यूमीनियम स्मेल्टर, शीट रोलिंग मिल शाप, फोंडरी, प्रोफाइल तथा ट्यूब शाप के लिए अपेक्षित उपस्कर सप्लाई करेगी।

(2) सोवियत एजेंसी द्वारा सप्लाई किए जाने वाले उपस्कर का कुल मूल्य 108·5 लाख रुबल है जो लगभग 9·13 करोड़ रुपयों के बराबर है।

(3) सोवियत एजेंसी उपस्कर पर काम आरंभ होने की तारीख से 12 महीने तक के लिए उपस्कर के तकनीकी सूचकांकों, और क्वालिटी तथा दोषरहित कार्यचालन की गारंटी, किसी एकक, मशीन और उपस्कर के लिए अंतिम पुर्ज़े, जिसके बिना उपस्कर न तो लगाया जा सकता है और न ही चलाया जा सकता है, की सुपुर्दगी की तारीख से 24 महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी।

(4) यदि गारंटी अवधि के भीतर, संभरणकर्ता की त्रुटि के कारण, उपस्कर दोषयुक्त पाया जाये तो सोवियत एजेंसी अपने खर्च पर, तकनीकी दृष्टि से संभव कम से कम समय में दोष को ठीक करेगी अथवा दोषयुक्त उपस्कर या उसके पुर्जे को बदलेगी।

महाराष्ट्र में बिजली की कमी

*170. **श्री राम कंवर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में और महाराष्ट्र के विभिन्न अन्य भागों में हाल ही में बिजली की कमी हो गई थी;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप उद्योग और कृषि को भारी नुकसान उठाना पड़ा; और

(ग) यदि हाँ, तो प्रभावित क्षेत्रों को बिजली की सामान्य सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). यद्यपि महाराष्ट्र, और विशेष रूप से पश्चिम महाराष्ट्र में, सभी संसाधनों को बड़े ध्यानपूर्वक प्रयोग में लाकर बिजली की कमी की स्थिति प्राय: नहीं होने दी गई है, फिर भी रिजर्व में पर्याप्त बिजली न होने के कारण हाल के महीनों में वहाँ स्थिति बड़ी चिन्ताजनक रही है। विद्युत-जनन क्षमता में मजबूरन खराबियाँ आ जाने के कारण, जैसे कि तारापुर (2 × 200 मेगावाट), नासिक (2 × 140 मेगावाट), ट्राम्बे (1 × 62·5 मेगावाट) और कोयना (540 मेगावाट) में हाल ही में समय-समय पर हुआ है, बिजली की कमियाँ आ गई थीं जिनसे उद्योग और कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इन खराबियों के समय, मध्य प्रदेश और मैसूर के सहवर्ती राज्यों से यथासंभव बिजली लेकर और पन-बिजली संसाधनों से अस्थाई रूप से अधिक बिजली लेकर, बिजली की बहुत कमी नहीं होने दी।

महाराष्ट्र में, फरवरी, 1972 के आरम्भ से (समग्र राज्य के लिए 1630 मेगावाट की कुल माँग के मुकाबले) 50 से 70 मेगावाट तक बिजली की कमी महसूस की जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप बम्बई में और टाटा-कोयना प्रणाली द्वारा सेवित क्षेत्रों में लोड शेडिंग करना पड़ा। 8 और 9 मार्च, 1972 को दो दिनों के दौरान जब कोयना चरण-तीन परियोजना के टेल रेस कार्यों पर मरम्मत का कुछ काम करने के लिए कोयना विद्युत केन्द्र से मजबूरन बन्द करना पड़ा था, तो लगभग 370 मेगावाट की कमी हो गई। 24 मार्च, 1972 को 125 से 148 मेगावाट तक लोड शेडिंग की गई।

प्रणाली पर भार को कम करने के लिए, थोड़े-थोड़े समय के लिए, बारी-बारी से, बिजली में कटौती करने के कारण औद्योगिक कृषि संबंधी तथा अन्य उपभोक्ताओं को कुछ असुविधा का सामना करना पड़ा था।

(ग) मध्य प्रदेश और मैसूर राज्यों से यथासंभव सहायतार्थ बिजली का प्रबंध किया गया है जिससे स्थिति में कुछ अच्छा सुधार हुआ। नासिक सेटों को शीघ्र चालू करने के लिए केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग से सहायता की पेशकश की गई है।

उड़ीसा राज्य की सिंचाई क्षमता

*171. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा राज्य की सिंचाई क्षमता क्या है;

(ख) क्या इसे बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग). इस समय उड़ीसा में सिचाई-शक्यता लगभग 2·2 मिलियन हैक्टेयर है। तब इसके चौथी योजना के अन्त तक 2·4 मिलियन हैक्टेयर तक बढ़ जाने की संभावना है। उस समय तक लगभग 60 प्रतिशत कुल शक्यता का समुपयोजन हो चुकेगा।

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित आनन्दपुर बराज और जोरो-हरभंगी परियोजनाओं का जाँच कर ली है और यदि आवश्यक वित्त-व्यवस्था हो सकती हो तो इसे राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पोत्तेरु बृहत् सिंचाई परियोजना और 5 मध्यम स्कीमों की जाँच हो रही है। राज्य सरकार बहुत सी नई सिंचाई स्कीमों का भी अन्वेषण कर रही है।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाना

*172. **श्री एस० एम० बनर्जी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अफगानिस्तान के साथ व्यापार राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जायेगा;

(ख) क्या इस बारे में दोनों देशों में कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग). भारत-अफगानिस्तान व्यापार में सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के प्रवेश के प्रश्न पर, नई दिल्ली में फरवरी, 1972 में अफगानिस्तान व्यापार प्रतिनिधिमंडल से हुई वार्ताओं में विचार-विमर्श किया गया था। अफगानिस्तान प्रतिनिधिमंडल की इच्छाओं के अनुसार इस बात पर सहमति हुई कि इस मामले पर और आगे विचार-विमर्श जून, 1972 की समाप्ति से पहले किया जाए।

दक्षिण गुजरात में रेलवे में सुधार

*175 **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे दक्षिण गुजरात में रेल सुधार करने के लिए अगले पाँच वर्षों के दौरान 150 करोड़ रुपये व्यय करने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सुधार करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). रेलों के आँकड़े जिनमें खर्च के आँकड़े भी शामिल हैं, रेलवे-वार रखे जाते हैं, ना कि राज्य-वार या क्षेत्र-वार। अगले पाँच वर्षों के लिए रेलवे-वार प्रत्याशित खर्च बताना संभव भी नहीं है क्योंकि प्रत्येक वर्ष के निर्माण कार्यक्रमों को केवल कुछ माह पहले ही अंतिम रूप दिया जाता है। फिर भी, एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें रेलवे के उन बड़े निर्माण कार्यों की सूची दी गयी है जो अभी चालू हैं और जो 1972-73 के बजट में शामिल किये गये हैं तथा वे पूर्णतः अथवा अशतः गुजरात राज्य में पड़ते हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1561/72]**

केरल और गुजरात में समुद्री-कटाव रोकने के कार्य के लिए मास्टर प्लान

178. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री वेकारिया :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और गुजरात में समुद्री कटाव से बचाव की समस्या एक विकट समस्या है;

(ख) क्या इन राज्यों में, समुद्री कटाव रोकने संबंधी कार्य के लिये कोई बृहत् योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इसकी संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) समुद्री-कटाव केरल के समुद्री किनारे पर ही जोर का होता है। देश के दूसरे समुद्र तटवर्ती राज्यों में, जिनमें गुजरात सम्मिलित है, समुद्री कटाव सिर्फ इने-गिने स्थानों पर ही होता है और वह भी कोई बहुत गंभीर रूप में नहीं।

(ख) और (ग). समुद्री-कटाव के अनेक कारण होते हैं, जिनमें वर्ष प्रति वर्ष बहुत अधिक परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इस संबंध में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि समुद्री कटाव कितना गंभीर होगा, इसकी क्या सीमा होगी और किन-किन स्थानों पर इसके होने की संभावना है। इसलिये जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, समुद्री कटाव रोधी उपायों के लिये एक दीर्घ विस्तार की योजना या मास्टर प्लान तैयार करना व्यवहार्य नहीं है। इसमें जो कुछ संभव है, वह यह है :—उपलब्ध आँकड़ों पर आधारित उन क्षेत्रों का निर्धारण, जहाँ समुद्री कटाव गंभीर रूप में होता हो, ऐसे क्षेत्रों में बचाव कार्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण, पहले ही अपनाये गये और सफल पाये गये उपायों की अनुपात में बँटी लागत के आधार पर ऐसे निर्माण कार्यों की लागत का मूल्यांकन और एक कार्यान्वियन-कार्यक्रम तैयार करना। केरल राज्य सरकार ने केरल में समुद्री-कटाव रोधी उपायों की एक ऐसी ही योजना तैयार की है। इसके अनुसार, राज्य के 560 किलोमीटर समुद्री किनारे में से 320 किलोमीटर में समुद्री-कटाव गंभीर रूप में होता है। अब तक लगभग 80 किलोमीटर किनारे का बचाव किया जा चुका है। पहले से ही हाथ में लिए गए निर्माण कार्यों के अनुभव के आधार पर शेष किनारे की दूरी के बचाव की लागत का अनुमान लगभग 40 करोड़ रुपये लगाया गया है। राज्य के बहुत अधिक जनसंख्या वाले समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में वर्ष प्रति वर्ष कीमती भूमि के क्षय को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि 4 करोड़ रुपये के औसत वार्षिक परिव्यय से लगभग 10 वर्षों में शेष निर्माण कार्य को अमल में लाया जाय।

देश के अन्य समुद्र तटवर्ती राज्यों में, जहाँ समुद्री-कटाव सिर्फ छोटे इलाकों में ही होता है, केरल की योजना के समनुरूप कोई योजना अभी तक तैयार नहीं की गई है और न ही इसकी आवश्यकता है। समुद्री कटाव से प्रभावित इन राज्यों में छोटे स्थानीय क्षेत्रों का बचाव करने के लिए यथावश्यक निर्माण-कार्य हाथ में लिए जाते हैं।

मध्य प्रदेश के लिए सिंचाई परियोजनाओं की मंजूरी

1246. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के लिए कितनी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी सहायता प्रदान की ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) योजना आयोग ने विगत तीन वर्षों के दौरान विकासात्मक योजनाओं में मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नई बृहत् और मध्यम सिंचाई स्कीमों को सम्मिलित करने के लिए स्वीकृति दे दी है;

बृहत् :

1. महानदी जलाशय परियोजना—चरण-एक

मध्यम :

2. कुंवरपुर
3. बारगूर
4. पुटका नाला
5. जामनी बाँध
6. मयाना तालाब

(ख) सिंचाई राज्य का विषय होती है और राज्य सरकारें सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण समस्त योजनागत परिव्ययों में से करती हैं । राज्य की योजनाओं को केन्द्रीय सहायता अनुदान और ब्लाक ऋणों के रूप में दी जाती है और उसका संबंध किसी खास सेक्टर या परियोजना से नहीं होता । 1969-70 से 1971-72 तक के तीन वर्षों के लिए राज्य में योजनागत कुल परिव्यय की राशि 206·8 करोड़ रुपये थी, जिसमें से केन्द्रीय सरकार की राशि 146·7 करोड़ रुपये है ।

स्टोर डिपुओं द्वारा एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशनों को सामान की सप्लाई

1247. **श्री वयालार रवि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में कुल कितने स्टोर डिपो हैं और केरल में कितने स्टोर डिपो हैं; और

(ख) एर्नाकुलम जंक्शन और त्रिवेद्रम सेन्ट्रल स्टेशनों को किस स्टोर डिपो से सामान सप्लाई किया जाता है और इन रेलवे स्टेशनों से इस डिपो की दूरी कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) भण्डार के 7 बड़े डिपो और 10 छोटे डिपो हैं। इनमें से एक भी केरल में नहीं है।

(ख) एर्नाकुलम जंकशन और तिरुवनन्तपुरम सेन्ट्रल को सामान्य भंडार की सप्लाई नागपट्टणम स्थित जनरल भंडार डिपो से की जाती है। रेल इंजनों, सवारी डिब्बों से संबंधित सामान लोको भंडार डिपो, मदुरै से सप्लाई किया जाता है। इन स्टेशनों के बीच की दूरी नीचे बतायी गयी है:—

नागपट्टणम् से तिरुवनन्तपुरम सेंट्रल	–	616 किलोमीटर
नागपट्टणम् से एर्णाकुलम् जंकशन	–	707 "
मदुरै से तिरुवनन्तपुरम सेन्ट्रल	–	333 "
मदुरै से एर्णाकुलम्	–	424 "

पूर्व रेलवे के मेरल, गढ़वा, रमना स्टेशनों के लिए पेय जल

1248. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पालामऊ जिले में मेरल, गढ़वा तथा रमना स्टेशनों पर पेय जल की अत्यधिक कमी है और यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है;

(ख) क्या यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार का विचार इन स्टेशनों पर नलकूप लगाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मुख्य योजना की बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) इन स्टेशनों पर गहरे कुओं की पहले से ही व्यवस्था है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली से रेवाड़ी तक यात्री गाड़ी चलाया जाना

1249. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों में भीड़भाड़ कम करने की दृष्टि से सरकार का विचार दिल्ली से रेवाड़ी (उत्तर रेलवे) के बीच एक नई यात्री गाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे कब तक चलाया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं, इतनी कम दूरी के लिए शटल गाड़ी

चलाने का न तो वित्तीय औचित्य है क्योंकि पर्याप्त गाड़ियाँ पहले से ही उपलब्ध हैं और न ही दिल्ली और रेवाड़ी में अतिरिक्त गाड़ी सम्हालने के लिए टर्मिनल क्षमता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Doubling of Delhi-Rewari Metre Gauge Railway Line (Northern Railway)

1250. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the date on which work of doubling the metre gauge railway line between Delhi and Rewari (Northern Railway) was undertaken and the expenditure incurred thereon so far;

(b) the date from which work has been suspended and with the reasons therefor; and

(c) the time by which this work is likely to be completed upto Pataudi Railway Station ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Of the 82 km. long section between Delhi and Rewari, the portion between Delhi and Delhi Sarai Rohilla (3 km) was doubled prior to 1952. Patch doubling of two other portions between (i) Delhi Sarai Rohilla to Garhi-Harsaru (37 km) and (ii) Khalipur to Rewari (11 km) was undertaken in 1956 and 1959 and completed in March and July, 1960 respectively. The expenditure incurred on the doubling of 48 km is Rs. 91·43 lakhs.

(b) There was no suspension of work.

(c) There is no proposal to double the remaining single line portion between Garhi Harsaru—Pataudi Road—Khalipur (31 km).

अजमेर और पालनपुर स्टेशनों के श्रमिक ठेकेदारों द्वारा कम संख्या में श्रमिक सप्लाई करना

1251. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर, मारवाड़ जंक्शन और पालनपुर रेलवे स्टेशनों के श्रमिक ठेकेदार द्वारा अक्टूबर, 1971 से कम संख्या में श्रमिक सप्लाई करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) अक्टूबर, 1971 से दिसम्बर, 1971 तक इन स्टेशनों पर ठेकेदारों द्वारा कितने लोडर सप्लाई किये जाने थे और कितने लोडर वास्तव में सप्लाई किये गये; और

(ग) रेलवे द्वारा ठेकेदार को प्रति मास कितनी अदायगी की जाती है और कम संख्या में श्रमिक सप्लाई करने के कारण ठेकेदार के बिलों में से कितनी धनराशि काटी गई ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) अक्टूबर, 1971 से दिसम्बर, 1971 के बीच अजमेर, मारवाड़ जंक्शन और पालनपुर स्टेशनों पर कुल जितने लोडरों की व्यवस्था की जानी थी उनकी संख्या क्रमश: 5796, 3128 और 2760 थी। ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किये गये कुल लोडरों की संख्या क्रमश: 4911, 2668, और 2516 थी ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे में यूनियनों का श्रेणीवार गठन

1252. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री गैर-मान्यता प्राप्त रेलवे यूनियनों के साथ पत्र-व्यवहार के बारे में 29 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3441 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलों में श्रेणीवार यूनियनों के गठन की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त यूनियनों के सदस्यों की शिकायतें दूर करने के बारे में बातचीत करने की सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) जैसा कि 29-6-1971 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न 3441 के भाग (क) के उत्तर में बताया जा चुका है और जिसका कि उल्लेख किया गया है, मान्यता-प्राप्त यूनियनें ही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से सामूहिक विषयों के संबंध में प्रशासन से बातचीत की जा सकती है । व्यक्तिगत शिकायतों के संबंध में यह आशा की जाती है कि ऐसे कर्मचारी जो मान्यता-प्राप्त यूनियनों के सदस्य नहीं हैं, अपनी शिकायतों का निवारण व्यक्तिगत रूप से सरकारी माध्यम से करें ।

कर्मशियल क्लर्कों की संख्या में वृद्धि

1253. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यातायात में वृद्धि के बावजूद भी कर्मशियल क्लर्कों की पद संख्या में अनुपातिक वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) भारतीय रेलवे के प्रत्येक प्रभाग में 1969 से 1971 तक, प्रत्येक वर्ष के लिये अलग से, क्रमश: माल, पार्सल और यात्री यातायात का सकल जोड़ क्या था; और

(ग) भारतीय रेलवे के प्रत्येक प्रभाग में अलग से 450-575, 370-475, 335-425, 250-380, 205-280, 150-240 और 110-200 रुपये के वेतनमानों में 1 दिसम्बर, 1969 और 1 दिसम्बर, 1971 को कुल कितने कर्मशियल क्लर्क काम कर रहे थे ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

डीजल, भाप तथा बिजली से चलने वाले इंजनों के चालकों को उपयुक्तता

1254. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री डीज़ल, भाप तथा बिजली के इंजनों में कार्य करने वाले ड्राइवरों की उपयुक्तता के संबंध में 27 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6110 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका सारांश क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण अनुबंध 'क' के रूप में सलंग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1562/72**]

दोहद रेलवे स्टेशन (पश्चिम रेलवे) पर पैदल ऊपरी पुल का विस्तार

1255. **श्री मालजी भाई परमार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष दोहद रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल का दोहद रेलवे स्टेशन के उत्तरी ओर गोदामों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि दुर्घटना न हो और जनता परेशानी से बचे; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम रेलवे में योग्यता-प्राप्त लेखापालों की ऊंचे वेतनमान में पदोन्नति

1256. **श्री मालजी भाई परमार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में ऐसे योग्यता प्राप्त लेखापालों की संख्या क्या है जो 270-540 रुपये (अधिकृत वेतनमान) के वेतनमान में पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) क्या योग्यता प्राप्त लेखापालों के उनके कार्यकाल के दौरान उक्त वेतनमान में कार्य करने के समुचित अवसर प्रदान किये जाते हैं, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त पदों के कोटे को बढ़ाने के कोई प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 180।

(ख) जी हाँ। जब कभी स्थान खाली होंगे उनकी बारी के अनुसार इस ग्रेड में पदोन्नति की जायेगी।

(ग) जी नहीं।

Zonal Railways Running at Loss

1257. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of Zonal Railways running atl oss; and

(b) the steps contemplated by Government to run them on profit in future ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The working of the following railways resulted in deficit in 1970-71 :

1. Eastern
2. Northern
3. North Eastern
4. Northeast Frontier
5. Southern.

(b) Numerous steps are being taken to maximise the earnings and curb the expenditure with a view to improve the financial results of railways.

There is an increasing emphasis on marketing survey and commercial activities. Various measures have been introduced to attract more and more high-rated traffic e. g., container service, freight forwarder scheme, station to station rates etc. Steps have also been taken to control ticketless travel.

On the expenditure side, efforts are being made to reduce the expenditure on fuel by increasing the efficiency of operation, checking thefts, pilferages and wastages, reducing the expenditure on repairs and maintenance contingencies.

These measures are gradually bearing fruit and the year 1971-72 is expected to close with a surplus.

Survey of Poverty Stricken Districts in the Country

1258. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a survey is being conducted in some of the most poverty stricken Districts of the country by 550 survey teams if so, the broad features of the scheme;

(b) the amount of expenditure likely to be incurred on the implementation of the scheme as a result of the said survey; and

(c) the number of persons likely to be benefited as a result of it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c). For undertaking developmental programmes in villages, it is essential to collect basic engineering and agricultural data which would enable preparation of scientific and viable schemes of development. With this objective in view, a Scheme of Rural Engineering Surveys has been sanctioned for undertaking surveys in 25 districts of 17 States by 550 Survey Parties. The Survey Parties will collect data of agricultural statistics, population and their income, collect and compile information regarding existing facilities for irrigation, drinking water, road communication and power supply. The preparation of contour maps at one foot intervals will also be undertaken. The requirements of Harijans and poorer sections of the villages, such as electricty for street lighting, schools and identification of house sites will also be assessed.

The districts covered by the Surveys are those where the Scheme for Rural Works Programme for chronically drought affected areas is already in operation and in States where this Scheme is not in operation, in districts where crash scheme for Rural Employment is in operation.

The Scheme is centrally sponsored and has to be implemented by the States.

The expenditure will be met by the Central Government by Grants-in-aid to the States.

The States were requested to implement the Scheme form December, 1971 and will continue to be operated for the remaining period of the Fourth Five Year Plan and the anticipated expenditure during the Plan is about Rs. 610 lakhs.

The Scheme of Rural Engineering Surveys is an employment oriented Scheme and is estimated to provide employment to about 5500 persons comprising of 1150 engineers, 600 agricultural graduates and soil conservation officers, 735 statistical, technical and scientific staff, 300 ministerial and clerical staff and about 2750 unskilled persons.

मध्य प्रदेश में बाढ़-नियंत्रण कार्यक्रम

1259. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या सिचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार ने पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश राज्य में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों पर कुल कितना व्यय किया ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : मध्य प्रदेश को राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में 1969-70 से 1971-72 के वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण स्कीमों पर निम्नलिखित व्यय हुआ :

	(लाख रुपये)
1. 1969-70	3·08
2. 1970-71	6·02
3. 1971-72 (प्रत्याशित)	10·00
कुल :	19·10

पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों का बन्द होना

1260. **श्री एच० एम० पटेल** :
डा० रानेन सेन :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों के फिर से खोले जाने का विचार है और यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या उसमें से किसी मिल को सरकार द्वारा अधिकार में लिया जायेगा और यदि हाँ, तो किस-किस मिल को ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). समाप्त करने योग्य मिलों को छोड़कर परन्तु एक शक्तिचालित करघा एकक को मिलाकर पश्चिम बंगाल में जनवरी, 1972 के अन्त में 14 सूती वस्त्र मिलें बन्द पड़ी थीं। इन मिलों में से 12 के प्रबन्ध को अपने नियंत्रण में लेने के प्रश्न पर सरकार विचार करती रही है और उनके विषय में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(1) 4 मिलों (एक शक्तिचालित करघा एकक को मिलाकर) के प्रबन्ध को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18-क के अधीन हाथ में ले लिया गया है और उनके यथासम्भव शीघ्र पुनः चालू हो जाने की आशा है।

(2) 4 मिलों के मामलों की जाँच उपर्युक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन की जा रही है और इन मिलों के प्रबन्ध को हाथ में लिये जाने के प्रश्न पर विचार, जाँच समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर किया जाएगा।

(3) एक और मिल के पुनः चालू करने की सम्भाव्यता के बारे में जाँच करने के लिए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 15-क के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(4) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18-क के अधीन एक एकक के प्रबन्ध को हाथ में लेने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

(5) एक मिल के मामले में जाँच कार्यवाही को रोक दिया गया है क्योंकि कम्पनी ने अपेक्षित वित्त प्राप्त कर लिया है।

(6) एक मिल के मामले में उपर्युक्त अधिनियम के अधीन जाँच करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि यह मामला इस लायक नहीं है कि इस कम्पनी के प्रबन्ध को हाथ में लिया जाए।

पश्चिम रेलवे में बोरीवली में न्यू कट रिले इन्टरलाकिंग सिस्टम आरम्भ करना

1261. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोरीवली (पश्चिम रेलवे, बम्बई डिवीजन) के सहायक स्टेशन मास्टरों को कार्य समझे बिना ही 8 नवम्बर, 1971 को न्यू कट रिले इन्टरलाकिंग सिस्टम आरम्भ करने के आदेश दिये गये थे;

(ख) क्या इस कार्य के लिए मैसर्स साइमैन (स्थापक फर्म के इंजिनियरों) के परामर्श के अनुसार उनके द्वारा की गई 8 सहायक स्टेशन मास्टरों की माँग करने पर उन्हें कठोर दण्ड की धमकी दी गई थी;

(ग) क्या उनके अभाव में संचालन विनियमों का अतिक्रमण करते हुए ऐसे स्विच-मैनों तथा अन्य कर्मचारियों को कार्य पर लगाया गया जिनके पास योग्यता के प्रमाण पत्र नहीं थे; और

(घ) क्या सहायक स्टेशन मास्टरों के अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा क्या अकुशल कर्मचारियों द्वारा रेलगाड़ियाँ चलाये जाने के कारण रेलगाड़ियों को रुके रहना पड़ा और यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). जी नहीं ।

(घ) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

मंडल अधीक्षक कार्यालय, इलाहाबाद (उत्तर रेलवे) के यात्री टिकट परीक्षक (टी० टी० ई०) द्वारा झूठे यात्रा भत्ता बिल पेश करना

1262. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडल अधीक्षक कार्यालय, इलाहाबाद (उत्तर रेलवे) के कमर्शियल अनुभाग में काम कर रहे एक यात्रा टिकट परीक्षक (टी० टी० आई०) ने उक्त कार्यालय के कमर्शियल अनुभाग के सम्बद्ध सहायक की सांठगांठ तथा सहायता से 2 वर्षों अर्थात 1969 तथा 1970 में यात्रा भत्ते के झूठे बिलों के दावे प्रस्तुत किये थे;

(ख) क्या दस्तावेजों से यह सिद्ध हो चुका है कि झूठे यात्रा भत्ते के दावों के लिए अधिक किराया टिकट पुस्तकों के खाली फार्मों में हेर-फेर करके किया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) इस प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई है ।

(ख) और (ग). शिकायत पर जाँच की जा रही है । जांच पूरी हो जाने पर कार्रवाई की जायेगी ।

पटसन के निर्यात में कमी

1263. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री पी० के० देव :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जब कि पटसन के बोरों आदि के लिए अमरीकी मंडी भारत के हाथ से जाते रहने की संभावना है;

(ख) गत तीन वर्षों में अमरीका को पटसन के बोरों आदि के निर्यात में किस सीमा तक कमी हुई है; और

(ग) क्या पटसन के निर्यात के लिये सरकार नई मंडिया ढूंढ सकी है और इसके फलस्वरूप हमारी निर्यात क्षति किस सीमा तक पूरी हो गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं, यद्यपि यह सच है कि संश्लिष्टों से पटसन से लिए गम्भीर संकट पैदा हो गया है ।

(ख) अमरीका को हेसिअन का निर्यात, जिसका प्रयोग अधिकांशतः पैकेजिंग के लिए किया जाता है, 1968-69 में 114,800 में० टन से गिरकर 1970-71 में 58,900 मे० टन रह गया । तब से, 1971-72 में निर्यातों में सुधार हुआ है ।

(ग) जी हाँ, । उत्पादन के विविधीकरण में सफलता मिली है । कालीन के पीछे लगने वाले कपड़े के निर्यात 1968-69 में 199,500 मे० टन की तुलना में 1971-72 में लगभग 250,000 मे० टन होने की आशा है । पटसन से बनी सजावटी वस्तुओं के निर्यात भी बढ़ाये जा रहे हैं । इनमें से अधिकांश निर्यात संयुक्त राज्य अमरीका के बाजार को किए जा रहे हैं ।

इलाहाबाद डिवीजन में साईडिंग्ज के साथ किए गए करार की क्रियान्विति न करने के कारण रेलवे को हुई वित्तीय हानि

1264. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद डिवीजन में कार्य कर रही निजी तथा सहायता-प्राप्त साईडिंग्ज के नाम क्या हैं और ये कब से कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या इन साईडिंग्ज के मालिक के साथ कोई करार नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को वित्तीय हानि हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है जिनकी असावधानी के कारण रेलवे को यह हानि उठानी पड़ी है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1563/72]** इलाहाबाद मण्डल की कुल साइडों में से 47 के संबंध में करार पहले ही निष्पादित हो चुके हैं और केवल सात साइडिंगों, अर्थात् विवरण की मद सं० 39,41,49, 50,52,53 और 54 पर करार निष्पादन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस लेखे में रेल प्रशासन को कोई वित्तीय हानि नहीं हो रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Financial Assistance to Export-oriented Textile Mills

1265. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have fomulated a scheme to provide financial assistance to the export oriented textile mills; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving salient features of the scheme is attached.

Statement

Salient features of the scheme for financial assistance for modernisation of export-oriented cotton textile mills

(1) The scheme will cover only those cotton textile units irrespective of whether they are composite, weaving or spinning mills, which exported more than 15% of their production during each of the last two financial years;

(2) The Industrial Finance Corporation will handle all applications for loans for modernisation that may be received from export-oriented units of the Cotton Textile Industry;

(3) The Industrial Finance Corporation will apply their normal criteria for determining economic and technical viability of the applicant units as well as for security for loans;

(4) The period of repayment of the loans will be 15 years including a moratorium of 3 years, and this period of 15 years may, on the merits of each case, be extended to 18 years in suitable cases. Repayment will be made in

equal half-yearly instalments after the moratorium is over. Interest will, however be paid half-yearly without any moratorium;

(5) The margin for loans to be granted to export-oriented units for cotton textile industry by the Industrial Finance Corporation will be 25%;

(6) The Central Government will give guarantees to Industrial Finance Corporation for 80% of the losses that may be suffered by the Corporation in respect of loans that may be granted by it to individual mills;

(7) A concessional rate of interest, i. e., 1% below the normal rate, will be charged by the Industrial Finance Corporation from those units the working results of which during the past three financial years show profit below 12% of capital employed and the projections of the working of which during 4 or 5 financial years after implementing the modernisation programme also show similar profits. However, where the profit of a particular unit during the last three financial years exceeds 12% of the capital outlay and where, therefore, these units concerned will *ab initio* not be eligible for the subsidy on interest at 1% there will be no bar to other concessions being granted to such units, namely, reduced margin for loans, Government guarantee for losses, etc., admissible under the scheme. Further, once a mill has been admitted to the benefit of 1% concession in interest rate, such a concession will not be denied to the unit at a later stage, if the return exceeds 12%. A watch should, however, be kept on the working of such units which are having a profit of more than 12%, with a view to encourage them to increase their exports;

(8) An undertaking will be obtained by the Industrial Finance Corporation from each mill eligible for the concessional rate of interest that it will maintain export at 15% of its production or above in each financial year during the period of the loan(s) and that, in case it fails to do so in any financial year, it will not be eligible for the concessional rate of interest during the next financial year. However, if the shortfall is made up in the next financial year, the question of allowing the subsidy could be considered for the future years. Further, Government will have the right to take over yarn and/or cloth equal to the shortfall of export obligation at an international competitive export price from the unit concerned and have it exported through some other agency;

(9) To enable the Industrial Finance Corporation to determine the cases in which the concessional rate is not to be granted to any mill, the Textile Commissioner will furnish to the Industrial Finance Corporation by the 30th June every year, a certificate about the export performance during the previous financial year of each mill to which loans have been granted by the Industrial Finance Corporation previously;

(10) The Central Government will subsidise the concessional rate of interest;

(11) Applications will be invited periodically by the Textile Commissioner and these applications will be on the relevant forms prescribed by the Industrial Finance Corporation and will be submitted through the Textile Commissioner, with such further documents and information as may be prescribed in the notice calling for applications, or by the Textile Commissioner, or by the Industrial Finance Corporation; and

(12) The applications will be processed by the Textile Commissioner in the order of the export performance of the applicant mills and forwarded to the Industrial Finance Corporation, together with his recommendations regarding the grant of loans and, if admissible, the concessional rate of interest.

केन्द्र द्वारा रबड़ की खरीद

1266. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पिछले वर्ष केरल में खुले बाजार से कितने मूल्य का रबड़ खरीदा;

(ख) इससे रबड़ उद्योग का संकट कहाँ तक टल सका है; और

(ग) क्या इस वर्ष भी इसी नीति का अनुसरण किया जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चूँकि निर्माताओं द्वारा कम मात्रा में स्वदेशी रबड़ उठाये जाने के कारण इसकी कीमतों में गिरावट आई थी, इसलिये अक्तूबर 1970 में राज्य व्यापार निगम से रबड़ क्रय कार्य करने के लिए कहा गया। कोचीन, कोट्टायम, कालीकट और पाराकोडे में निगम के चार केन्द्र हैं तथा रबड़ क्रय कार्य चल रहा है। रबड़ क्रय कार्यों के लिए केरल सरकार को दिसम्बर, 1971 में 2·5 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था तथा लघु उपजकर्ताओं से रबड़ खरीदने के लिए अब तक पचास-पचास लाख रुपये की दो किस्तें दे दी गई हैं।

वर्ष 1971 के दौरान, राज्य व्यापार निगम तथा केरल राज्य सरकार द्वारा 6·53 करोड़ रु० मूल्य का रबड़ खरीदा गया।

(ख) तथा (ग). रबड़ की कीमतों में अधिसूचित स्तर तक सुधार नहीं हुआ है। तथापि थोक में प्रति 100 किग्रा० रबड़ के लिए दिसम्बर 1971 में चल रही 375 रु० की कीमत, 21-3-1972 को बढ़कर 465 रु० प्रति 100 किग्रा० हो गई। रबड़ बाजार में राज्य व्यापार निगम के साथ-साथ, दिसम्बर, 1971 में केरल राज्य सरकार के प्रवेश से रबड़ उद्योग को सहायता मिली है और आशा है कि इससे रबड़ की कीमतें स्थिर हो जायेंगी।

कच्चे काजू के वितरण के बारे में शिकायत

1267. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कच्चे काजू के वितरण के बारे में भारतीय काजू निगम की नीति के विषय में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो वह शिकायत क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ ।

(ख) कच्चे काजू का वितरण पार्टियों के विगत निर्यात निष्पादन के आधार पर किया ही जाना चाहिए ।

(ग) भारतीय काजू निगम की स्थायी सलाहकार समिति ने, जिसमें इस उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, ने मामले का पुनर्विलोकन किया है और यह सिफारिश की है कि ये कच्चे काजू के वितरण के विषय में वर्तमान नीति जारी रखी जाये । सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है ।

केरल के हथकरघा उद्योग का पुनर्गठन

1268. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से कोई ऐसी व्यापक योजना प्राप्त हुई है जिसमें हथकरघा उद्योग के पुनर्गठन का प्रस्ताव है और केन्द्रीय सहायता की माँग की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). केरल में हथकरघा उद्योग के पुनर्गठन के संबंध में कतिपय प्रस्थापनाएँ जून, 1971 में प्राप्त हुई थीं । इन प्रस्थापनाओं की मुख्य बातें इस प्रकार थीं :

(1) भारतीय रिजर्व बैंक की हथकरघा वित्त-पोषण योजना के अन्तर्गत हथकरघा सहकारी समितियों को दिये जाने वाले कार्यकारी पूँजी ऋण की मात्रा को संबंधित समिति के पिछले वर्ष के व्यवसाय के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत के बराबर कर दिया जाना चाहिए;

(2) केरल के हथकरघा वित्त निगम को 9 50 लाख रु० राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वह बन्द पड़ी हथकरघा फैक्टरियों को पुनः शुरू कर सके; और

(3) राज्य सरकार को ऋणों तथा अनुदानों के रूप में 1·375 करोड़ रु० की राशि दी जानी चाहिए ताकि वह सहकारी क्षेत्र में अतिरिक्त हथकरघे स्थापित कर सके और विद्यमान सहकारी समितियों को अर्थक्षम एकक बना सके ।

2. उपर्युक्त प्रस्थापनाओं की जाँच की गयी थी और उनके संबंध में वर्तमान स्थिति क्रमानुसार नीचे दी जाती है :

(1) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके विचार करने के लिए यह प्रस्थापना अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को भेज दी गई है । बोर्ड के विचारों और/अथवा सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(2) केरल का हथकरघा वित्त निगम पुनर्वित्त-पोषण सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कसौटी को पूरा नहीं करता । अतः निगम द्वारा अपेक्षित पुनर्वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।

(3) राज्य की वार्षिक योजनाओं के आधार पर योजनागत स्कीम के विकास के लिए पहले से ही जो केन्द्रीय सहायता दी जा रही है उसके अतिरिक्त राज्य को अन्य किसी सहायता का दिया जाना संभव नहीं पाया गया है ।

उच्चतम न्यायालय के लम्बित मामलों के निबटारे के बारे में विधि आयोग की रिपोर्ट

1269. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधि आयोग ने सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट दी है जिसमें कि उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की समस्या से निपटाने के उपाय सुझाए गए हैं और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : उच्चतम न्यायालय में बकाया मामलों की समस्याओं को निपटाने के लिए उपाय सुझाने वाली कोई विस्तृत रिपोर्ट विधि-आयोग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है । उच्चतम न्यायालय से संबंधित कतिपय साधारण सिफारिशें उसके द्वारा 'न्यायिक प्रशासन का सुधार' पर दी गई अपनी 14 वीं रिपोर्ट के अध्याय 5 में की गई थी । यह रिपोर्ट 1953 में प्रस्तुत की गई थी । इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और अपेक्षित कार्यवाही कर दी गई थी ।

काकद्वीप में कपास बेलने का कारखाना लगाना

1270. **श्री माधुर्य्य हाल्दार** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकद्वीप में कपास बेलने का कारखाना स्थापित हो गया है;

(ख) कारखाने की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) उस कारखाने में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कितना कपास बेला जायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० ए० सी० जार्ज) : (क) निर्माण कार्य चल रहा है और आशा है कि वह कपास के आगामी विपणन मौसम के आरम्भ होने से पहले पूरा हो जायेगा ।

(ख) 2·2 लाख रुपये ।

(ग) मिल में 40 आदमी काम पर लगाये जायेंगे और पाँच महीने के लिए 2 पालियों में इसकी कुल कार्य क्षमता 2000 मे० टन होगी ।

रेलगाड़ियों में यात्रियों को पहले से पका और पहले से पैक आहार सप्लाई करना

1271. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे ने रेल गाड़ियों में यात्रियों को पहले से पका और पहले से पैक आहार सप्लाई करने की जो योजना लागू की है क्या सरकार का विचार उसे अन्य सभी जोनों में लागू करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). 3 अप 4 डाउन फ्रंटियर डाकगाड़ी के यात्रियों को पहले से पका और पहले से पैक किया गया आहार सप्लाई करने के लिए एक पायलट योजना शीघ्र ही लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना को रेलों की अन्य गाड़ियों पर लागू करने का प्रश्न इस परीक्षण के परिणामों और इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कितना पसंद किया जाता है।

टैरिफ आयोग के कार्यकरण में सुधार

1272. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टैरिफ आयोग के कार्य के क्षेत्र और उसकी प्रभावशालिता को सुधारने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है और क्या सुधार किए जाने हैं; और

(ग) इस समय इस विषय की क्या अवस्था है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). टैरिफ आयोग के कार्य तथा क्षेत्र की पुन: व्याख्या करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

राज्यपालों के लिए रेलवे के विशेष सैलून

1273. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यपालों के अपने विशेष रेलवे सैलून हैं; और

(ख) उनके रख-रखाव पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) तीन ।

(ख) प्रत्येक सैलून के लिए लगभग 9,000 रुपये ।

Electrification of Bhilwara

1274. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have formulated any scheme for the electrification of Bhilwara;

(b) if so, the expenditure liekly to be incurred thereon; and

(c) the number of persons likely to be benefited by the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c). The Rural Electrification Corporation, a public sector undertaking of the Government of India has sanctioned in February 1972, one scheme of the Rajasthan State Electricity Board relating to three Panchayat Samities of Sahara, Mandal and Raipur of Bhilwara District. The scheme invloves loan assistance of Rs. 60·5 lakhs for the electrification of 45 villages, with a population of about 24,200 (1961 Census), electrification of 1818 irrigation pumpsets and provision of power connections to 101 agro industries/small scale industries.

Increase in Number of Sleeper Coaches in Metre Gauge Trains of Northern Railway

1275. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to increase the number of sleeper coaches in the metre gauge trains of the Northern Railway; and

(b) if so, whether the number of sleeper coaches will be increased on the other railways as well ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b). Yes, it is an accepted policy to provide more and more sleeper coaches on Trunk line long distance trains.

सस्ते दामों पर मेवे उपलब्ध करने के उपाय

1276. **श्री निहार लास्कर :** क्या **विदेश** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेवे के व्यापार को कुछ हाथों में इकट्ठा हो जाने को समाप्त करने और इस व्यापार से मुनाफाखोरों और बिचौलियों को खत्म करने हेतु सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है; और

(ग) जनता को मेवे सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). मेवों का

आयात भारत में मुख्यत: अफ़गानिस्तान से किया जाता है । यह सुनिश्चित करने के लिये कि मेवों का व्यापार थोड़े से लोगों के हाथों में केन्द्रित न रहे, नई दिल्ली में 20 फरवरी, 1972 को हस्ताक्षरित भारत-अफ़गानिस्तान व्यापार व्यवस्था के उपबन्धों के अन्तर्गत अफ़गानिस्तान से मेवों का आयात अब केवल "स्वीकृत आयातकों" तक ही सीमित नहीं रहेगा । यह निश्चय किया गया है कि कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अफ़गानिस्तान से मेवों के आयात के लिये किसी भी व्यक्ति द्वारा दिये गये आवेदनपत्र पर विचार किया जाये । आशा है कि इससे भारत में मेवों की कीमतें कम होंगी और अफ़गानिस्तान को किये जाने वाले भारत के निर्यातकों में भी विविधता आयेगी ।

सिंचाई कार्यों को वित्तीय सहायता देने हेतु संसाधनों की वृद्धि करने के लिए सिंचाई उपकर

1277. **श्री निहार लास्कर :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई आयोग ने सिंचाई कार्यों को वित्तीय सहायता देने हेतु संसाधनों की वृद्धि करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए सिंचाई उपकर लगाने का समर्थन किया है;

(ख) क्या किसी अन्य समिति ने भी इसी प्रकार के उपाय की सिफारिश की थी; और

(ग) इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) सिंचाई आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) भारत सरकार द्वारा 1964 में स्थापित निजलिंगप्पा समिति ने सिफारिश की थी कि जल दरें किसानों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त शुद्ध लाभ के 25 से 40 प्रतिशत तक आरंभ में निर्धारित कर दी जाएं और जहाँ अतिरिक्त शुद्ध लाभ संबंधी ऐसे आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पर ये जल दरें, किसानों की सकल आय के 5 से 12 प्रतिशत तक निर्धारित कर दी जाएँ । समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि उन राज्यों में जहाँ सिंचाई शुल्क वैकल्पिक हैं, वहाँ समस्त कृष्य कमानगत क्षेत्र में इतना शुल्क लेना चाहिए जिससे कम से कम रखरखाव और प्रचालन संबंधी खर्चा पूरा हो जाए । वास्तविक सिंचाई करने पर, क्षेत्र के संबंध में दिया गया यह सुविधा शुल्क, वर्ष के लिए कुल सिंचाई हेतु देय-राशि से काट लेना चाहिए और इसे जल दरों का एक भाग समझ लेना चाहिए ।

(ग) निजलिंगप्पा समिति के ये सुझाव राज्य सरकारों को उनके द्वारा अंगीकरण के लिए भेज दिए गये थे । जल दरों में वृद्धि के प्रश्न के संबंध में राज्य सरकारों के साथ विभिन्न स्तरों पर कई बार विचार-विमर्श किया गया । अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए और पहले से स्वीकृत नीतियों का पालन करते हुए, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे जल दरें उचित तरीके से निर्धारित करें ताकि रखरखाव और प्रचालन के खर्च को पूरा किया

जा सके और इसके साथ-साथ $2\frac{1}{2}\%$ ब्याज भी मिल जाए और संक्रमणकालीन अवधि के लिए व्यवस्था करके आवर्द्धित दरें वसूल की जाएँ ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को गये अध्ययन एवं विक्रय दल की रिपोर्ट

1278. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या **विदेश** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चार गैर-सरकारी निर्यातकों के अध्ययन एवं विक्रय दल द्वारा, जिसने भारतीय हस्तकला उत्पादकों के लिये बाजारों का पता लगाने के उद्देश्य से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का दौरा किया था, प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : एक विवरण संलग्न है ।

जापान का दौरा करने वाले अध्ययन तथा बिक्री दल का प्रतिवेदन

1279. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या **विदेश** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दस्तकारी विकास आयुक्त श्री एस० के० गुहा के नेतृत्व में बिक्री तथा अध्ययन दल, जिसने जुलाई, 1970 में जापान का दौरा किया था, द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : हमारे निर्यातों को बढ़ाने के लिये प्रतिवेदन में दिये गये सुझाव क्षेत्रीय हस्तशिल्प निर्यातक संघों, राज्य सरकारों और हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात से संबंधित सभी अन्य संस्थाओं को पारिचालित कर दिये गये थे ताकि वे जापान के बाजार की परिस्थिति और वहाँ के लिये निर्यात की संभावना के बारे में अवगत हो सकें । इसके अलावा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के बाजार विस्तार केन्द्रों को जापानी डिजाइन संस्थान के समान हस्तशिल्प सेवा केन्द्रों के रूप में काम करने के लिये अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं ।

पटना सिटी रेलवे स्टेशन में विश्राम कक्षों और शयन कक्षों की उपलब्धता

1280. **श्री मुहम्मद जमीलुरहमान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर विश्राम कक्ष और शयन कक्ष तथा प्रतीक्षालय यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर विश्राम-कक्ष नहीं हैं । यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्व रेलवे ने अपने 1971-72 के निर्माण-कार्यक्रम में दो खाटों वाले एक विश्राम-कक्ष और 4 खाटों वाले एक बड़े कमरे की व्यवस्था की है । पटना सिटी स्टेशन पर यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतीक्षालयों में स्थान पर्याप्त समझा गया है ।

पटना सिटी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण का दौरा

1281. **श्री मुहम्मद जमीलुरहमान** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना सिटी रेलवे स्टेशन के प्रभारी डिवीजनल अधीक्षक स्टेशन का निरीक्षण दौरा करते रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो यह दौरा कब किया गया था ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) अप्रैल 1971 से आज तक की अवधि में मण्डल अधीक्षक ने पटना सिटी रेलवे स्टेशन का बार बार अर्थात् 19-6-1971, 21-6-1971, 8-7-1971 और 11-12-1971 को निरीक्षण किया।

उद्योग गृहों को जारी किये गये निर्यात लाइसेंस

1282. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के दौरान, विशेषतया टाटा बन्धुओं, साहू जैन, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, बिड़ला तथा डी० सी० एम० सहित, 20 बड़े-बड़े उद्योगों को कितने निर्यात लाइसेंस दिये गये; और

(ख) ये लाइसेंस कितने कितने मूल्य के थे तथा कितनी अवधि के लिये जारी किये गये थे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जिस नाम में कारोबार चलाया जाता है उसी नाम में निर्यात लाइसेंस जारी किये जाते हैं, उस व्यक्ति/व्यक्तियों/समूहों या सदनों के नाम में नहीं, जो कारोबार के मालिक होते हैं। कारोबार पर नियंत्रण रहते हैं। अत: जो जानकारी माँगी गई है वह नहीं रखी जा रही है। तथापि, आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन द्वारा जारी किये गये सभी लाइसेंसों के विवरण, औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

विभिन्न कम्पनियों को आयात लाइसेंस जारी करना

1283. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा, साहू जैन, डालमिया, बिड़ला और महेन्द्रा एंड महेन्द्रा को वर्ष 1970-71 में कितने आयात लाइसेंस जारी किए गए थे और प्रत्येक लाइसेंस का मूल्य कितना था; और

(ख) आयात आधार पर कितने लाइसेंस दिये गये थे और इन लाइसैंसों को देने के क्या कारण थे ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). जिस नाम में कारोबार चलाया जाता है, उसी नाम में आयात लाइसेंस जारी किए जाते हैं, उस व्यक्ति/व्यक्तियों/समूहों या सदनों के नाम में नहीं, जो कारोबार के मालिक होते हैं/कारोबार पर नियंत्रण रखते हैं। अतः जो जानकारी माँगी गई है वह नहीं रखी जा रही है। तथापि, आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन द्वारा जारी किए गए सभी लाइसेंसों के विवरण (किन्तु इस बात का भेद किए बिना कि वे आयात आधार पर जारी किए गए थे या नहीं) औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

पूर्व रेलवे के गढ़वा और गढ़वा रोड स्टेशनों के लिए माल डिब्बों का कोटा

1284. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में पलामऊ जिले में (पूर्व रेलवे) गढ़वा और गढ़वा रोड रेलवे स्टेशनों से वर्षवार कितने माल डिब्बों का लदान हुआ;

(ख) क्या इन रेलवे स्टेशनों के लिए नियत किए गए माल डिब्बों के मासिक कोटे से वहाँ की माँग पूरी ही जाती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन रेलवे स्टेशनों के लिए माल डिब्बों के कोटे में वृद्धि करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 1970 और 1971 के दौरान गढ़वा और गढ़वा रोड स्टेशनों से लादे गये माल-डिब्बों की संख्या इस प्रकार है—

	1970	1971
गढ़वा	1197	879
गढ़वा रोड	960	886

(ख) इन स्टेशनों से माल यातायात को ढोने के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है क्योंकि किसी भी स्टेशन के लिए माल-डिब्बों का कोटा निर्धारित नहीं किया जाता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। इन स्टेशनों से होने वाले माल यातायात की ढुलाई माल डिब्बों की उपलब्धता के आधार पर उग्रता के अनुसार की जाएगी।

पूर्व रेलवे के बाल हाई स्कूल, खागौल (दानापुर) का दर्जा बढ़ाया जाना

1285. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खागौल (दानापुर) में रहने वाले पूर्व रेलवे के कर्मचारियों को अपने बच्चों को पटना, वीहटा और अरहा के कालेजों में दाखिला दिलाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार पूर्व रेलवे के बाल हाई स्कूल, खागोल (दानापुर) का दर्जा इन्टरमीजियेट कालेज स्तर तक बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों के पुत्रों और आश्रितों के लिए सेवा के अवसर

1286. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के पुत्रों और आश्रितों को रेलवे सेवाओं में रोजगार के लिए पहले विशेष तरजीह दी जाती थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पुत्रों और आश्रितों को रोजगार के मामले में अब भी विशेष तरजीह दी जाती है;

(ग) क्या रेलवे कर्मचारियों के पुत्र और आश्रित बहुत अधिक संख्या में बेरोजगार हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार रेलवे सेवाओं में उन्हें फिर वैसी ही तरजीह देने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). संविधान लागू हो जाने के बाद नौकरी पर रखने के मामले में रेल कर्मचारियों के पुत्रों और आश्रितों को कोई प्राथमिकता देना अनुमेय नहीं है ।

(ग) आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति के अवसर

1287. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने यह प्रयोगात्मक निर्णय किया है कि सहायक स्टेशन मास्टरों की आर० टी० ए० के पदों पर तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों (गार्ड आदि) की स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों जैसे उच्च पदों पर पदोन्नति नहीं की जाये;

(ख) क्या आल इण्डिया रेलवे मैन्स फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवे मैन संस्थाओं के नामजद व्यक्तियों और प्राधिकारियों द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित उप-समिति

ने स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति के अवसरों के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में रेलवे बोर्ड के नवीनतम आदेश क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). संयुक्त परामर्श तंत्र के अधीन विभागीय परिषद द्वारा बनायी गयी उप-समिति की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, एवज़ी परिवहन सहायकों की पद्धति जो पूर्व, उत्तर और दक्षिण पूर्व रेलों पर प्रचलित है, समाप्त करनी होगी। इस आशय के आदेश जारी किए जा रहे हैं कि 250-380 रुपये (प्रा० वे०) और इससे निचले वेतनमानों के स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर के पद निचले वेतनमानों में काम कर रहे स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों की पदोन्नति द्वारा भरे जायें लेकिन शर्त यह है कि 250-380 रुपये (प्रा० वे०) वेतनमान के 25 प्रतिशत रिक्त स्थान यातायात शिक्षुओं की सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण

1288. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश व्यापार के राष्ट्रीयकरण का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). सरकार की यह नीति है कि देश के आयात व निर्यात में राज्य अभिकरणों के योगदान को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए। आयात-व्यापार का लगभग 70 प्रतिशत तथा निर्यात-व्यापार का 10 प्रतिशत से अधिक भाग राज्य व्यापार अभिकरणों के माध्यम से मार्गीकृत किया जा चुका है। सरकार मार्गीकरण की उपयुक्तता के दृष्टिकोण से विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन करती रही है और राज्य अभिकरणों के माध्यम से जितने अधिक विदेश व्यापार का मार्गीकरण संभव हो सकेगा, उतने का वह मार्गीकरण करेगी।

फतहपुर रेलवे स्टेशन पर जलपान गृह ठेकेदार द्वारा जमानत की राशि जमा कराना

1289. **श्री एस० एम० बनर्जी** :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फतहपुर रेलवे स्टेशन (इलाहाबाद डिवीजन) के जलपानगृह के ठेकेदार ने वर्ष 1969 और पहले के वर्षों के लिए डिवीजनल अधीक्षक के कार्यालय के वाणिज्यिक विभाग के संबंधित सहायक को जमानती धन जमा कराया था और क्या इसको रेलवे खजाने में जमा नहीं किया गया था;

(ख) क्या ठेकेदार वर्ष 1969 और उसके पूर्ववर्ती वर्षों में भी जलपान गृह चलाता रहा था;

(ग) यदि हाँ, तो उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या इस मामले की कोई जाँच की गई है और यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ). फतहपुर रेलवे स्टेशन के भोजनालय का ठेका 1-2-1967 से मैसर्स एच० आर० चौपड़ा एण्ड संस को दिया गया था। ठेकेदारों ने जमानत की रकम जमा नहीं की और जब उनसे जमा रकम का ब्यौरा माँगा गया तो उनके द्वारा यह सूचित किया गया कि उन्होंने जमानत की रकम इलाहाबाद मंडल कार्यालय के किसी हैडक्लर्क को दे दी थी। रेल प्रशासन द्वारा इस मामले की जाँच की गयी लेकिन ठेकेदार का यह बयान कि उसने रकम मंडल अधीक्षक कार्यालय के किसी क्लर्क को दे दी थी, साबित नहीं हुआ। ठेकेदार द्वारा काम शुरू करने से पहले जमानत की रकम जमा की गयी या नहीं इस बात पर निगाह न रखने के लिए उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जमानत की रकम और रेलवे की अन्य देनदारियां ठेकेदार से वसूल की जा रही हैं। इस प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति रोकने के लिये उत्तर रेल प्रशासन द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई भी की गयी है।

भारत और उत्तरी कोरिया के बीच व्यापार

1290. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 में भारत और उत्तरी कोरिया के बीच हुए व्यापार की तुलना में वर्ष 1971 में यह व्यापार कितना हुआ है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विभिन्न न्यायालयों और संबंधित विभागों को विधियों के हिन्दी पाठ देना

1291. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्यतः समूचे देश के तथा विशेषकर केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में विभिन्न न्यायालयों को विधियों के हिन्दी पाठ देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि न्यायाधीश संघ की राजभाषा में अपने निर्णय लिखना चाहें तो क्या उसके लिए उन्हें स्टेनोग्राफरों की सहायता की सुविधाएँ दी जा रही हैं; और

(ग) पुलिस तथा अन्य संबंधित विभागों को विधियों के हिन्दी पाठ उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीति राज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). विधि और न्याय मंत्रालय में राजभाषा (विधायी) आयोग केन्द्रीय अधिनियमों आदि के प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद तैयार करता है और ये अनुवाद राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के उपबन्धों के अनुसरण में राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन शासकीय-राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। ये अनुवाद विक्रयार्थ होते हैं और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/न्यायालयों/पुलिस और अन्य विभागों द्वारा, जिन्हें इनकी आवश्यकता हो, प्रबन्धक, भारत सरकार प्रशासन शाखा, दिल्ली से खरीदे जा सकते हैं।

(ख) न्यायाधीशों को हिन्दी में निर्णय लिखने के लिए समर्थ बनाने के संबंध में न्यायालयों में की जाने वाली नियुक्तियों से भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है।

हाल ही के विधान सभाओं के निर्वाचनों में गुजरात में प्रयोग में लाए गए मतपत्रों के डिजाइन में परिवर्तन

1292. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधान सभा के निर्वाचनों में गुजरात राज्य के लिए अपेक्षित मतपत्रों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) क्या मतपत्रों के रूप और डिजाइन के परिवर्तन से अधिकतर मतदाताओं के समक्ष कठिनाइयाँ प्रस्तुत हुईं ;

(ग) क्या उस राज्य में दोषपूर्ण मतपत्रों के बारे में बहुत सी शिकायतें की गईं; और

(घ) क्या नई प्रणाली को संतोषजनक पाया गया ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) 1,29,30,500 मतपत्र।

(ख) जी नहीं।

(ग) मतपत्र के डिजाइन की बाबत निर्वाचन आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(घ) जी हाँ।

गुजरात में बाढ़ के पानी से रेल की पटरी की सुरक्षा

1293. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में रेल पटरियाँ सामान्यतः बाढ़ के पानी में डूबी रहती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). कुछ दूरी तक रेलवे लाइनें, जो ढालू स्थानों पर स्थित हैं, भारी और लगातार वर्षा होने पर पानी में डूब जाती हैं। बम्बई-बड़ौदा ट्रंक मार्ग पर, जहाँ पहले बाढ़ के कारण क्षति होती थी, निवारक उपायों की योजनाएँ बनाई गई हैं और उन्हें अगले तीन वर्षों के दौरान पूरे किए जाने की आशा है। अहमदाबाद-बोटाद मीटर लाइन खण्ड पर ऊँची सतह के एक पुल के द्वारा ढलान नं० 4 को समाप्त किया जा रहा है।

सिंचाई आयोग की सिफारिशें

1294. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) उसमें कितनी सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सिंचाई आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

तम्बाकू के निर्यात के लिए बीजक जारी करने की प्रक्रिया

1295. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन लीफ टोबाको डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा ब्रिटेन तथा अन्य देशों में सम्बद्ध कम्पनियों तथा विभिन्न देशों में उनसे सम्बद्ध कम्पनियों के अतिरिक्त अन्य खरीददारों को निर्यात किए जाने वाले तम्बाकू के लिए बीजक जारी करने की प्रक्रिया क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में विभिन्न देशों को भेजे गये तम्बाकू की अलग-अलग किस्मों के लिए क्या मूल्य प्राप्त किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) इंडियन लीफ टोबाको डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा बीजक जारी करने के लिए कोई विशेष अनुदेश नहीं है। प्रक्रिया के साधारण नियम सभी कम्पनियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

(ख) सरकार, निर्यात के लिए वैयक्तिक पार्टियों द्वारा प्राप्त कीमतों के आँकड़े प्रकाशित नहीं करती क्योंकि विभिन्न ग्रेड के तम्बाकू के लिए न्यूनतम निर्यात कीमतें हैं, अतः कोई भी कम्पनी सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से कम पर निर्यात नहीं कर सकती।

तम्बाकू की विपणन पद्धति

1296. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन, रूस, जापान तथा अन्य देशों को भारतीय पत्ता तम्बाकू का विक्रय करने की पद्धति क्या है; और

(ख) क्या इन सब मामलों में माल जहाज में लादने से पूर्व मूल्य तय किए जाते हैं और विक्रय सम्बन्धी ठेकों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सभी श्रेणियों के निर्यातकों को निर्यात करने की निर्बाध अनुमति है ।

(ख) सरकार ने तम्बाकू के लिए निम्नतम कीमतें निर्धारित की है, और उससे कम कीमतों पर कोई भी तम्बाकू नहीं बेच सकता ।

निर्यात नीति संबंधी संकल्प का क्रियान्वयन

1297. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात नीति सम्बन्धी संकल्प के क्रियान्वयन की 18 महीने की अवधि का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी क्षेत्र की निर्यात ऐजेंसियों ने किन क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा दिया है;

(ग) सरकारी क्षेत्र की निर्यात ऐजेंसियों ने किन क्षेत्रों में आशा के अनुकूल कार्य नहीं किया है; और

(घ) इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) निर्यात नीति संकल्प से क्रियान्वयन में प्रगति का मूल्यांकन निरन्तर किया जा रहा है ।

(ख) से (घ). सरकारी क्षेत्र के अभिकरण, गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्यात प्रयासों में वृद्धि करने में अधिक से अधिक विकासात्मक भाग अदा कर रहे हैं । ये अभिकरण अधिकांशत: अपरम्परागत मदों के निर्यात करने पर और हमारे निर्यातों के लिए नए बाजार प्राप्त करने में लगे हुए हैं । राज्य व्यापार निगम के निर्यात 1969-70 में 55 करोड़ रु० से बढ़कर 1970-71 में 71 करोड़ रु० के हुए । राज्य व्यापार निगम द्वारा किए गए निर्यातों में लगभग 50 प्रतिशत निर्यात लघु स्तरीय क्षेत्र के उत्पादकों का हुआ । खनिज तथा धातु व्यापार निगम के निर्यात, जो अधिकांशत: लौह अयस्क तया मैंगनीज अयस्क के हैं, 1969-70 में 71 करोड़ रु० से बढ़कर 1970-71 में 106 करोड़ रु० के हुए । लौह अयस्क के निर्यातों के खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मार्गीकृत किए जाने से उत्पादन तथा निर्यातों के विकास के लिए एकीकृत नीतियाँ बनाने में सहायता मिली है । हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात ने, जो हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्तुओं के निर्यातों का कार्य करता है, अपने संवर्धनात्मक कार्यों द्वारा विशेष रूप से पहनने के आभूषण तथा तैयार फैशन की चीजों के निर्यात में सहायता की । अप्रैल 1971 में राज्य व्यापार निगम के सहायक

अंग के रूप में, परियोजना तथा उपस्कर निगम नामक एक नये निगम की स्थापना की गई थी। इस निगम का उद्देश्य रेलवे पद्धतियों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, औद्योगिक संयंत्रों तथा परियोजनाओं के क्षेत्रों में अधिक मूल्य की संविदाओं तथा आद्योपांत (टर्न-की) परियोजनाओं के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त करना है। हाल में पैकट-बंद चाय का निर्यात विकसित करने के लिए चाय व्यापार निगम की स्थापना की गई है।

बदरपुर से लुमडिंग तक रात में गाड़ी का चलाया जाना

1298. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बदरपुर से लुमडिंग (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) तक रात में गाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, यो यह कब तक चलाई जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). 203/204 धर्मनगर-लुमडिंग सवारी गाड़ी 1-3-1972 से फिर चालू कर दी गयी है।

उठाईगीरी और चोरियों की घटनाओं को रोकने में रेलवे सुरक्षा पुलिस की असमर्थता

1299. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे में उठाईगीरी और चोरियों की घटनाओं को रोकने में रेलवे सुरक्षा पुलिस की असमर्थता के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो विश्लेषण के क्या परिणाम निकले हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार द्वारा 1966 में नियुक्त, रेलों पर सुरक्षा और पुलिस पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने रेलवे सुरक्षा दल की कार्य प्रणाली की जाँच की थी। उनके विश्लेषण के अनुसार, रेलों पर रेल सम्पत्ति की चोरियों और उठाईगीरी की बुराई की रोक-थाम करने में रेलवे सुरक्षा दल के निष्प्रभावी होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं—

(i) रेलवे सुरक्षा दल की अपेक्षित वैध शक्तियों का अभाव;

(ii) रेलवे पर होने वाले अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाने, जाँच-पड़ताल और मुकदमा चलाने पर दुहरा नियंत्रण अर्थात् एक सरकारी रेलवे पुलिस का और दूसरा रेल सुरक्षा दल का।

(iii) दल के वरिष्ठ अधिकारियों और सदस्यों की भर्ती, पदोन्नति, अनुशासनात्मक नियंत्रण, सेवा की शर्तों आदि के संबंध में संगठनात्मक दोष;

(iv) दल की विभिन्न शाखाओं के कार्यभार और उनकी कार्यप्रणाली के संबंध में प्रक्रिया में दोष ।

(v) दल में पर्यवेक्षण कर्मचारियों और सशस्त्र कर्मचारियों की अपर्याप्तता ।

जिन उपायों को करने का विचार है, वे हैं दल की विभिन्न शाखाओं का पुनर्गठन, भर्ती, पदोन्नति, अनुशासनात्मक नियंत्रण आदि के संबंध में वर्तमान नियमों और विनियमों का आशोधन, रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम, 1957 और रेल सम्पति (गैर कानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 और भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 में संशोधन करके दल की वैध शक्तियों में वृद्धि । इसके अलावा, रेलों में मण्डल तथा मुख्यालय स्तर पर दल की कार्य प्रणाली और प्रशासनिक गठन में कुछ परिवर्तन करने का भी विचार है ।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के लिए एक अलग सचिवालय स्थापित करना

1300. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के लिए एक अलग सचिवालय स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी आथ-रिटी (सचिवालय सहित) के लिए एक पूर्णकालिक संगठन स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

जामनगर को बड़ी रेल लाइन द्वारा जोड़ा जाना

1301. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) वीरमगाम-ओखा-पोरबन्दर (जामनगर-बेदी और कानालुस-सिक्का शाखा लाइनों सहित) मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मंजूरी दे दी गयी है और काम जारी है । बदलाव की कुल लम्बाई 557 कि० मी० है और इसकी अनुमानित लागत 42·93 करोड़ रुपये है । इस बदलाव से जामनगर बड़ी लाइन से जुड़ जाएगा । यह निर्माण-कार्य पाँच वर्षों में पूरा हो जाएगा ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में रेल विद्युतीकरण में कमी

1302. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे विद्युतीकरण के विस्तार के कार्य में कमी होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) भारी बाढ़ के कारण पश्चिम रेलवे पर किए जाने वाले रेल-पथ को ऊंचा करने के कार्यों के फलस्वरूप।

रेलवे वर्कशापों के लिए प्रोत्साहन बोनस योजना

1303. **श्री डी० पी० जदेजा** :
श्री वेकारिया :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्कशापों में प्रोत्साहन बोनस योजना लागू कर दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रोत्साहन बोनस योजना उन श्रमिकों को आर्थिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बनाई गई है जिनका उत्पादन न्यूनतम स्तर से अधिक हो। परिणामों के अनुसार भुगतान की इस प्रणाली के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं :

(i) काम को आँकने के लिए समय एक मापदण्ड है और उत्पादकता का आधार वह इकाई है।

(ii) अनुमत समय का संगणन विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा प्रतिफलित बुनियादी आँकड़ों से किया जाता है और उसमें सामान्य संचालन, अंकन (जहाँ आवश्यक हो और परिश्रम के लिए भत्ते और लाभ के लिए $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत कुल भत्ते शामिल किए जाते हैं ताकि औसत सामर्थ्य वाला श्रमिक अपनी उस मूल मजदूरी के अलावा $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत अधिक अर्जित कर सके जो वह छोटे-मोटे कामों की अवधि में अर्जन करता है।

(iii) लाभ की उच्चतम सीमा प्रत्येक उजरती काम के संबंध में अर्जित मानक बुनियादी मजदूरी के 50 प्रतिशत पर निर्धारित की गई है।

(iv) पर्यवेक्षक और अनिवार्यतः अप्रत्यक्ष कारीगर (उन कर्मशालाओं में जहाँ उजरती काम की प्रणाली प्रचलित है) उजरती काम के लाभ में भागीदार होते हैं । खास-खास कार्यशालाओं में प्रत्यक्ष कारीगरों द्वारा अर्जित लाभ का औसत प्रतिशत मिस्त्रियों द्वारा अर्जन किया जाता है, उसका 80 प्रतिशत लाभ चार्जमैनों और अनिवार्यतः परोक्ष कारीगरों को मिलता है ।

(v) कारीगर को मूल मजदूरी की गारंटी दी जाती है चाहे उसके उजरती काम के परिणाम कुछ भी हों लेकिन किसी खास महीने में हुई हानि का समायोजन उसी महीने में हुए लाभ से कर दिया जाता है ।

(vi) केवल उसी काम के लिए भुगतान किया जाता है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है और जिसका निरीक्षण कर लिया जाता है ।

(vii) प्रशासन को मानक समयों में परिवर्तन करने का अधिकार है यदि उन्नत किस्म के मशीनी पुर्जे लगा दिये जायें या समय की बचत करने वाली अन्य युक्तियाँ चालू की जायें और यदि संगणन या मुद्रण में कोई त्रुटि हो । यदि कोई कर्मचारी अपनी पहल पर निर्माण की पद्धति में परिवर्तन करता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में शीघ्रता आ जाती है और नयी पद्धति से प्रशासन को अवगत कर देता है और यदि जाँच-पड़ताल के बाद नयी पद्धति कथनानुसार लाभप्रद पायी जाती है और अनुमत समय में तदनुसार संशोधन कर दिया जाता है तो उसे प्रतिपूर्ति के रूप में पारितोषिक दिया जाता है जो उसकी छः महीने की मानक मूल मजदूरी के रूप में सम्भावित बचत के बराबर होता है ।

Darbhanga-Sakri-Nirmali and Sakri-Jayanagar Lines Conversion to Broad Gauge

1304. **Shri Jagannath Mishra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the time by which Darbhanga-Sakri, Sakri-Nirmali and Sakri-Jaynagar metre gauge lines of the North Eastern Railway are likely to be converted into broad-gauge ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthiya) : Conversion of these sections to broad gauge is not being considered for the present.

दरभंगा से पटना तक एक्सप्रेस रेल सेवा चालू करना

1305. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार की जनता बहुत समय से यह माँग कर रही है कि दरभंगा से पटना और पटना से दरभंगा तक एक्सप्रेस रेल सेवा की सुविधा होनी चाहिए; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) दरभंगा और पटना के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी को चलाने का जहाँ आर्थिक दृष्टि

से औचित्य नहीं पाया गया है वहाँ कुछ ठहरावों को खत्म करके किसी वर्तमान गाड़ी को एक्सप्रैस के रूप में बदलने से इन खंडों के यात्रियों को असुविधा भी होगी ।

विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा किए गए अनेक अध्ययनों पर की गई कार्यवाही

1306. **श्री बी० मायावन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भदोही, मिर्जापुर, जयपुर और आगरा में कालीन उद्योग मुरादाबाद तथा अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों में धातु शिल्प उद्योग; और मैसूर राज्य में कतिपय हस्तशिल्प उद्योगों के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : विदेश व्यापार मंत्रालय के तत्वावधान में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों के परिणामस्वरूप, कालीन उद्योग, धातुओं की कलात्मक वस्तुओं के उद्योग तथा मैसूर शिल्प उद्योग के लिए विभिन्न विकास संबंधी तथा संवर्धन संबंधी कार्यकलापों के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :

1. **कालीन** :

1. देश के विभिन्न क्षेत्रों में बुनकरों के पाँच प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ किए गए हैं;

2. निर्यात के लिए कालीनों की निम्नतम कीमत बढ़ाई गई है;

3. हमदान किस्म की कालीनों के क्वालिटी नियंत्रण के लिए मानक लागू किया जा रहा है;

4. रंगने, चमकदार ढंग से धोने और सुखाने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की व्यवस्था की जा रही है ।

2. **धातुओं की कलात्मक वस्तुओं के उद्योग** :

1. मुरादाबाद में धातुओं की कलात्मक वस्तुओं के लैकर करने का एक सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है;

2. मुरादाबाद और नागरकायल में विपणन विस्तार केन्द्र प्रस्थापित किए गए हैं;

3. बोर्ड के डिजाइन केन्द्रों ने धातुओं के नए डिजाइन निकाले हैं;

3. **मैसूर शिल्प उद्योग** :

1. डिजाइन केन्द, बंगलौर, मैसूर की हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिए नए-नए डिजाइन दे रहा है ।

2. चन्दन की लकड़ी की एक डिपो बोर्ड द्वारा स्थापित की गई थी ।

3. बंगलौर में बोर्ड का केन्द्रीय हस्तशिल्प विकास केन्द्र औजारों तथा तकनीकी के सुधार के मामले में तकनीकी सहायता दे रहा है ।

4. बोर्ड ने प्रदर्शन के ढंग में सुधार करने और बिक्री बढ़ाने में बंगलौर कला तथा शिल्प एम्पोरियम की सहायता की है ।

Supply of Water to Cultivators for Irrigation

1307. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision that the cultivators belonging to the Scheduled Castes and those having small holdings will be supplied water in full quantity for irrigating their lands in preference to big cultivators;

(b) if so, whether all the States have implemented the decision; and

(c) the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c). The distribution of water in major and medium irrigation projects is done by the State Governments on the basis of capability of lands for irrigation, their commandability and other similar technical considerations, and to the extent feasible, all possible areas are provided irrigation facilities.

Prizes for Export Performance

1308. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government had taken any action on the 26th November, 1969 in regard to giving away of prizes for excellent export performance; and

(b) if so, the names of the firms or banks which were given best performance certificates and the criteria adopted for giving these certificates ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Awards and Certificates of Merit for outstanding performance in the field of exports during the period October, 1966 to March, 1968 were presented to the winners at a special function held at New Delhi on the 28th November, 1969.

(b) A list showing the names of the winners of Awards and Certificates of Merit is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—1564/72.]

As laid down in the erstwhile Ministry of Commerce Resolution No. 11 (8)/66-EAC, dated the 23rd November, 1968 (as amended from time to time) the broad basis for the grant of awards/certificates of merit is the distinct contribution made by a firm, organisation, institution like a Public Corporation, bank, newspaper, magazine, supplier of ancillary materials and services or an individual to the expansion of our export trade. The detailed considerations in determining the eligibility of a party, as spelt out further in the same Resolution, are :

(i) Development of a market abroad for a product which had not been previously exported.

(ii) Substantial increase in export sales on a sustained basis, preferably in non-traditional commoditities and in finished products.

(iii) Successful introduction of a new product into the export trade.

(iv) Product development.

(v) Successful break-through in a foreign market where conditions are specially difficult.

(vi) Recovery of lost ground in export markets.

(vii) Novel and successful solutions to foreign trade problems.

(viii) Demonstrated efforts in international marketing and promotion of products which have contributed directly to the expansion of exports in general.

(ix) Demonstrated efforts in making credits available for expansion of export trade and for other financial assistance.

(x) Market surveys which lead to a significant increase in exports to the area surveyed.

(xi) Any other significant contribution in the field of export performance or promotion.

Managers sent abroad for Training in Export Promotion

1309. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government had sent some managers abroad in 1970-71, or prior to it, for receiving training in the field of export promotion;

(b) if so, whether a list of their names will be laid on the Table of the House; and

(c) the criteria adopted for their selection and the total expenditure incurred on them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement is attached.

Statement

A list of export managers sent abroad for training in the field of export promotion is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—1565/72.]

The selection of Export Managers/Executives for the training courses available under the various bilateral/multilateral programmes is done keeping in view the qualifications and requirements laid down by the host Government/Organisation, and also whether the programme is intended for junior, middle or senior level export management personnel. The usefulness of the training programme to the business manager and the enterprise where he is employed, particularly from the point of view of increasing his effectiveness in export decision making is kept in view.

The fellowships are publicised through the Press and by addressing (a) Export Promotion Councils, (b) Commodity Boards, (c) State Trading Corporations, (d) State Undertakings, and (e) Members of the Indian Institute of Foreign Trade. After necessary screening

of the applications, a High-powered Selection Board, comprising representatives of Ministry of Foreign Trade, Department of External Affairs, Committee on Science and Technology under Cabinet Secretariat, and a member of the Governing Body of Indian Institute of Foreign Trade, interviews the candidates for final selection.

In addition to the normal training courses for which the above criteria are followed, export executives were also deputed to West Germany during the years 1968 to **1971**, under the Indo-German Engineering Export Promotion Project. Under this Programme the criterion for selection of Export Executives from different Indian engineering firms was mainly the potentiality of their products being accepted in the West German market. While making selection, the Engineering Export Promotion Council, Calcutta, the agency designated to execute the project on Indian side, gave preference to representatives of the firms who would also display their products in different exhibitions held in West Germany. The Ministry of Foreign Trade and the West German Embassy were consulted in making these selections.

The funds for training abroad including international travel costs, both ways were usually provided by the host Government/organisation. In the cases of training provided under the Indo-German Engineering Export Promotion Project, the sponsoring firms were required to pay the travel costs. In either case, no expenditure was incurred by the Government of India for sponsoring the finally selected candidates for training abroad.

आर्थिक संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए विशेष एजेंसी

1310. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में आर्थिक संकटग्रस्त तथा बन्द हो रही कपड़ा मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक विशेष एजेंसी के गठन संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Recommendations of High Court Arrears Committee

1311. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of Law and Justice be pleased to state the recommendations made by the Committee constituted under the Chairmanship of Shri J. C. Shah, former Chief Justice of India, to suggest remedial measures for clearing arrears in High Court and Government's reaction thereto ?

The Minister of Law and Justice (Shri H. R. Gokhale) : The Committee has made a number of recommendations aimed at :

(i) reducing delays which occur before a proceeding is ready for hearing;

(ii) weeding out certain classes of cases which, in the present system, reach the High Courts and making them triable by other Courts or Tribunals.

(iii) ensuring that the time taken up in the actual hearing of cases is effectively reduced.

The Committee has also suggested further strengthening of the High Courts consistently with the increase in the institutions and the arrears to be cleared.

The recommendations of the Committee will be examined in consultation with the authorities concerned and steps will be taken for implementation of the recommendations to the extent feasible.

राज्य व्यापार निगम में भ्रष्टाचार की शिकायतें

1312. **श्री के० मालन्ना :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम में भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों में प्राप्त शिकायतों का स्वरूप क्या है; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का स्वरूप क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग). संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1566/72**]

दिल्ली चारकोल इम्पोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बारे में जांच

1313. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली चारकोल इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने तुगलकाबाद मिनरल साइडिंग पर उत्तर रेलवे के वाणिज्यिक निरीक्षक द्वारा मनमाने ढंग से स्थान शुल्क और विलम्ब शुल्क लगाने के विरोध में फरवरी, 1972 को हड़ताल की थी;

(ख) क्या इस मामले की जाँच की गई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) वाणिज्यिक निरीक्षकों द्वारा अचानक जांच के दौरान पकड़े गये देय स्थानशुल्क की वसूली के विरोध में लकड़ी कोयला के व्यापारियों ने 28-2-1972 और 17-3-1972 की अवधि के बीच तुगलकाबाद मिनरल साईडिंग पर माल डिब्बों से माल उतारने और वहाँ से माल हटाने का काम बन्द कर दिया था।

(ख) जी हाँ।

(ग) व्यापारियों की माँगें तर्कसंगत नहीं पायी गयीं। लकड़ी-कोयला के व्यापारियों ने 18-3-1972 से लकड़ी का कोयला उतारने और हटाने का काम शुरू कर दिया है। सामान-सूची बनाने की प्रक्रिया कड़ी कर दी गई है।

विधायी विभाग तथा राजभाषा (विधायी) आयोग में अधीक्षकों के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

1314. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विधायी विभाग तथा राजभाषा (विधायी) आयोग में अधीक्षकों (तकनीकी/अनुवाद) के कुछ पद हैं;

(ख) क्या इस पद पर अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जन-जातियों का कोई व्यक्ति नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हाँ।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति का कोई भी व्यक्ति इन पदों में से किसी पद पर नहीं है।

(ग) अधीक्षक (तकनीकी) के पदों के भर्ती नियमों के अनुसार यह पद केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों के अन्तरण/प्रतिनियोजन द्वारा और उसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है। अधीक्षक (अनुवाद) का पद विधि मंत्रालय के उपयुक्त अनुवादकों में से प्रोन्नति द्वारा और उसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए अपेक्षित है।

आरक्षण आदेश तभी लागू होते हैं जब कोई पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाए। अधीक्षक (अनुवाद) का पद अभी तक सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरा गया है। अधीक्षक (तकनीकी) के दो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गए थे जिनमें से एक 1969 में भरा गया था और दूसरा 1971 में। आरक्षण आदेश के अनुसार दोनों पद "अनारक्षित" समझे गए थे क्योंकि केवल एक-एक पद ऊपर उल्लिखित दो वर्षों में प्रतिवर्ष भरा जाना था।

रेलवे के यात्री यातायात में वृद्धि

1315. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष रेलवे के यात्री यातायात में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). 1971-72 में यात्री यातायात में वृद्धि की तुलनागत तीन वर्षों के आंकड़ों से की गयी है जो इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रारम्भिक यात्री (दस लाख में)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	यात्री किलोमीटर (दस लाख में)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
1968-69	2,213		106,940	
1969-70	2,338	5·69	113,382	6·02
1970-71	2,431	3·96	118,120	4·18
1971-72 (अनुमानित)	2,480	2·02	121,300	2·69

यात्री यातायात में प्रारम्भिक यात्रियों के हिसाब से गत तीन वर्षों में औसतन 3·89 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई है। जहाँ तक यात्री किलोमीटर का संबंध है, वृद्धि की दर प्रति वर्ष 4·30 प्रतिशत रही ।

Increase in cases of Theft and Chain Pulling in Bombay-Allahabad and Bombay-Jhansi Passenger Trains

1316. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there has been an alarming increase in the number of cases of theft of wire and chain pulling in Bombay-Allahabad and Bombay-Jhansi passenger trains;

(b) if so, the total number of such incidents category-wise, in 1970-71 as compared to 1969-70;

(c) the total loss suffered by Government as a result of these incidents; and

(d) the action taken by Government to check the increase in such incidents ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes. The incidence of alarm chain pulling has increased,

(b) Total No. of incidents category-wise :

	1969-70	1970-71
Thefts of wires (P&T and OHE)	460	547
Alarm chain pulling	13,197	13,838

(c) Loss suffered by the Railways due to overhead traction wire thefts :

1969-70	1970-71
Rs. 1,743·34	Rs. 19,978·20

(d) For preventing thefts of wire, local police, Govt. Railway Police and R. P. F. patrol the affected areas and keep liaison with each other.

For checking the increase of alarm chain pulling, measures taken are :

(i) Organisation of surprise raids by squads of G. R. P. and R. P. F. in badly affected trains/areas.

(ii) Enhancement of the punishment under Section 108 Indian Railways Act to discourage chain pulling.

(iii) Grant of rewards to those persons giving information regarding culprits responsible for alarm chain-pulling.

कपड़ा मिलों का बन्द होना

1317. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक बन्द हुई सूती कपड़े की मिल में काम करने वाले श्रमिकों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) प्रत्येक बन्द मिल में करघों और तकुओं की कुल संख्या कितनी है;

(ग) स्थाई रूप से बन्द घोषित की जाने वाली मिलों की राज्यवार सूची क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जो मिलें अपने हाथ में ले ली गई हैं उनकी राज्यवार सूची क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). समाप्त करने योग्य समझी गई मिलों को छोड़कर, जनवरी, 1972 के अन्त में 52 सूती वस्त्र मिलें बन्द पड़ी थीं। उनके संबंध में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-1)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1567/72**]

(ग) संभवत: उन मिलों के संबंध में जानकारी माँगी गई है, जिन्हें समाप्त करने योग्य समझा गया है। उन मिलों के नाम (राज्यवार) संलग्न हैं (अनुबन्ध-2)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1567/72**]

(घ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जिन सूती वस्त्र मिलों का (जिनमें एक शक्ति-चालित करघा भी शामिल है) प्रबन्ध अधिकार में लिया गया है, उनके संबंध में एक विवरण संलग्न है (अनुबंध-3)। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1567/72**] इस विवरण में वे मिलें भी शामिल हैं जिनको अभी अधिकार में लिया जाना है।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी का लाभ तथा हानि लेखा तथा इसके द्वारा अदा किया गया परामर्श शुल्क

1318. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका की एक परामर्शदात्री फर्म को, जिन्हें परामर्शदाता नियुक्त किया गया था, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, ने कितनी राशि अदा की;

(ख) क्या इस उत्पादन एकक ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है;

(ग) यदि हाँ, तो किस सीमा तक; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार इस संयंत्र का लाभ और हानि का लेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) सहयोजन करार की शर्तों के अनुसार परामर्शदाताओं की अमेरिकी फर्म को मार्च, 71 के अन्त तक निम्नलिखित भुगतान किये गये हैं :

(i) इंजीनियरिंग फीस और रायल्टी के रूप में मैसर्स अल्का प्राडक्टस इनको०, और मैसर्स अल्को इंजिन्स डिवीजन, व्हाइट इण्डस्ट्रियल पावर इनको० संयुक्त राज्य अमेरिका को 9,15,420·29 डालर (अमेरिकी डालर)।

(ii) मैसर्स ट्रांसवर्ल्ड मैनुफैक्चरिंग सर्विसेज इनको० संयुक्त राज्य अमेरिका और डीज़ल इंजन कारखाने में प्रतिनियुक्त तकनीकज्ञों की सेवाओं के लिए उनके तकनीकी विशेषज्ञों को 31,709·66 (अमेरिकी डालर) और 16,46,000 रु०।

(ख) डीज़ल इंजन कारखाना, वाराणसी में डीज़ल इंजनों के निर्माण में पर्याप्त आत्मनिर्भरता उपलब्ध हुई है।

(ग) डीज़ल इंजन कारखाना, वाराणसी में बनाये गये डीज़ल इंजनों के देशी पुर्जों का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया गया है और इसके लिए लगातार प्रयास जारी है।

(ग) विभागीय उत्पादन इकाई होने के कारण प्रत्येक इंजन के उत्पादन की कुल लागत आबंटन करने वाली रेलवे के नाम खाते डाली जाती है। लेकिन, उत्पादन लेखे अलग रखे जाते हैं। इसका लाभ और हानि लेखा नहीं रखा जाता है।

बालीगंज स्टेशन (पूर्वी रेलवे) को दूसरा टर्मिनल स्टेशन बनाना

1319. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व रेलवे के स्यालदह डिवीजन में "बालीगंज स्टेशन" को दूसरा टर्मिनल स्टेशन बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का निर्माण कार्य

1320. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के निर्माण-कार्य का उत्तरदायित्व एक केन्द्रीय परियोजना के रूप में अपने हाथ में लेने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : सिंचाई राज्यगत विषय है । इसलिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्यान्वियन को अपने हाथ में लेने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बागमती नदी परियोजना की क्रियान्विति में प्रगति

1321. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में बागमती नदी परियोजना की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या परियोजना का कार्य निर्धारित समय सूची के अनुसार चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) बांध के किस तारीख तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). बागमती परियोजना निर्माण के प्रारंभिक चरण में है । यह परियोजना बिहार सरकार द्वारा पाँचवीं योजना में पूर्ण होने के लिए अनुसूचित है ।

बाणसागर बाँध परियोजना के बारे में निर्णय

1322. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त करने के पश्चात् मध्य प्रदेश में बाणसागर बाँध परियोजना के बारे में किसी निर्णय पर पहुँच गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). बिहार, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें प्रस्तावित बाणसागर बाँध पर अभी तक कोई समझौता नहीं कर सकी हैं ।

रेलवे बोर्ड के सदस्यों और अतिरिक्त सदस्यों के अधिकार और कृत्य

1323. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्यों के अधिकार और कृत्य क्या हैं;

(ख) यदि इन दो श्रेणियों के सदस्यों को कार्य का आबंटन करने और उस कार्य को करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, तो वह क्या हैं; और

(ग) क्या अतिरिक्त सदस्यों द्वारा किए गए निर्णय रेलवे बोर्ड के माने जाते हैं और यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा निर्धारित कार्य संबंधी नियमों के आबंटन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग). अपर सदस्यों को जो विषय सौंपे गये हैं उनके संबंध में उन्हें रेलों को निदेश देने के लिए बोर्ड के सदस्यों के पूरे प्राधिकार प्राप्त हैं और ये साधारणत: मंत्रियों से सीधा सम्पर्क रखते हैं । रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, वित्त आयुक्त सदस्यों और अपर सदस्यों में काम का जो बँटवारा किया गया है उनका उल्लेख रेलवे बोर्ड की कार्यालय पद्धति नियमावली के पैरा 205 से 208 में किया गया है । इस नियमावली की प्रतियाँ अनुबन्ध 'क' के रूप में सभा पटल पर रखी जाती हैं । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—1568/72**] अपर सदस्यों के पाँच पदों में से तीन पद इस समय खाली पड़े हुए हैं ।

राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् रेलवे का पास जारी करना

1324. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के श्रेणी II और श्रेणी I के अधिकारियों को 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और इससे अधिक सेवा की अवधि के पश्चात् कितने पास जारी किए गए हैं;

(ख) रेलवे के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को ऐसे कितने पास दिए गए हैं; और

(ग) ऐसे मामलों में यदि अधिकारियों की दो श्रेणियों के मध्य पास जारी करने में कोई असमानता है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). प्रतिवर्ष दिए जाने वाले निवर्तन पासों की संख्या नीचे दी गयी है :

	15 वर्ष	20 वर्ष	25 वर्ष
(1) श्रेणी II / I के रेल अधिकारी	कोई नहीं	2 सैट	3 सैट
(2) अराजपत्रित रेल कर्मचारी :			
श्रेणी III	कोई नहीं	1 सैट	1 सैट (30 वर्ष के बाद 2 सैट)
श्रेणी IV	कोई नहीं	कोई नहीं	1 सैट (केवल कर्मचारी और उसकी पत्नी के लिए 5 वर्ष में एक बार)

(ग) श्रेणी–4 के कर्मचारियों के लिए इन सुविधाओं का विस्तार बाद में किया गया है और उनके लिए इन रियायतों को सीमित करने के निर्णय का आधार कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या और प्रशासनिक कठिनाइयाँ हैं।

"अंकटाड" के अंतर्गत प्राथमिकता की सामान्यीकृत योजना का क्रियान्वयन

1325. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अंकटाड" के अंतर्गत बनाई गई प्राथमिकता की सामान्यीकृत योजना को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के किन-किन देशों ने कार्यरूप देने के अपने निर्णय की सूचना दे दी है;

(ख) क्या भारत द्वारा उपभोग की जाने वाली राष्ट्रमंडल की प्राथमिकताओं तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की व्यापक नीति के संदर्भ में योजना को कार्यरूप देने संबंधी ब्रिटेन के निर्णय से कोई परस्पर-विरोध उत्पन्न होने की संभावना है; और

(ग) इन देशों के साथ होने वाले हमारे व्यापार पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और हानियों को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सभी देशों ने (बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी का संघीय गणराज्य, इटली, लक्सेपवर्ग तथा नीदरलैंड) ने अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अधीन यूरोपीय आर्थिक समुदाय की योजना को 1 जुलाई 1971 से क्रियान्वित किया है।

(ख) ब्रिटेन ने 1 जनवरी, 1972 से अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अंतर्गत अपने प्रस्ताव लागू कर दिए। ब्रिटिश योजना यूरोपीय आर्थिक समुदाय योजना से मुख्यतः दो रूपों में भिन्न है। औद्योगिक क्षेत्र (ब्रुसेल्स टैरिफ नामसूची के अध्याय 29-99) के अधीन आने वाली

मदों के संबंध में लाभ प्राप्त करने वाले विकासशील देशों से किए जाने वाले आयातों के लिए कोई भी अधिकतम सीमा लागू नहीं है, जबकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की योजना में सूती कपड़ा शामिल किया गया है, ब्रिटिश योजना में से यह मद निकाल दी गई है ।

अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश योजना से राष्ट्रमंडलीय अधिमानी प्रबंधों पर प्रभाव नहीं पड़ता है । यदि भारत से निर्यातित माल उद्भव तथा परेषण संबंधी उचित शर्तों को पूरा करता है तब वह राष्ट्रमंडलीय अधिमान या अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली दोनों में से किसी के भी अंतर्गत ब्रिटेन में प्रवेश पाने का अधिकारी हो सकता है ।

(ग) ब्रिटिश योजना का क्रियान्वयन अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अंतर्गत भारत तथा अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों को ब्रिटिश बाजार में प्राप्त होने वाले राष्ट्रमंडलीय अधिमान के मूल्य को कम कर देते हैं क्योंकि राष्ट्रमंडलीय विकासशील देशों के साथ-साथ अन्य गैर-राष्ट्रमंडलीय विकासशील देशों को भी इन अधिमानों का लाभ मिल जाता है ।

अंकटाड की अधिमानों संबंधी विशेष समिति के सम्मत निष्कर्षों के अनुसरण में जो विकासशील देश अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के परिणामस्वरूप कुछ विकसित देशों में उनके वर्तमान प्रशुल्क संबंधी लाभ उठाते हैं, वे निर्यात अवसरों के लिए अन्य नए विकसित देशों में प्रवेश पाने की आशा करेंगे जिससे कम से कम उनकी क्षतिपूर्ति हो सके । हमने विशेष रूप से इस व्यवस्था की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ।

यह आशा की जाती है कि अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की योजना से भारत अपना निर्यात बढ़ा सकेगा, लेकिन इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कतिपय दशाओं में सुधार करने की आवश्यकता है । इस संबंध में हमने यूरोपीय आर्थिक समुदाय से बातचीत शुरू कर दी है ।

रुई कनवर्शन योजना

1326. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सोवियत संघ रुई कनवर्शन योजना के लिए किन-किन मिलों का **चयन किया** गया और जब से यह योजना लागू की गई है, तब से उनके उत्पादन-आँकड़े क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : रुई को रूपान्तरित करने के लिए एक संविदा 26-1-1972 को सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् और मै० एक्सपोर्टजलोन मास्को के बीच संपन्न हुई थी । मै० एक्सपोर्टजलोन कुछ ही किस्मों के लिए सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् की पसंद जानना चाहता है और शेष सभी किस्मों के विषय में वह मिलों को क्रयादेश देने के कार्य को अंतिम रूप दे रहा है ।

रुई कन्वर्शन योजना के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत

1327. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस के अलावा अन्य देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ रुई कन्वर्शन योजनाओं के लिए बातचीत हुई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारतीय सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई और हंगरोटेक्स, हंगरी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके अनुसार हंगरोटेक्स भारत को विदेशी रुई देने तथा इसे हंगरी को निर्यात के लिए वस्त्र में बदलने के लिए प्रभार देने के लिए तैयार होगा। इस सौदे के ब्यौरे पर बातचीत करने तथा उसे अंतिम रूप देने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

कारुत-डिंडीगल से मदुरै के लिए बड़ी रेलवे लाइन और मदुरै-मनियाची से तूतीकोरीन (दक्षिण रेलवे) लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

1328. **श्री एम० कतामुतु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारुत-डिंडीगल से मदुरै तक एक नई बड़ी रेलवे लाइन के लिए तथा मदुरै-मनीयाची से तूतीकोरीन और तिरुनेलवेली की मीटर गेज रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार यह परियोजना लगभग 324 कि०मी० लम्बी होगी और इसकी अनुमानित लागत लगभग 17·86 करोड़ रुपये होगी। सर्वेक्षण रिपोर्टों की अभी जाँच की जा रही है और आर्थिक मूल्यांकन भी किया जा रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्टों और आर्थिक अध्ययन पर सभी दृष्टियों से विचार कर लेने के बाद ही इस परियोजना के निर्माण के संबंध में विनिश्चय किया जायेगा।

रेलगाड़ियों में श्रेणियों की संख्या कम करने की योजना

1329. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में 8 विभिन्न श्रेणियाँ हैं जिनके लिए विभिन्न किराए लिए जाते हैं;

(ख) क्या रेलगाड़ियों में श्रेणियों की संख्या बढ़ाने अथवा घटाने के लिए सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत अधिक दूर जाने वाले तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए, जिनकी यात्रा 10 बजे म० प० से 4 बजे म० प० के बीच में होती है, शयन-शायिका की व्यवस्था स्वतः हो जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। भारतीय रेलों पर केवल पाँच प्रकार की श्रेणियों की व्यवस्था है, उदाहरणतः वातानुकूलित श्रेणी, प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित कुर्सीयान,

द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। यद्यपि द्वितीय श्रेणी शयन-यान और दो टियर और तीन टियर वाले तृतीय श्रेणी की सेवाएँ भी उपलब्ध हैं किन्तु इन्हें विभिन्न श्रेणी नहीं माना गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

रेल गाड़ियों का समय पर चलना

1330. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने जून, 1971 में यात्री गाड़ियों को समय पर चलाने का जो अभियान आरंभ किया था उसमें वह कहाँ तक सफल हुए हैं;

(ख) किस क्षेत्रीय रेलवे द्वारा इसका पालन सबसे अधिक किया गया है और कौन सी क्षेत्रीय रेलवे इसका पालन करने में असमर्थ रही है; और

(ग) यह सुधार लाने के लिए कौन कौन से पुरस्कार दिये गये हैं और जो इसका पालन करने में असमर्थ रहे हैं उन्हें क्या दंड दिया गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जून, 71 में चलाये गये समय-पालन अभियान के फलस्वरूप गाड़ियों के समय-पालन में हर प्रकार से सुधार हुआ है। प्रत्येक रेलवे पर किस सीमा तक सुधार हुआ है, यह संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ख) सभी रेलों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है यद्यपि उनमें सुधार की मात्रा भिन्न-भिन्न रही है।

(ग) किसी एक रेलवे को पुरस्कार या दण्ड नहीं दिया गया है लेकिन व्यक्तियों को उनके काम के अनुसार पुरस्कार और दण्ड भी दिया गया है।

विवरण

रेलवे	समय न खोने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का समय पालन का प्रतिशत	
	अभियान से पहले (मई, 71)	अभियान के बाद (जुलाई से नवम्बर, 71 तक औसत)
1	2	3
बड़ी लाइन		
मध्य	73·4	89
पूर्व	24·3	44
उत्तर	82·3	91
पूर्वोत्तर सीमा	43·5	60
दक्षिण	77·1	94
दक्षिण मध्य	75·0	93
दक्षिण पूर्व	54·2	70
पश्चिम	56·7	94

1	2	3
मीटर लाइन		
उत्तर	87·7	93
पूर्वोत्तर	69·6	82
पूर्वोत्तर सीमा	62·9	80
दक्षिण	84·5	93
दक्षिण मध्य	85·0	95
पश्चिम	85·3	95

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में बिजली की दरों में अन्तर

1331. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में सप्लाई की जाने वाली बिजली की दरों में अन्तर है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस स्थिति में सुधार करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). राज्य विद्युत् बोर्डों ने अपने-अपने प्रचालन क्षेत्रों में, शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए साधारण तौर पर समान दरें चालू की हैं। हिमाचल प्रदेश के मामले में, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए घरेलू उपयोग के लिए विद्युत सप्लाई की दरें शहरी क्षेत्रों की इन दरों से कम हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ शहरों में कम-वोल्टता शुल्क-दरों के ग्रामीण क्षेत्रों में इन शुल्क-दरों से कम होने के कारण ऐतिहासिक हैं। किसी राज्य में एक ही श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दरों में अंतर को धीरे-धीरे कम किया जाएगा।

रायगंज और कलियागंज (उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे) स्टेशनों पर शयन-स्थानों का पृथक कोटा

1332. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राधिकापुर से बरसाई जाने वाले यात्रियों के लिए पृथक बोगी उपलब्ध है ताकि वे बरसाई जंकशन पर दार्जिलिंग मेल और कामरूप एक्सप्रेस पकड़ सकें; और

(ख) क्या उपरोक्त रेल गाड़ियों में रायगंज और कलियागंज स्टेशनों (उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे) के यात्रियों के लिये बैठने तथा सोने के स्थानों का पृथक कोटा है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) 44 डाउन दार्जिलिंग मेल द्वारा बारसई से तीसरे दर्जे की 4 सीटों (रायगंज के लिए 3 और कलियागंज के यात्रियों के लिए 1 सीट) का कोटा उपलब्ध है। लेकिन, रायगंज और कलियागंज के यात्रियों के लिए 60 डाउन कामरूप एक्सप्रेस से बैठने या सोने के स्थान के लिए कोई कोटा नहीं है क्योंकि बारसोई से हावड़ा के बीच की यात्रा दिन के समय में पूरी हो जाती है।

व्यापार वार्ता के लिए अर्जेन्टाइना को प्रतिनिधि मंडल का दौरा

1333. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपकरण तथा परियोजना निगम, नई दिल्ली के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने व्यापार वार्ता के लिए अर्जेन्टाइना का दौरा किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ हुए विचार-विमर्श की मुख्य बातें क्या हैं और उसमें क्या निर्णय किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). परियोजना तथा उपस्कर निगम के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-मंडल ने कुछ अन्य लातीनी अमरीकी देशों के अलावा अर्जेन्टाइना का उस क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दौरा किया। प्रतिनिधि-मंडल ने अर्जेन्टाइना प्राधिकारियों के साथ संयुक्त नौवहन सेवा स्थापित करने, टर्न-की परियोजनाएँ आरंभ करने, रेल तथा अन्य इंजीनियरी उपस्कर आदि का निर्यात करने तथा दुर्लभ धातुओं का आयात करने की संभाव्यताओं पर प्रारंभिक वार्ताएँ की थीं। कोई निर्णय नहीं किए गए हैं।

रेलगाड़ियों में चोरी से सुरक्षा की सुविधायें

1334. **श्री मुहम्मद शरीफ** :
श्री अमर नाथ चावला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में ऐसी 'फिटिंग्स' लगाने की जिनकी चोरी न हो सके तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में 'फिटिंग्स' तथा अन्य सुविधाओं की चोरी से कितनी हानि हुई और प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत चोरी में कितनी कमी होने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) (i) अपेक्षाकृत सस्ते वैकल्पिक सामान का इस्तेमाल।

(ii) फिटिंग्स के संयोजन की विधि में परिवर्तन ताकि उनका निकाला जाना कठिन हो जाये।

(ग) फिटिंग्स की चोरी के कारण हुई वार्षिक हानि नीचे बतायी गयी है :

वर्ष	राशि
1968-69	50,92,537 रुपये
1969-70	62,51,453 रुपये
1970-71	91,72,371 रुपये

आशा की जाती है कि फिटिंग्स की चोरी के कारण होने वाली हानि काफी हद तक कम हो जायेगी, लेकिन उसमें कितनी कमी होगी उसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता ।

कपड़े की जमाखोरी को रोकने के लिए कार्यवाही

1335. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कपड़े की जमाखोरी और उससे होने वाली मुनाफाखोरी को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) कपड़े की कमी को पूरा करने के लिए सस्ते कपड़े का अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों से बार-बार कहा गया है कि नियंत्रित कपड़े की जमाखोरी और अधिक कीमत लेने को रोकने के लिए वे कठोर कदम उठायें जिनमें समय-समय पर दुकानों पर छापे मारने की व्यवस्था करना भी शामिल हो ।

इसके अतिरिक्त सभी मिलों से कहा गया है कि वे नियंत्रित कपड़े पर एक-एक मीटर की दूरी पर किनारे पर उपभोक्ता कीमतें मुद्रित करें ।

(ग) प्रत्येक तिमाही में 10 करोड़ वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़ा तैयार करने की एक योजना 1 जून, 1971 से चालू है ।

सियालदह से न्यू बोंगाईगाँव तक (उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे) नार्थ बंगाल एक्सप्रेस का पुनः चालू किया जाना

1336. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे के सियालदह न्यू बोंगाईगांव सेक्शन में यात्रियों को भारी भीड़ तथा न्यू जलपाईगुड़ी तथा न्यू बोंगाईगांव से हावड़ा तक किसी सुविधा-जनक रेलगाड़ी न चलने की जानकारी है;

(ख) क्या नार्थ बंगाल एक्सप्रेस को फरक्का होकर मुर्शिदाबाद जिले के नेहाती के ऊपर की ओर से सियालदह से न्यू बोंगाईगांव तक पुनः चालू करने का सरकार का विचार है; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ। वहाँ भारी यातायात होता है, परन्तु सियालदह और न्यू बोंगाईगाँव के बीच 43/44 दार्जलिंग मेल तथा हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी/न्यू बोंगाईगांव के बीच 59/60 कामरूप एक्सप्रेस की सुविधाजनक गाड़ियाँ भी उपलब्ध हैं।

(ख) जी नहीं, परन्तु हावड़ा और न्यू बोंगाईगांव के बीच चलने वाली 59/60 कामरूप एक्सप्रेस को 1-5-72 से कटवा के रास्ते चलाया जायेगा।

(ग) जी हाँ, 6-3-1972 से 347/348 और 45/46 सवारी गाड़ियों को मिलाकर और गाड़ी नं० 333/334 को रद्द करके हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच और सीधी गाड़ी की व्यवस्था की गयी है।

कामरूप एक्सप्रेस और आसाम मेल में शायिकाओं का आरक्षण

1337. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कामरूप एक्सप्रेस और आसाम मेल, अप तथा डाउन दोनों ही गाड़ियों में, न्यू कूच बिहार स्टेशन (उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे) के लिये सभी श्रेणियों की कुल कितनी सीटों तथा शायिकाओं का आरक्षण किया जाता है; और

(ख) क्या सीटों तथा शायिकाओं की बढ़ती हुई माँग को दृष्टिगत रखते हुये सरकार का इनके कोटे में वृद्धि करने का विचार है; और यदि हाँ, तो कितनी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 60 डाउन कामरूप में न्यू कूच बिहार स्टेशन के लिए पहले दर्जे की 4 शायिकाओं और तीसरे दर्जे की 8 शायिकाओं तथा तीसरे दर्जे की 12 सीटों का कोटा आबंटित किया गया है। लेकिन 59 अप एक्सप्रेस में कोई कोटा निर्धारित नहीं है क्योंकि न्यू कूच बिहार और न्यू बोंगाईगांव के बीच की थोड़ी सी दूरी की यात्रा दिन में ही पूरी हो जाती है।

3 अप/4 डाउन असम मेल न्यू कूच बिहार के लिए कोई विशिष्ट कोटा आबंटित नहीं किया गया है। इन गाड़ियों में स्थान आरक्षण करने की माँगें आरक्षण नियंत्रक स्टेशनों से पूरी की जाती हैं।

(ख) जी नहीं।

जिला कूच-बिहार (पश्चिम बंगाल) के ग्रामों का विद्युतीकरण

1338. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 3 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6750 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, कूच-बिहार (पश्चिम बंगाल) जिले के जिन 97 गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा, उनके नामों के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन ग्रामों के नाम क्या हैं और उस योजना की बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). चतुर्थ योजना के लिए विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित कूच बिहार जिले (पश्चिम बंगाल) के 97 ग्रामों में से 93 ग्रामों के नामों को अंतिम रूप दिया गया है। शेष चार ग्रामों के नाम रिजर्व में रखे गए हैं और इनके नामों को तभी अंतिम रूप दिया जाएगा यदि कोई खास माँगें हों। 93 ग्रामों के नाम संलग्न सूची में दिये हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1570/72.**]

उपर्युक्त ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण हो जाने पर आशा है कि 300 कम गहरे नलकूपों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा और लगभग 32 कृषि आधारित/लघु उद्योगों को बिजली दे दी जाएगी।

हल्दियाबाड़ी से जलपाईगुड़ी तक (पूर्वोत्तर सीमा रेलवे) रेलवे लाइन को पुन: चालू किया जाना

1339. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **रेल** मंत्री हल्दियाबाड़ी से जलपाईगुड़ी को पुन: चालू करने के बारे में 22 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2764 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की हल्दियाबाड़ी से जलपाईगुड़ी रेलवे लाइन को पुन: चालू करने के लिये इस बीच कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जलपाईगुड़ी से हल्दियाबाड़ी तक लाइन को फिर से खोलने का मामला अभी विचाराधीन है क्योंकि इस क्षेत्र में बाढ़ से बचाव के लिए किये जाने वाले कुछ उपायों के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति अभी नहीं मिली है।

तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद् के अध्यक्ष का तम्बाकू के बारे में वक्तव्य

1340. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 21 फरवरी, 1972 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद् के अध्यक्ष श्री पी० बी० के० मूर्ति के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि "धुंआ दिया हुआ" (फ्लू क्योर्ड) वर्जिनिया तम्बाकू की चालू फसल लवणयुक्त है और देश में खपत के लिए अनुपयुक्त है तथा यह केवल समाजवादी देशों को भेजे जाने के लिए ठीक है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). श्री मूर्ति द्वारा दिया गया वक्तव्य सरकार के ध्यान में लाया गया है। सरकार इस पर श्री मूर्ति द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के साथ विचार कर रही है।

तम्बाकू के बाजार में मंदी

1341. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद् के अध्यक्ष श्री पी० बी० के० मूर्ति इंडियन टुबाको कंपनी लिमिटेड के निदेशक भी हैं तथा इंडियन लीफ टुबाको डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के महानिदेशक भी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इंडियन लीफ टुबाको डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा तम्बाकू के बाजार में लाई गई मंदी को रोकने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ।

(ख) तम्बाकू बाजार में मंदी बहुत अधिक फसल होने के कारण हुई। किसानों को राहत देने के लिए राज्य व्यापार निगम को बाजार में प्रवेश करने के लिए कहा गया।

विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट

1342. **श्री शशि भूषण** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1971 से विधि आयोग ने किस-किस प्रकार की रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं; और

(ख) विधि आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जुलाई, 1971 से विधि आयोग ने सरकार को निम्नलिखित पाँच रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं :

1. राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों पर 43वीं रिपोर्ट : (31-8-1971)।

2. सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता पर 44वीं रिपोर्ट : (31-8-1971);

3. योग्यता-प्रमाणपत्र के आधार पर उच्चतम न्यायालय को सिविल अपीलों के संबंध में 45वीं रिपोर्ट : (28-10-1971);

4. संविधान (25वां संशोधन विधेयक, 1971) पर 46वीं रिपोर्ट : (28-10-1971); और

5. सामाजिक और आर्थिक अपराधों के विचारण और दंड पर 47वीं रिपोर्ट : (28-2-1972)।

(ख) वर्तमान विधि आयोग के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. डा० पी० बी० गजेन्द्रगडकर	—अध्यक्ष
2. न्यायमूर्ति वी० आर० कृष्णा अय्यर	—सदस्य
3. डा० पी० के० त्रिपाठी	—सदस्य

हांगकांग में राज्य व्यापार निगम के सहायक उपक्रम का कार्यालय

1343. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में राज्य व्यापार निगम द्वारा हांगकांग में जो संयुक्त व्यापार उपक्रम की व्यवस्था की गई है, उसका वित्तीय तथा अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उस संयुक्त उपक्रम में भारतीय कर्मचारी भी कार्य करेंगे;

(ग) क्या विदेश के अनुपात से लाभ स्वदेश भेजे जाने के प्रश्न के बारे में भी अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में की गई व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) हांगकांग में संयुक्त व्यापार उद्यम की प्राधिकृत पूंजी 10 लाख हांगकांग डालर है जो कि 1000 शेयरों में बँटी हुई है । आरंभ में 960,000 हांगकांग डालर के 960 शेयर 50 : 50 के आधार पर, आधे भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा तथा बाकी आधे हांगकांग के 6 व्यापारियों द्वारा खरीदे जा रहे हैं ।

(ख) बोर्ड के 12 निदेशकों में से 6 राज्य व्यापार निगम (भारत) द्वारा मनोनीत किए जाएंगे ।

(ग) स्थानीय विधियों के अंतर्गत लाभ स्वदेश भेजे जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

(घ) विस्तृत प्रारंभिक सर्वेक्षणों के अनुसार यह आशा है कि भारतीय पूंजी पर्याप्त लाभ सहित शीघ्र ही स्वदेश वापिस लाई जा सकेगी ।

अभ्रक का निर्यात कार्यक्रम

1344. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक के निर्यात के प्रयोजनार्थ पुराने अभ्रक व्यापारियों को अब सरकार एजेन्ट कहा जाता है;

(ख) क्या इस मामले में धातु तथा खनिज व्यापार निगम की तकनीकी जानकारी नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो हमारे निर्यात कार्यक्रम में इस अंतर को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). सुस्थापित अभ्रक व्यापारी मुख्य संभरक तो हैं परन्तु वे खनिज तथा धातु व्यापार निगम, जो कि अभ्रक के निर्यात करने के जिए मार्गीकरण अभिकरण है, के संबंध में सरकारी अभिकर्ता नहीं हैं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के विदेशों में व्यापक संपर्क हैं और विपणन संबंधी उनकी विशेषज्ञता अभ्रक व्यापार तथा उद्योग को, जोकि अभ्रक के निर्यात बढ़ाने के लिए निगम के साथ मिलकर कार्य करेंगे, उपलब्ध होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचन विधि में सुधार करने से सम्बद्ध सिफारिशों को क्रियान्यित करने में विलम्ब

1345. **श्री पीलू मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा 21 फरवरी, 1972 को नई दिल्ली में दिए गए उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो कि 22 फरवरी, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है और जिसमें उन्होंने कहा है कि निर्वाचन विधि में सुधार करने के संबंध में उन्होंने जो सिफारिशें की थीं उन्हें क्रियान्वित करने में सरकार ने विलम्ब कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) वक्तव्य से संबंधित प्रकाशित समाचार में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन विधि में सुधार करने के संबंध में सरकार को की गई अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने की बाबत खेद प्रकट किया है। इन सिफारिशों की संसदीय समिति द्वारा जाँच की जा रही है। इस समाचार को हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा दिया गया शीर्षक उसका अपना है जो सही नहीं है।

(ख) संसद् में दिए गए आश्वासन के अनुसरण में निर्वाचन विधि के संशोधन के बारे में प्रस्ताव, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किए गए थे। इस प्रयोजन के लिए गठित पूर्वतर समिति 27-12-1970 को चतुर्थ लोक सभा के विघटन के कारण कार्य न कर सकी। पाँचवीं लोक सभा के गठित होने के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए नई संयुक्त समिति बनाई गई। इस संयुक्त समिति द्वारा 13 मार्च, 1972 को संसद् के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की गई। यह रिपोर्ट अब सरकार के विचाराधीन है।

भारत-संयुक्त अरब गणराज्य के मध्य व्यापार की समस्यायें

1346. **श्री पीलू मोदी :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के वाणिज्यिक अधिकारियों की बैठक दोनों देशों के मध्य व्यापार 'प्रोटोकोल' से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए काहिरा में हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ और क्या दोनों देशों के मध्य व्यापार 'प्रोटोकोल' से संबंधित मतभेदों का पता लगाया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न राज्यों में स्थित शिल्प उद्योगों के बारे में आँकड़े

1347. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के उद्योग निदेशकों द्वारा अपने-अपने राज्यों में स्थित शिल्प उद्योगों के संबंध में प्रेषित किए गए बुनियादी आँकड़ों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) हस्तशिल्प व्यापारियों तथा निर्यातकर्ताओं को विदेशी वाणिज्यिक सूचना एककों ने किस प्रकार की ठोस सहायता प्रदान की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड कई वर्षों से अपनी विभिन्न विकास योजनाएँ राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आँकड़ों के आधार पर तैयार कर रहा है । इस जानकारी के आधार पर और साथ ही सीधे बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षणों/अध्ययनों के आधार पर राज्य सरकारों को हस्तशिल्प के विकास की अपनी योजनाएँ अर्थात् एम्पोरियमों, डिजाइन केन्द्रों, सामान्य सुविधा केन्द्रों, प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों आदि की योजनाएँ तैयार करने में भी समय-समय पर सलाह दी जा रही है ।

(ख) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का एक आर्थिक जानकारी एकक है जो हस्तशिल्प की वस्तुओं के व्यापारियों तथा निर्यातकों को विदेशों में स्थित राजदूतावासों/कांसुलावासों से और बिक्री/अध्ययन दलों आदि की रिपोर्टों जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विदेशी बाजारों में प्रवृतियों/माँगों से अवगत करता रहा है।

निर्यातकर्त्ताओं का जोखिम उठाने संबंधी समिति

1348. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व मुद्राओं के 'फ्लोटेशन' के कारण निर्यात्तकर्ताओं को होने वाले जोखिम को अपने ऊपर लेने का सरकार का विचार है और क्या इस प्रश्न की जाँच के लिए एक समिति बनाई गई;

(ख) क्या उक्त समिति ने इस मामले की जाँच कर ली है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). मध्यम अथवा दीर्घावधि आस्थगित भुगतान के आधार पर संविदा करने वाले निर्यातकों को विनिमय दर में घट बढ़ से जो हानि उठानी पड़ सकती है उससे उनकी क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम और विदेश व्यापार मंत्रालय के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी दल गठित किया गया है। इस दल ने अपना प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत नहीं किया है।

दिल्ली क्षेत्र में क्वार्टरों का निर्माण तथा कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन

1349. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्षेत्र में कितने रेलवे कर्मचारियों को अभी क्वार्टर दिया जाना शेष है और क्वार्टर मिलने के लिए अधिक से अधिक कितनी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या दूसरे वेतन आयोग ने महानगरों में वरीयता के आधार पर कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण की सिफारिश की थी और यदि हाँ तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) दिल्ली क्षेत्र में अनिवार्य तथा अन्य वर्गों के लिए प्रतिक्षा की अवधि को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) दिल्ली क्षेत्र में रेलवे क्वार्टर पाने के लिए प्रतीक्षा की अधिकतम अवधि इस प्रकार है :

(i)	तृतीय श्रेणी	अनिवार्य	मई, 56 से
(ii)	तृतीय श्रेणी	गैर-अनिवार्य	दिसम्बर, 52 से
(iii)	चतुर्थ श्रेणी	अनिवार्य	जनवरी, 62 से
(iv)	चतुर्थ श्रेणी	गैर-अनिवार्य	अगस्त, 54 से

(ख) जी हाँ। साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सिफारिश में निहित सिद्धांत पर अनुसरण किया जा रहा है।

(ग) क्वार्टरों का निर्माण प्रत्येक वर्ष एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है, बशर्ते उसके लिए धन उपलब्ध हो।

अधिकारियों (उत्तर रेलवे) द्वारा एक ही समय दो स्थानों पर सरकारी क्वार्टर लिया जाना

1350. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के कुछ अधिकारियों ने कुछ महीनों से दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर दोनों स्थानों पर सरकारी क्वार्टर ले रखे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है और ऐसे मामलों में किस दर से किराया लिया जाता है; और

(ग) क्या दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों की अत्यधिक कमी की दृष्टि से ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) दो। पहले दो महीनों के लिए किराया सामान्य दर पर और उसके बाद दंड स्वरूप किराया निर्धारित किराये की दुगनी दर पर या परिलब्धियों का 10 प्रतिशत, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, इन अधिकारियों से वसूल किया जाता है।

(ग) सार्वजनिक परिसर अधिनियम (अनधिकृत कब्जा बेदखली), 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार है।

परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के संबंध में सिंचाई आयोग की टिप्पणियाँ

1351. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के बारे में कोई समीक्षा की है, यदि हाँ, तो उसका सारांश क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : सिंचाई आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

योजना के अधीन प्रायोजनाओं का पूरा किया जाना

1352. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना के अधीन आरम्भ की गई कुल 540 प्रायोजनाओं में से अब तक केवल 300 प्रायोजनाएँ ही पूरी की गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) अब तक 361 परियोजनाएँ पूर्ण हो गई हैं।

(ख) शेष 215 परियोजनाएँ निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। परियोजना के पूर्ण होने की अवधि, परियोजना के आकार-प्रकार, वर्षवार धनराशि की उपलभ्यता, कार्य आरंभ के वर्ष आदि पर निर्भर करेगी।

केरल सरकार द्वारा सिफारिश की गई पन-बिजली और सिंचाई परियोजनायें

1353. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने किन-किन पन-बिजली और सिंचाई परियोजनाओं की जाँच करने की सिफारिश की है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा किन-किन योजनाओं की जाँच आरम्भ की गई है; और

(ग) योजनाओं पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) सामान्यतः सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं का अन्वेषण राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों का कार्य है। केरल सरकार ने अन्वेषण के लिए केन्द्र को किसी स्कीम की सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

केरल में निर्माणाधीन पन-बिजली और सिंचाई योजनायें

1354. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में निर्माणाधीन पन-बिजली और सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ग) कल्लड़, पम्पा, पेरियर वल्ली, वित्तूर पूजा, कंजीरा पूजा, कुट्टियाडी और पाजास्सी राजा योजनाओं के पूरा किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) केरल में निम्न-लिखित सिंचाई और जल-विद्युत् स्कीमें निर्माणाधीन हैं :

सिंचाई

1. पेरियार घाटी
2. पम्बा
3. कुट्टियाडी
4. चित्तुरपुझा
5. पजासी
6. कन्हीरापुझा
7. कल्लाडा

जल-विद्युत्

1. कुट्टियाडी
2. इडिक्की

(ख) कुट्टियाडी जल-विद्युत् स्कीम के शीघ्र ही चालू होने की संभावना है। इडिक्की जल-विद्युत् स्कीम के प्रथम उत्पादन यूनिट के 1974 के उत्तरार्ध में चालू होने की संभावना है।

सिंचाई स्कीमों में से पेरियार घाटी और कुट्टियाडी परियोजनाओं के चतुर्थ योजना के अन्त तक निर्माण की प्रौढ़ावस्था में पहुँच जाने की संभावना है। अन्य स्कीमों के पाँचवीं योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ग) तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य निर्माण अनुसूचितों के अनुसार काम को पूरा करने के लिए अपेक्षित मात्रा में धन जुटाने में राज्य सरकार की असमर्थता।

पटसन के सामान का निर्यात

1355. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों की अपेक्षा चालू वित्तीय वर्ष में पटसन की वस्तुओं के निर्यात में लगभग 110 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है; और

(ग) जिन देशों को पटसन की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनके नाम क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). अप्रैल, 1971–फरवरी, 1972 के 11 महीनों के दौरान पटसन माल के निर्यात 273·36 करोड़ रुपये मूल्य के थे। यद्यपि पूरे वर्ष के संबंध में अंतिम आँकड़े बाद में प्राप्त होने हैं, पर ऐसा अनुमान है कि कुल निर्यात लगभग 300 करोड़ रुपये मूल्य के होंगे जबकि 1970-71 के दौरान 189·93 करोड़ रुपये के निर्यात हुए थे।

(ग) आजकल पटसन माल का निर्यात दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी रोडेशिया, पुर्तगाल तथा पाकिस्तान को छोड़कर लगभग सभी देशों को किया जा रहा है।

भारतीय रेलों के प्रबंध में कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना

1356. **श्री वयालार रवि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के प्रबंधक निकायों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). प्रबंध के कुछ क्षेत्रों में रेल कर्मचारी पहले से ही भाग ले रहे हैं। जैसा कि 20-3-72 को रेलवे बजट पर आम बहस के उत्तर में पहले ही कहा जा चुका है, कर्मचारियों द्वारा प्रबंध में भाग लेने का क्षेत्र बढ़ाने के प्रश्न पर इस मामले के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, विस्तारपूर्वक जाँच करने की आवश्यकता है।

नारियल के छिल्के के चूरे (कोकोनट हस्क) का मूल्य

1357. **श्री वायालार रवि** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय के आदेश, जिससे 1969 के मूल्य नियंत्रण आदेश को रद्द किया गया है, को देखते हुए क्या सरकार के पास नारियल के छिलके के चूरे के मूल्य नियंत्रित करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो नए प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या केरल सरकार ने इस बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हाँ, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). निर्णय की एक प्रति हाल में ही प्राप्त हुई है और अभी इस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

बिजली बंद होने के कारण उर्वरक संयंत्रों के उत्पादन में कमी

1358. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली का बंद होना ही उर्वरक संयंत्रों के उत्पादन में कमी का कारण बताया गया है;

(ख) क्या उर्वरक उत्पादक के प्रतिनिधियों तथा योजना आयोग के बीच इस समस्या पर बातचीत हुई थी; और

(ग) उनके मंत्रालय ने इस संबंध में क्या कदम उठाने के सुझाव दिए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). प्रमुख उर्वरक उत्पादकों के प्रतिनिधियों के साथ नवम्बर, 1971 में योजना आयोग द्वारा हुई बैठक में यह मालूम हुआ कि यद्यपि और भी अन्य कारण थे जो कम उत्पादन के लिए उत्तरदायी थे परन्तु कुछ मामलों में विद्युत की कमी और विद्युत सप्लाई में अस्थायित्व का कारण कम क्षमता समुपयोजन था ।

(ग) प्रमुख विशिष्ट मामलों में उपयुक्त रूप से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं :

(1) पारेषण लाइनों का उचित अनुरक्षण जिनके द्वारा विद्युत-सप्लाई उपलब्ध कराई जा रही है;

(2) खराबियों को दूर करने के लिए उचित सुरक्षा के उपायों की व्यवस्था;

(3) सप्लाई चालू रखने को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत् सप्लाई का वैकल्पिक स्रोत;

(4) स्वयं उर्वरक प्रतिष्ठापन की सुरक्षा प्रणाली इन्स्ट्रुमेंटेशन, पावर सर्किटरी, इत्यादि में सुधार;

(5) नांगल उर्वरक कारखाने के संबंध में जहाँ पंजाब सरकार ने विद्युत् में कटौती लागू की हुई है, केन्द्र की कमी को पूरा करने के लिए पड़ौसी विद्युत् प्रणाली से विद्युत्-सप्लाई की व्यवस्था के लिए प्रयत्न कर रहा है ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के पान्सकुड़ा स्टेशन पर रेल गाड़ियों की टक्कर

1359. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री पी० एम० मेहता :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अक्टूबर, 1971 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के पान्सकुड़ा स्टेशन पर 316 डाउन चक्रधरपुर-आद्रा हावड़ा एक्सप्रेस रेल गाड़ी की टक्कर के लिए किन अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया है; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख). यह दुर्घटना 5-12-71 को हुई थी न कि 5-10-71 को।

कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, जिन्होंने इस दुर्घटना की विधिक जाँच की थी, की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। उस रिपोर्ट के मिलने पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

रेलों के लिए आधुनिक उपकरणों के आयात पर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए निर्माताओं को रियायतें

1361. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा स्थापित सरकारी अधिकारियों की समिति ने स्वदेशी निर्माताओं को अत्यधिक रियायतें देने की सिफारिश की है जिससे रेलों के लिए आधुनिक उपकरणों के आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं।

हंगरी के साथ व्यापार करार

1362. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और हंगरी ने व्यापार करार किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस करार से भारत को किस प्रकार लाभ होगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). भारत सरकार तथा हंगरी जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच पाँच वर्ष (1971-1975) की अवधि के लिए वैध एक व्यापार तथा भुगतान करार पर दिनांक 3 मार्च, 1971 को बुडापेस्ट में हस्ताक्षर किए गए। इस करार की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

इस करार की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

1. दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को समता तथा पारस्परिक लाभ के आधार पर विकसित तथा सुदृढ़ किया जाएगा ।

2. आयातों का मूल्य, दोनों में से किसी भी देश द्वारा किये गए निर्यातों के मूल्य के बराबर होगा ।

3. आयातों अथवा निर्यातों के संबंध में लगाए गए किसी भी प्रकार के सीमाशुल्कों आदि प्रभारों के विषय में परम-मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान किया जाएगा ।

4. दोनों में से किसी भी देश के वैधिक तथा वास्तविक व्यक्ति जब दूसरे के राज्य-क्षेत्र में वाणिज्यक गतिविधियों में रत हों, तब उन्हें वैयक्तिक संरक्षण तथा सम्पत्तियों के संरक्षण के संबंध में परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्राप्त होगा ।

5. दोनों में से किसी भी देश द्वारा दूसरे को निर्यात किए गए माल का किसी अन्य देश को पुनर्निर्यात नहीं किया जाएगा ।

6. वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक स्वरूप के सभी भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में किये जाएँगे ।

7. दोनों देशों के बीच माल के नौवहन के लिए दोनों देशों के नौवहन संगठनों के अपने अथवा भाड़े पर लिए गए जहाजों के अधिकतम संभव उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

8. दोनों सरकारें, भारत तथा हंगरी के व्यापार और साथ ही विनिर्माता तथा वास्तविक प्रायोक्ता संगठनों के बीच यात्राओं के आदान प्रदान से, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेकर और जानकारी की पूर्ति और एक दूसरे की आवश्यकताओं और उपभोक्ताओं की पसन्द का अध्ययन करने में परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए संबंध में वृद्धि को सुदृढ़ बनाएँगी ।

9. दोनों सरकारें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच घनिष्ट सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगी ।

10. दोनों सरकारें अन्य देशों में संयुक्त विपणन के लिए अपने साधन तथा विशेषज्ञ-सेवाएँ समेकित करने के प्रयोजनार्थ और परस्पर सहयोग के आधार पर अन्य देशों के औद्योगिक विकास कार्यक्रमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों देशों के औद्योगिक तथा व्यापारिक उद्यमों के बीच सहयोग बढ़ायेंगी ।

गत कुछ वर्षों के दौरान भारत और हंगरी के बीच व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस करार से दोनों देशों के बीच व्यापार परिमाण में वृद्धि करने और उसके विविधीकरण हेतु सहायता मिलेगी ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में पन-बिजल की संभाव्यता के संबंध में सर्वेक्षण

1363. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों अर्थात् अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौढ़ी-गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी-गढ़वाल, और उत्तर काशी में पन बिजली की संभावनाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ऐसा कोई सर्वेक्षण करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में पन-बिजली तैयार करने सम्बंधी योजना की प्रगति

1364. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ीगढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी-गढ़वाल और उत्तरकाशी जैसे पहाड़ी जिलों में पन-बिजली तैयार करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और उसकी भावी योजनाएँ क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : अपेक्षित जानकारी, विवरण I, II, और III में दी गई है जो इसके साथ संलग्न हैं [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1570/72.**]

पंचेश्वर और टिहरी बाँधों की प्रगति

1365. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचेश्वर और टेहरी बाँधों की नवीनतम स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : दोनों परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

पंचेश्वर बाँध : पंचेश्वर परियोजना के लिए प्रारम्भिक अन्वेषण पहले ही किए जा चुके हैं और एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। चूँकि पंचेश्वर बाँध के लिए स्थान शारदा नदी, जो कि भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, के अपवाह-क्षेत्र के अन्दर ही ढूँढ़ना है, इसलिये यह आवश्यक है कि परियोजना के निर्माण के लिए नेपाल के प्राधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त की जाए। तदनुसार, परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति नेपाल सरकार को भेजी गई है। उस सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

टिहरी बाँध : इस स्कीम का सिंचाई, बाढ़-नियंत्रित और विद्युत् परियोजनाओं के लिए सलाहकारी समिति द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

Export to West European Countries

1366. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the value of commodities exported from India to West European countries during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : The value of commodities exported from India to the West European countries during the last 3 years were of the order of Rs. 339·41 crores during 1968-69, Rs. 295·22 crores during 1969-70 and Rs. 300·26 crores during 1970-71.

Departmental Enquiries Against Employees of North Eastern Railway

1367. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees on the North Eastern Railway against whom Departmental enquiries were instituted during the last two years and the number of employees against whom enquiries are still in progress; and

(b) the number of employees removed from service as a result of Departmental enquiries during the said period ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

विधान सभा निर्वाचनों में कुछ स्थानों पर मतदाताओं द्वारा बहिष्कार

1368. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विधान सभाओं के लिए हाल ही में हुए साधारण निर्वाचनों में कुछ स्थानों पर एक भी मत नहीं डाला गया अथवा बहुत ही थोड़े मत डाले गये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने जाँच की है कि किन कारणों से मतदाताओं ने निर्वाचनों का बहिष्कार किया; और

(ग) जाँच के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य विधान सभाओं के हाल के साधारण निर्वाचनों में घायल हुए तथा मारे गए मतदान अधिकारी

1369. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान सभाओं के हाल के साधारण निर्वाचनों में निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त ऐसे मतदान अधिकारियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों की संख्या कितनी है जो देश के विभिन्न भागों में मारे गए तथा घायल हुए है;

(ख) मृत व्यक्तियों के परिवारों को तथा घायल व्यक्तियों को कितना मुआवज़ा दिया गया है; और

(ग) मतदान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा सुरक्षा के क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मद्रास 'बीच' और तम्बरम के बीच प्रत्येक स्टेशन पर सोडा वाटर और फल के स्टालों के लाइसेंस शुल्क

1370. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में दक्षिण रेलवे में मद्रास और तम्बरम के बीच प्रत्येक स्टेशन पर सोडा वाटर तथा फलों के स्टालों पर कितना लाइसेंस शुल्क लगाया गया था ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : एक विवरण संलग्न है, जिसमें ब्यौरा दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1571/72]**

'वायरलेस आपरेटरों' का दक्षिण रेलवे में स्थानान्तरण

1371. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे में 150-300 रुपये के वेतनमान वाले 'वायरलेस आपरेटरों' के स्थानान्तरणों के आदेश केवल डिवीजन में ही स्थानान्तरण करने के लिए दिये जाते हैं और केवल उच्च ग्रेड में पदोन्नति पर ही उन्हें एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में स्थानान्तरित किया जाता है; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण रेलवे में इस व्यवस्था का पालन, नहीं किया जा रहा है और यदि हाँ, तो इस संबंध में इन जोनल रेलवे में समान नीति न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) दक्षिण रेलवे के विभिन्न मण्डलों में चालित परिपथों के अनुसार वायरलेस आपरेटरों की संख्या में काफी अन्तर है। प्रारम्भिक भर्ती को रेलवे के आधार पर केन्द्रीकृत रखना आवश्यक है जो कि मण्डलीय आधार से भिन्न है। विभिन्न रेलों पर परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए हमेशा एकरूपता रखना सम्भव नहीं है।

राजदूतों के द्वारा विदेशी व्यापार को बढ़ावा

1372. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में अपने राजदूतों से भारतीय वस्तुओं के विदेश व्यापार को बढ़ाने के हेतु उपाय करने को कहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप विदेश व्यापार में और विदेशी मुद्रा की आय में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विदेशों में भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय करने तथा जिन देशों में वे प्रत्यायित हैं, उनके साथ संबंध बढ़ाने के लिए स्थायी अनुदेश दिए हुए हैं ।

(ख) देश का कुल निर्यात निष्पादन कई कारणों से प्रभावित होता है । अतः यह बताना संभव नहीं है कि हमारे राजदूतों के प्रयत्नों से निर्यातों में सीधे कितनी वृद्धि हुई है ।

जम्मू-पठानकोट लाइन का पूरा किया जाना

1373. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-पठानकोट रेल लाइन पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त लाइन पर गाड़ियाँ कब तक चलने लगेंगी;

(ग) पठानकोट और जम्मू के बीच कितनी 'अप' और 'डाउन' गाड़ियाँ चलाने का विचार है; और

(घ) क्या इस समय दिल्ली से पठान-कोट तक जाने वाली गाड़ियों को जम्मू तक बढ़ा दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) पठानकोट से कठुआ तक रेलवे लाइन पहले से ही विद्यमान है और कठुआ से जम्मू तक लाइन का निर्माण किया जा रहा है ।

(ख) आशा है कि कठुआ से जम्मू तक लाइन को 1972 के अन्त तक यातायात के लिए खोल दिया जायेगा ।

(ग) अस्थायी रूप से यह विनिश्चय किया गया है कि अपेक्षित यातायात होने पर जब यह खण्ड यात्री यातायात के लिए खोला जायेगा, तब इस पर दो जोड़ी यात्री गाड़ियाँ चलायी जायेंगी । यातायात उपलब्ध होने पर प्रत्येक दिशा में एक सीधी माल गाड़ी और एक निर्माण कार्य गाड़ी चलाने का भी प्रस्ताव है ।

(घ) दिल्ली/नयी दिल्ली और पठानकोट के बीच चलने वाली गाड़ियों में से कम से कम एक गाड़ी को जम्मू से और जम्मू तक बढ़ा दिया जायेगा ।

केरल में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पेय जल सुविधाओं की व्यवस्था

1374. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर पेय जल सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हाँ, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहाँ पेय जल सुविधाएँ अब तक प्रदान नहीं की गयीं; और

(ग) उक्त सुविधाएँ कब तक प्रदान की जायेंगी ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। कुछ छोटे स्टेशनों को छोड़कर, केरल राज्य के सभी स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) और (ग). निम्नलिखित हाल्ट स्टेशनों पर, जहाँ यात्री यातायात बहुत कम है, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है :

कुरी'	ओडारा
कुन्दरा ईस्ट	पेरन्गुजी
कुमारानालूर	ईरावीपुरम
कुरीकाद	नालूकोडि
इतीतलम्	वेली
मूनरोतोरोतू	कन्नापुरम

इन उपर्युक्त स्टेशनों पर बहुत कम यातायात होने के कारण यह सुविधा प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

केरल में नए रेलवे स्टेशनों का खोला जाना

1375. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान केरल राज्य में कितने और कौन-कौन से नए रेलवे स्टेशन खोले गए; और

(ख) उक्त राज्य में आगामी वित्त वर्ष के दौरान कितने और कौन-कौन से नए रेलवे स्टेशन खोले जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 1971-72 के दौरान केरल राज्य में निम्नलिखित तीन नए स्टेशन खोले गए हैं :

1. कोचुवेली पार स्टेशन

2. तिरुवंगुर गाड़ी हाल्ट
3. कोडुमुण्डा गाड़ी हाल्ट

(ख) 1972-73 में केरल राज्य में कोई नया स्टेशन खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

मछली पकड़ने वाले जहाजों का निर्यात

1376. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाजों का विदेशों को निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो मछली पकड़ने वाले कितने जहाजों का निर्यात किया गया और चालू वित्तीय वर्ष में इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). मछली पकड़ने के जलयानों के लिए निर्यात आँकड़े अलग से प्राप्त नहीं हैं । चालू वर्ष (अप्रैल से केवल सितम्बर, 1971) के दौरान 1,40,286 रु० मूल्य की 66 नौकाएँ, जहाजी-नौकाएँ तथा लकड़ी की डोंगियाँ निर्यात की गई थीं ।

रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों के लिए बोनस योजना

1377. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों के लिए बोनस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). योजना की जाँच की जा रही है ।

जापान का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल

1378. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल मार्च, 1972 में भारत आया था;

(ख) क्या इस व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

S. T. C.'s Subsidiaries Abroad

1379. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the State Trading Corporation propose to set up its subsidiaries in foreign countries; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) and (b). No, Sir. But in some countries like Nigeria to comply with local laws, it may have to be given the technical forum of a subsidiary.

With a view to promote India's exports to and through Hongkong S. T. C. however propose to participate as a Joint Venture on 50·50 basis in S. T. C. (FE).

प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत योजना के अंतर्गत लौह-अयस्क का निर्यात

1380. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विकसित देशों से माँग की है कि प्राथमिकताओं की सामान्यीकृत योजना को विकासशील देशों द्वारा लौह-अयस्क के निर्यात पर लागू किया जाय; और

(ख) यदि हाँ, तो विकसित देशों की इस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). सभी विकसित देशों में लौह-अयस्क को "शुल्क मुक्त" आने दिया जाता है ।

डमडम हवाई अड्डे के निकट निर्यात वस्तु परीक्षण जोन की स्थापना

1381. **श्री बनमाली पटनायक :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डमडम हवाई अड्डे के निकट निर्यात वस्तु परीक्षण जोन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक की जायेगी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कपड़ा निर्यात व्यापार को हाथ में लेने का विरोध

1382. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा निर्यात व्यापार को हाथ में लेने के प्रस्ताव का विरोध किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). वस्त्रों के निर्यात व्यापार को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के प्रश्न पर सरकारी क्षेत्र के कार्य को बढ़ाने की सरकार की नीति के अनुसार विचार किया जाता है और इस प्रश्न की जाँच करने तथा इस प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त संगठन के बारे में सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

माल डिब्बों के लिये विदेशी बाजार

1383. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष अप्रैल में स्थापित किये गये राज्य व्यापार निगम के, सहायक, राज्य परियोजना और उपकरण निगम ने रेल के माल डिब्बों और उपकरणों के निर्यात के लिये आर्डर प्राप्त किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) नये आर्डर लेने के प्रयोजन से विदेशी मंडियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेशी व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) . परियोजना तथा उपस्कर निगम के पास इस समय, हंगरी, पोलैंड, यूगोस्लाविया, पूर्व अफ्रीका, जम्बिया तथा ईरान सहित विभिन्न देशों को रेल माल डिब्बे तथा अन्य रेल उपस्कर की सप्लाई करने के लिए 51·29 करोड़ रु० मूल्य के क्रयादेश हैं। इन क्रयादेशों में से रेल उपस्करों के लिए लगभग 86 लाख रु० मूल्य के क्रयादेश हैं और बाकी क्रयादेश रेल माल डिब्बों के लिए हैं। ऐसा अनुमान है कि 1971-72 के दौरान रेल डिब्बों के कुल निर्यात लगभग 9·5 करोड़ रु० तथा 1972-73 में लगभग 18 करोड़ रु० मूल्य के होंगे।

(ग) परियोजना तथा उपस्कर निगम ने नये क्रयोदेश प्राप्त करने के लिए विदेशी बाजारों का पता लगाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) रेल डिब्बों के निर्यात हेतु बहुत से देशों को निविदाओं के रूप में आफर भेजे गये।

(2) खरीद करने वाले संभावी देशों में, रेल डिब्बों के संभरक के रूप में भारत का चित्र प्रस्तुत करने वाला आकर्षक साहित्य वितरित किया गया है।

(3) परियोजना तथा उपस्कर निगम ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त बाजार संबंधी जानकारी पर कार्यवाही करने की व्यवस्था की है।

(4) लातीनी अमरीकी बाजारों का अन्वेषण करने के लिए लातीनी अमरीकी देशों को एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है।

(5) परियोजनों तथा उपस्कर निगम के अधिकारियों ने व्यक्तिगत सम्पर्क के लिए संभावित बाजारों का दौरा किया और संभावित विदेशी खरीदारों को भारत आने का निमन्त्रण दिया।

मेवों का आयात

1384. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईराक, ईरान और अफगानिस्तान से गत तीन वर्षों में मेवों का प्रति वर्ष कितना आयात किया गया;

(ख) क्या मेवों का आयात 'सरकारी ऐजेंसियों' के माध्यम से किया जाता है अथवा गैर-सरकारी पार्टियों के माध्यम से;

(ग) मेवों के कुल आयात का कितना प्रतिशत 'सरकारी ऐजेंसियों' के माध्यम से किया गया और कितना प्रतिशत गैर-सरकारी ऐजेंसियों के माध्यम से; और

(घ) क्या सरकार का विचार मेवों का आयात पूर्णरूपेण 'सरकारी ऐजेंसियों' के माध्यम से करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). खजूरों के अलावा भारत में मेवों का आयात केवल अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता है। 1968-69, 1969-70, तथा 1970-71 के वर्षों में इन देशों से मेवों के हमारे आयात क्रमश: 14,856 मे० टन, 13,370 मे० टन और 9,918 मे० टन थे।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फैडरेशन को किये गये आबंटन के अलावा इस समय मेवों का आयात गैर सरकारी व्यापार द्वारा किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से मेवों के आयात को मार्गीकृत के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार करती रही है। इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में निर्णय किया जाएगा।

जिला दरभंगा, बिहार में खिरोई नदी के ऊपर स्लाइस गेट और पुल के निर्माण कार्य में प्रगति

1385. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के दरभंगा जिले में हखिरपुर कालागाँव (सिंहवाड़ा खंड में) और मुरैशा (जलेख खंड में) गाँवों के बीच खिरोई नदी के ऊपर स्लाइस-गेट और पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव काफी समय से अनिर्णीत पड़े हैं और यदि हाँ, तो इस मामले की नवीनतम स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : बिहार राज्य सरकार स्कीम को तैयार करने के लिए अभी भी जल-वैज्ञानिक संप्रेक्षण कर रही है और ये आगामी मान-सून के दौरान भी जारी रहेंगे। स्कीम, अन्वेषण कार्य पूर्ण होने पर, तैयार की जानी है।

दिल्ली में मतदाता सूचियों में शुद्धि करने के लिये लगाये गये अध्यापकों को भुगतान

1386. **श्री अम्बेश** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री 16 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मतदाता सूचियों में शुद्धि करने के लिए लगाये गये बहुत से अध्यापकों को अभी तक भी मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है जबकि उनका काम असन्तोषजनक नहीं पाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). जैसाकि 16 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न सं० 201 के उत्तर में बतलाया गया है, कुछ अध्यापकों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण की बाबत मानदेय का संदाय और आगे जाँच होने तक रोक दिया गया था। मामला मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली को निर्दिष्ट कर दिया गया है, जिसका उत्तर प्राप्त होने पर सरकार द्वारा अन्तिम विनिश्चय किया जाएगा।

Withholding of Honorarium of Teachers Engaged for Correcting Voters Lists in Delhi

1387. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether the teachers of Government Higher Secondary School, Malaviya Nagar, New Delhi, were engaged on the work of correcting lists for three days;

(b) whether the work done by some of the teachers was not found satisfactory; and

(c) if so, the reasons for withholding the honorarium of all the teachers of the said school ?

The Minister in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) to (c). The teachers of the Government Higher Secondary School, Malaviya Nagar, New Delhi, along with teachers of other Government Higher Secondary Schools were engaged for a week in connection with the revision of electoral rolls in Delhi. Since in some cases the work was done in a most unsatisfactory manner and special revision of the rolls had to be undertaken in several areas by employing additional staff for the purpose, resulting in avoidable expenditure to Government, payment of honorarium was with-held pending further examination. The matter has been referred to the Chief Electoral Officer, Delhi, on receipt of whose reply a final decision will be taken by Government.

Appointment of Scheduled Castes as Principals in Railway Educational Institutions

1388. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1199 on the 23rd November, 1971 regarding appointment of Scheduled Castes as Principals in Railway Educational Institutions and state :

(a) whether the information asked for in parts (b) and (c) of the aforesaid question has since been collected;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) if not, the time by which the information is likely to be laid on the Table of the House ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) and (c). (i) Only one person belonging to the Scheduled Caste is holding the office of Principal on Western Railway.

(ii) The posts of Principals in Railway Educational Institutions, which were Class III posts have now been placed in the Gazetted Cadre. According to the recruitment rules framed, these posts have to be filled in by promotion failing which by direct recruitment. No quota is reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotion to Gazetted posts. In case of direct recruitment, the reserved quota will be kept in view.

Appointment of Principal belonging to Scheduled Tribes for Railway Schools/Colleges

1389. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6713 on the 3rd August, 1971 regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Railway Schools and Colleges and state :

(a) whether barring Western Zone, there is not even a single Principal belonging to Scheduled Tribes in any other zone; and

(b) if so, the action being taken to ensure recruitment of persons belonging to Scheduled Tribes against quota of posts reserved for them in pursuance of orders issued by the Home Ministry ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Only one person belonging to the Scheduled Caste is holding the office of Principal on Western Railway.

(b) These posts which were Class III posts have now been placed in the Gazetted Cadre. According to the recruitment rules framed, these posts have to be filled in by promotion failing which by direct recruitment. No quota is reserved for Scheduled Tribes in promotion to Gazetted posts. In case of direct recruitment, the reserved quota will be kept in view.

Rules for the Appointment of Principals for Railway Educational Institutions

1390. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7394 on the 10th August, 1971 regarding appointments of Principals for Educational Institutions run by Railways and state :

(a) whether Government have framed rules governing the appointment of Principals/Headmasters; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : Yes.

(b) The recruitment rules provide that the post of Principal/Head Master/Head Mistress will be filled by promotion failing which by direct recruitment through the Union Public Service Commission. A copy of the recruitment rules is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—1572/72.]

चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर छतदार शेड की व्यवस्था

1392. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आने वाले पार्सलों को रखने के लिए कोई छतदार शेड नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये पार्सल प्लेटफर्मों पर बिना आवरण के पड़े रहते हैं जहाँ उनके खोने, नष्ट होने अथवा चुराये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) और (ख) . स्टेशन के प्लेफार्म पर जहाँ आवक पैकेट रखे जाते हैं, दो माल डिब्बों के खोल रख दिये गये हैं। कभी-कभी जब बहुत अधिक पार्सल आ जाते हैं, तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है, लेकिन उन्हें तिरपाल से ढक दिया जाता है। प्लेटफार्म पर पैकेट छोड़ दिये जाने के कारण उनके खो जाने, क्षतिग्रस्त होने या उनकी उठाईगीरी का कोई मामला नहीं हुआ है।

(ग) स्टेशन के लिए नयी इमारत का पहले से ही निर्माण हो रहा है जिसमें पार्सल रखने के लिए पर्याप्त छतदार स्थान की व्यवस्था की गयी है।

Working conditions of Railway Commercial Clerks

1393. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3370 on the 17th March, 1970 regarding working conditions of Railway Commercial Clerks and state :

(a) the names of the Railway Officers, zone wise, who conducted the study of working procedure and work load and the names of the railway stations where the study was conducted;

(b) the comments offered by the investigating officers;

(c) the names of station employees, who were interrogated at the time of study, station-wise and zone-wise; and

(d) the findings of 'the R. B. Lal Commission for Claims' in this regard ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Closure of Railway Out-Agencies

1394. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any Railway Out-Agencies have been functioning for transporting goods from one Station to another station on the Central Railway;

(b) if so, the names of the Stations served by them;

(c) whether some of the agencies have recently been closed down and if so, the reasons therefor;

(d) whether the traders and residents of the places where these agencies have been closed down have pleaded for their continuance; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Agencies for carrying goods from outlying areas to railway stations and vice versa are functioning on the Central Railway.

(b)

Name of Out-Agency	Name of the serving Railway Station
1. Malegaon	Manmad
2. Chhatarpur	Harpalpur
3. Sironj	Ganj Basoda
4. Rath	Kulpahar
5. Tikamgarh	Lalitpur
6. Jalaun	Orai
7. Gursarai	Mau Ranipur
8. Baberu	Banda

(c) No out agency has been closed in the period from 1-4-1971 to 20-3-1972.

(d) and (e). In view of answer to part (c), these questions do not arise.

Progress of Sukta Project (M. P.)

1395. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the estimated cost of Sukta Project (M. P.);

(b) whether its cost has been revised and if so, the reasons therefor;

(c) the revised cost of the project; and

(d) whether the progress of work is satisfactory and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (d). The Sukta Project, as earlier proposed by the Government of Madhya Pradesh had been estimated to cost Rs. 632 lakhs. In 1969, the State Government intimated that the project proposals were being modified. The modified report has not so far been received from the State Government.

Sleeping and Sitting Accommodation in Pathankot and Varanasi Express Trains

1396. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase sleeping and sitting accommodation in Pathankot and Varanasi Express trains running between Bombay Central and New Delhi and between Bombay and Varanasi respectively; and

(b) if so, the number of berths and seats proposed to be increased in the said trains ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b). At present there is no proposal to increase accommodation in 57 Up/58 Dn. Bombay-Pathankot Express. In case of 28 Up/27 Dn. Bombay-Varanasi Express, IIIrd class sitting accommodation is being augmented by 240 seats from 1.5.1972.

Conversion of Khandwa-Ajmer Line into Broad Gauge (Western Railway)

1397. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the survey work regarding conversion of Khandwa-Ajmer metre gauge line into Broad Gauge line has since been completed;

(b) if so, the findings thereof; and

(c) when the construction work of this line will be taken up ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No survey has been undertaken for the conversion of this section.

(b) and (c). Do not arise.

Participation of Government Officials of Madhya Pradesh in Election Propaganda

1398. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether Members of Parliament from Madhya Pradesh M. L. As., political parties and candidates had lodged complaints through telegrams and letters with the Chief Election Commissioner regarding the participation of Government officials of Madhya Pradesh in election propaganda;

(b) if so, the nature of complaints made;

(c) whether some Members of Parliament had demanded posting of observers in certain constituencies to ensure impartial elections and if so, the names of the members and the names of the constituencies; and

(d) the action taken by the Chief Election Commissioner in this regard ?

The Minister in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) Yes, Sir. 24 complaints in all were received.

(b) The complaints were generally regarding alleged participation of Government officials in the election compaign, misuse of Government machinery, intimidation and terrorising of voters etc.

(c) and (d). Yes, Sir. Two requests, one from Shri Phoolchand Verma, M. P., and the other from Shri N. K. Shejwalkar, M. P., for sending observers were received in the Election Commission. The complaint received from Shri Phoolchand Varma was general, without reference to any particular constituency. It was sent by the Election Commission to the Chief Secretary to the Government of Madhya Pradesh for inquiry and report, with the direction that Government should ensure fair and free elections. No action in regard to other complaint from N. K. Shejwalkar to depute an observer to 17-Gird-Assembly constituency could be taken as the complaint was received in the Election Commission only on the date of poll, that is, on the 11th March, 1972.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

धागे की ऊँची कीमत के कारण उत्तर प्रदेश में हथकरघों तथा विद्युत करघों के बुनकरों में व्याप्त असंतोष का समाचार

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय (गोरखपुर) : मैं विदेश व्यापार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"धागे की ऊँची कीमत, राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता न मिलने और जमा स्टाक की बिक्री न होने के कारण उत्तर प्रदेश में हथकरघों तथा विद्युत करघों के बुनकरों में व्याप्त कथित असंतोष ।"

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : वर्ष 1970-71 में स्वदेशी रुई की केवल 53 लाख गाँठों की थोड़ी फसल के परिणामस्वरूप रुई की अत्यधिक कमी रही और उसकी कीमतों में असाधारण वृद्धि हुई । परिणामस्वरूप, इस अवधि में सूती धागे की कीमतें बढ़ गईं । 1970-71 में कपड़ा और धागे दोनों का वार्षिक उत्पादन 20 वर्षों में सबसे कम रहा । चूंकि हथकरघा, शक्तिचालित करघा और होजरी एककों को उचित कीमतों पर सूती धागा प्राप्त करने में कठिनाई हुई, अतः इन क्षेत्रों द्वारा अनुभव की जा रही सूत की कमी को कुछ सीमा तक कम करने के लिए फरवरी, 1971 में एक धागा पूल योजना आरंभ की गई । जिन कीमतों पर भाग लेने वाली मिलों से धागा बेचने के लिए कहा गया वे अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1970 के दौरान प्रचलित विशिष्ट काउंटों की कीमतों की औसत कीमतें थीं । इस योजना के अंतर्गत आबंटित धागे के वितरण का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का थाँ । इस योजना की अवधि हाल में बढ़ा दी गई है और उसमें मार्च-मई, 1972 की तिमाही सम्मिलित कर दी गई है । शीघ्र ही इस तिमाही के लिए आबंटनों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा ।

वस्त्र आयुक्त ने धागा पूल योजना के अंतर्गत अक्तूबर, 1971 से फरवरी, 1972 तक की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश को हैंक धागे की 1433 गाँठें (हथकरघा के लिए) और कोन धागे की 4650 पेटियाँ (शक्तिचालित करघों के लिए) आबंटित की हैं । यह आबंटन राज्य सरकार की हैंक धागे की माँग के 96% और कोन धागे की माँग के 86% के बराबर है । उपरोक्त प्रतिशतताएं उत्तर प्रदेश के लिए सभी राज्यों से अधिक थीं । तदनुसार, अक्तूबर-दिसम्बर, 1971 में उत्तर प्रदेश को विशेष व्यवहार प्रदान किया गया है । मार्च-मई, 1972 के लिए आबंटन अभी किये जाने हैं । इस तिमाही के लिए आबंटन के बारे में अंतिम निर्णय करने से पूर्व, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने की व्यवस्था की जा रही है ।

इन दिनों बुनाई एककों को स्टेपल रेशा धागे की नियमित सप्लाई के संबंध में कुछ कठिनाई रही है और बाजार में कीमतें काफी बढ़ गई । ऐसा मुख्य रूप से मैं० ग्वालियर रेयन्स के पल्प कारखाने में लगभग ढाई महीने तक हड़ताल रहने के कारण हुआ है, जो स्टेपल रेशे के मुख्य संभरणकर्ता हैं । तथापि, वस्त्र आयुक्त द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप, उत्तरी भारत की मिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले मानव-निर्मित रेशा बुनकर संघ ने स्वीकृत कीमतों पर अपने उत्पादन का 50% भाग सप्लाई करने के बारे में बुनकर संघों ने से समझौता किया है । इस व्यवस्था के अंतर्गत, बुनकर संघ ने उत्तर प्रदेश के बुनकरों के बीच वितरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम को प्रति मास स्टेपल रेशा धागे की 3,500 गाँठें आबंटित की हैं । उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम ने उस धागे को उठाने की व्यवस्था कर ली है जो उन्हें फरवरी, 1972 के महीने में आबंटित किया गया था । संघ ने मार्च, 1972 के दौरान इसी प्रकार की पूर्तियों के बारे में मिलों को हिदायतें दे दी हैं । ये पूर्तियाँ उनके अलावा हैं जो मिलों द्वारा सामान्य व्यापार स्रोतों के जरिये बाजार मूल्यों पर की जाती हैं । 3,500 गाँठों की मात्रा मिलों द्वारा उत्तर प्रदेश के बुनकरों को सामान्य रूप में की जाने वाली सप्लाई के 50% के आधार पर तय की गई है । उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है

कि उनकी आवश्यकता प्रतिमास लगभग 11,000 गाँठों की है। उनकी आवश्यकता का ठीक-ठीक अनुमान लगाने और अतिरिक्त सप्लाई की व्यवस्था करने के प्रश्न पर राज्य सरकार और बुनकर संघ के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

हथकरघा उद्योग के विकास के लिए, संस्थागत वित्त की स्वीकृति के संबंध में एक योजना पहले से ही चालू है जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक आफ इंडिया सहकारी बैंकों के जरिये बुनकरों की सहकारी समितियों को कार्यकारी पूँजी वित्त प्रदान करता है। इस मामले की जाँच करने और यह प्रतिवेदन देने के लिए कि बुनकरों की सहकारी समितियों को स्टेट बैंक आफ इंडिया आदि के जरिये कार्यकारी पूँजी वित्त किस तरह दिया जा सकता है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधियों तथा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के सचिव की एक समिति भी बनाई गई है। इस मामले में आगे कार्यवाही समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद की जाएगी।

रुई की सप्लाई की स्थिति में सुधार होने पर अगले 2 या 3 महीनों में सूती धागे की कीमतों के गिरने की संभावना है। आशा है कि जब ग्वालियर रेयन्स पूर्ण उत्पादन करने लगेगा तब स्टेपल रेशा धागे की सप्लाई में भी सुधार होगा। अत: कच्चे माल की आवश्यताओं की पूर्ति करने में हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा बुनकरों के सामने जो कठिनाईयाँ हैं वे भी थोड़े समय तक ही रहेंगी। तथापि, स्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जा रहा है और राज्य सरकार तथा बुनकरों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए वस्त्र आयोग का एक अधिकारी विशेष रूप से नियुक्त किया गया है।

हमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हथकरघा उद्योग के संबंध में निम्नलिखित दो मुख्य निर्णयों की घोषणा की है :—

(1) हथकरघा उद्योग की समस्यों की जाँच करने के लिए एक जाँच आयोग की नियुक्ति करना; और

(2) हथकरघा वित्त पोषण तथा विपणन निगम स्थापित करना।

हमें यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस घोषणा के बाद बुनकरों की भूख-हड़ताल समाप्त हो गई है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि बुनकरों की समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार को सभी संभव सहायता प्रदान करेगी।

Shri Narsingh Narain Pandey : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has agreed in his statement that they could supply cotton yarn for 3,500 looms as against the requirement of 11,000 looms. This short supply has thrown out 3·5 million handloom weavers out of employment and they are dying of hunger. The prices of each type of yarn have gone up. The price of staple yarn No. 40 has gone up from Rs. 44 to Rs. 100 and for No. 60, from Rs. 80 to Rs. 108. The cost of staple fibre and dying have also gone up. The cost of chemical has gone up from Rs. 100 to Rs. 400 and from Rs. 400 to Rs. 700. Out of 664 Mills, 72 have closed down. Will the hon. Minister look into the matter and try to take over these mills in order to resolve the crisis? On one side there is an increase in excise duty and cost of production and on the other

there is no market for handloom cloth and no financial assistance is being given to weavers. Will the hon. Minister be pleased to state the quantum of assistance given to these handloom weavers by the nationalized banks ? Is it not a fact that the co-operative sector has been given inadequate assistances ? Applications for financial assistance have been kept pending for two or three years and they are not being given any help. The hon. Minister should try to stop this type of hungling.

Will the hon. Minister try to organise a marketing federation which may purchase handloom cloth on remunerative price and export it ? I would like to know whether nationalization or some other arrangements would be made to bring down the yarn prices ?

श्री ए० सी० जार्ज : उत्तर प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के समक्ष कुछ कठिनाईयाँ हैं। सूत की कीमत बढ़ रही है तथा इस अनुपात में उनके उत्पादन के मूल्य नहीं बढ़ रहे हैं। माननीय सदस्य ने बुनकरों की जिन कठिनाईयों का हवाला दिया है उनमें से बहुत सी कठिनाईयाँ राज्य सरकारों द्वारा दूर की जानी हैं।

धनराशि का नियतन करते समय हम विभिन्न परियोजनाओं के ब्यौरों को दृष्टि में नहीं रखते हैं। यह कार्य राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार तो एकमुश्त अनुदान, सहायता अथवा ऋणों की व्यवस्था करती है। यह राज्य सरकार का कार्य है कि वे इन अनुदानों से प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि का नियतन करे। बुनकरों की वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करके उनकी बहुत सी समस्याओं का समाधान राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

जैसाकि मैं बता चुका हूँ, गत वर्ष कपास की फसल अच्छी न होने से समस्याएँ पैदा हुयीं। सूत के उत्पादन में 350 लाख किलोग्राम की कमी हुई। अत: कीमतों में वृद्धि हुई। इन कीमतों को कम करने की दिशा में हम सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं। गत तीन चार महीनों से रुई के मूल्य गिरने से सूत के मूल्यों में भी गिरावट आयी है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करा सकता हूँ कि जो भी उपाय सरकार के ध्यान में आयेंगे, कीमतें कम करने के लिए उन सभी का उपयोग किया जायेगा।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The hon. Minister has said that the problem arose due to poor crop of cotton and the strikes in the industries. But the fact is that capitalist maket bureaucracy and negligence of the Government have been responsible in creating this problem. Will the hon. Minister try to resolve the problem in consultation with State Governments ? I would like to know whether Government have got any legal power to check the arbitrary price increase by the Millowners. Will you try to start state trading in this field so that the supply of yarn becomes the responsibility of the Government and yarn is supplied to the weavers at the fixed price ? I would like to know the efforts made by the Government to encourage export of handloom cloth and to solve the market problems. Weavers may be given loans by the nationalized banks but the bureaucratic functioning proves a binderance in that. The hon. Minister should look into it and try to see that loans are advanced to these weavers.

श्री ए० सी० जार्ज : यह सच नहीं है कि भारत सरकार ने बुनकरों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। फरवरी, 1971 में जब सूत की कीमतें बढ़ने के लक्षण दिखाई देने लगे, तब धागा पूल योजना आरंभ की गई और इस योजना के माध्यम से ही आबंटन कार्य किया जा रहा है।

सप्लाई कर्ता द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से हमने आबंटन उत्तर प्रदेश कपड़ा निगम को किया है।

हथकरघा वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। गत वर्ष हथकरघा वस्त्रों का निर्यात 13 करोड़ रुपये के मूल्य का हुआ। इस वर्ष यद्यपि हमारा लक्ष्य 15 करोड़ रुपये का था, परन्तु हमें निर्यात इससे भी अधिक होने की संभावना है।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Mr. Speaker, Sir, this is the biggest cottage industry in Uttar Pradesh. Nearly 4 million people are employed in this industry and their discontentment has reached almost to the boiling point which has often been exhibited in the form of strikes—hunger strikes.

In view of this serious situation, whether the Government contemplate to establish a Directorate at national level ? May I know whether the Government consider to enquire into the working of cooperative societies which are proving earning centres to certain leaders ?

The Government of Uttar Pradesh made a demand of 11,000 bales. May I know whether the Government would try to complete the requirement, if so by when; and if not, the reasons therefor ? I would also like to know whether the Government want to nationalize staple yarn producing Mills, if so, by what time.

It has been said that large stocks of handloom cloth has accumulated with the weavers in Basti, Gorakhpur, Azamgarh and Barabanki. May I know whether the Government would like to purchase these stocks and dispose them of by way of export ? May I also know whether efforts would be made to arrange loans to these handloom and powerloom weavers from the nationalized banks ?

I would like to know whether exemption in excise duty as provided on coarse cloth would also be provided on handloom cloth, if not, whether Government consider to withdraw the concession extended on the cloth made by the Mills. Besides this, may I know whether the Government propose to reserve certain items of cloth to be manufactured only by handloom and powerloom weavers ?

श्री ए० सी० जार्ज : भारत सरकार के जो भी दायित्व हैं, हम सभी को पूरा करने के लिए तैयार हैं। जो एकमुश्त अनुदान अथवा ऋण केन्द्र से दिये जाते हैं यह राज्य सरकार का ही दायित्व है कि वह उसमें से प्राथमिकता के आधार पर आबंटन करे।

कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें केन्द्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ कि सहकारी समितियों में कदाचार फैले हुए हैं परन्तु इन्हें रोकना राज्य सरकार का ही कार्य है। केन्द्र सरकार तो राज्य को कार्यवाही सहायता ही दे सकती है।

यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 11,000 गाँठों की माँग की थी परन्तु कपड़ा आयुक्त के द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला कि 7,000 गाँठों से कार्य चल सकता है। इन 7000 गाँठों में से 50 प्रतिशत से अधिक उत्तर प्रदेश को आबंटित की गयीं। माननीय सदस्य ने कहा है

कि कुछ वस्त्र केवल हथकरघों तथा विद्युत करघों के लियें ही आरक्षित किये जायें। हमने ऐसी व्यवस्था पहले से ही की हुई है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : 22 मार्च, 1972 को लगभग 50,000 हथकरघा बुनकरों ने लखनऊ में विधान परिषद के सामने प्रदर्शन किया। उनकी माँगों का हमने, अन्य दलों ने तथा सत्तारूढ़ कांग्रेसी दल के विधान सभा सदस्यों तथा संसद सदस्यों ने भी समर्थन किया। सरकार आयोग की नियुक्ति की बात कहकर समस्या की उपेक्षा करना चाहती है। इस उद्योग के बुनकर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऋण देने आदि के सम्बन्ध में कहा गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा बुनकरों, सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण देने की योजना पहले से ही चल रही है। मुख्य समस्या यह है कि धागे किस प्रकार उपलब्ध हों। यह सच है कि इस समय 50 प्रतिशत धागे का वितरण 52 रुपये की दर पर उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम द्वारा किया जाता है। 50 प्रतिशत खुले बाजार में बेचने के लिए बड़े व्यापारियों को दिया जाता है, जिसे वे 76 रुपये की दर से बेचते हैं। ऐसा क्यों है। इन्हें केन्द्रीय अथवा राज्य वस्त्र निगम द्वारा हथकरघा बुनकरों तथा सहकारी समितियों के परामर्श से क्यों नहीं बेचा जाता ?

क्या मंत्री महोदय को पता है कि यदि इस सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र कोई कार्यवाही न की गई तो यह उद्योग बंद हो जायेगा ? यदि यह उद्योग बन्द हो गया तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भारी बेरोजगारी फैल जायेगी। क्या सरकार का विचार बुनकरों के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने का है ? समिति बनाने अथवा आयोग नियुक्त करने से तब तक कोई लाभ नहीं होगा, जब तक कि बुनकरों के प्रतिनिधियों से परामर्श नहीं किया जाता तथा उन्हें समिति तथा आयोग में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। क्या अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व सरकार बुनकरों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करेगी ? यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो वे संघर्ष आरम्भ कर देंगे जो राज्य के हित में नहीं होगा। अतः बुनकरों का असंतोष दूर करने के लिए सरकार को शीघ्र उनके प्रतिनिधियों से इस मामले पर बातचीत करनी चाहिये।

श्री ए० सी० जार्ज : रुई के मूल्य कम हो रहे हैं। इसका प्रभाव धागों पर भी पड़ेगा। धागों के मूल्य भी कम होने लगे हैं। पिछले वर्ष कपास की उपज कम होने से यह समस्या पैदा हुई। इस वर्ष मूल्यों के गिरने से फसल अच्छी होने के संकेत मिल रहे हैं।

आवंटन के विषय में कहा गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की माँग अधिक थी, अतः हमने यह जानना चाहा कि वास्तविक आवश्यकता कितनी है। इस पर भी उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम को सर्वाधिक आवंटन किया गया। अब धागों के मूल्य कम हो रहे हैं अतः चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। हम अपनी ओर से बाजार तथा धन सम्बन्धी सभी सुविधायें देने का प्रयत्न कर रहे हैं। निर्यात में भी वृद्धि हो रही है और इसमें और वृद्धि के लिए हम और प्रोत्साहन दे रहे हैं। जो समिति इसके वित्तीय पहलू पर विचार कर रही है, वह मई, 1972 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। तब तक हम बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

नेशनल प्रॉजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) नेशनल प्राजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1970-71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल प्राजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली, का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०—1554/72.**]

खाद्य निगम (संशोधन) अधिनियम

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 78 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ । [**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—1555/72.**]

चीनी नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 100 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूँ । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—1556/72.**]

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचना (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) काफी बोर्ड कर्मचारी (आचरण) पहला संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 183 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) काफी (संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 277 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) काफी (दूसरा संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 289 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—1557/72.**]

(2) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इलायची (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 194 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1558/72.**]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : STRIKE IN I. I. T., KANPUR

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में हड़ताल के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1560/72.**]

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

आयकर की राशि का भुगतान न करने वाले व्यक्तियों आदि के नामों की सूची का पश्चिम बंगाल के समाचार-पत्रों में प्रकाशित होना

Publication of list of Income Tax Defaulters etc. in West Bengal Press

श्री समर गुह (कन्टाई) : पश्चिम बंगाल के 23 मार्च के समाचार-पत्रों में आयकर का भुगतान न करने वाले व्यक्तियों की सूची में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और अनेक संसद् सदस्यों का नाम प्रकाशित हुआ । सरकार को इस बारे में वक्तव्य जारी करना चाहिए और यह बात स्पष्ट करनी चाहिये कि उनका नाम समाचार-पत्रों में कैसे प्रकाशित हो गया और इस सम्बन्ध में पैदा हुई गलतफहमी को दूर किया जाना चाहिये । वित्त मंत्री ने इस आशय का आश्वासन दिया था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों, संसद् सदस्यों, मंत्रियों आदि को उनके नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने से पूर्व सूचना दे दी जायेगी अतः सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि उनके नाम आयकर अदा न करने वालों की सूची में कैसे प्रकाशित हुए हैं तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम प्रकाशित किए जाने से पूर्व उन्हें पहले सूचना दी जाए, ताकि वे आयकर की बकाया राशि का भुगतान कर सकें ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : शायद मैं जो तथ्य प्रस्तुत करूँ, उससे कुछ गलतफहमियाँ दूर हो जायें ।

आयकर अधिनियम की धारा 287 (1) के अन्तर्गत आयकर विभाग आयकर का भुगतान न करने वाले व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करता है । इसी धारा के अन्तर्गत आयकर आयुक्त ने आयकर अदा न करने वाले व्यक्तियों के नामों की प्रथम सूची जारी की थी, जिसमें 46 व्यक्तियों के नाम थे । सूची (क) के अंतर्गत उन व्यक्तियों के नाम आते हैं जिन पर 5,000 रुपये जुर्माना किया गया है; (ख) सूची (ख) उन व्यक्तियों की सूची है जिन पर आयकर एक लाख रुपये से अधिक आँका गया है; और (ग) सूची उन फर्मों तथा कम्पनियों की है जिन पर आयकर 10 लाख रुपये से अधिक आँका गया है । जहाँ तक श्री सिद्धार्थ शंकर राय का संबंध है, उनका नाम सूची 2 में है । उनका नाम उस अनुसूची में है, जो न तो आयकर का भुगतान न करने वालों में आते हैं और न ही उन्हें दण्ड आदि दिया जा सकता है ।

सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियाँ (संशोधन) विधेयक

ARMED FORCES (ASSAM AND MANIPUR) SPECIAL POWERS (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए ।"

यह एक सरल सा विधेयक है और मैं इसके उपबन्धों के बारे में संक्षेप में चर्चा करूँगा । उक्त विधेयक असम राज्य और मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र पर लागू था और असम के राज्यपाल और मणिपुर के प्रशासकों को कुछ क्षेत्रों को अशान्त घोषित करने की शक्ति प्रदान करता था । उक्त अधिनियम को त्रिपुरा के तत्कालीन संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू किया गया था । नागालैंड में इसके समान उपबन्धों वाला अन्य कानून है, लेकिन 5 अप्रैल, 1972 से यह लागू नहीं रहेगा ।

इस विधेयक का उद्देश्य तीन तरफा है । प्रथम, इसको पाँचों राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया जायेगा । दूसरे, इसके अन्तर्गत इन राज्यों के राज्यपालों और दो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को किसी क्षेत्र को अशान्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार होगा । तीसरे, केन्द्रीय सरकार से यह अधिकार भी लेने का प्रस्ताव है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब स्थिति पहले से अधिक शान्तिपूर्ण है । भूमिगत नागाओं और विद्रोही मिजो की गतिविधिओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में निगरानी की अधिक आवश्यकता है ।

यह भी आवश्यक है कि कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये । गत वर्षों में आदिवासियों के दलों के साथ विदेशी

संबंधों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह बहुत आवश्यक हो गया है कि सीमा पर हो रही उनकी गतिविधियों को रोका जाये। इस प्रकार की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिये यह आवश्यक है कि सुरक्षा बलों के पास उपयुक्त शक्तियाँ हों।

मुझे विश्वास है कि इस प्रस्ताव को सभा का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

"कि सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इसके लिये कितना समय निर्धारित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। अतः इसके लिये कम से कम 2 घंटे का समय निर्धारित किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोहय : दुर्भाग्य से कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया है।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : यह विधेयक इतना सरल नहीं जितना माननीय मंत्री ने बताया। ब्रिटिश शासन काल में पूर्व क्षेत्र के लोगों को हमेशा कठोर नियमों और विनियमनों के अन्तर्गत रखा गया था और उनके साथ एक पृथक वर्ग के समान व्यवहार किया जाता था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी उन्हें लोकतन्त्र का भास भी नहीं होने दिया गया। अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये संघर्ष कर रहे लोगों के विरुद्ध सशस्त्र बल का प्रयोग करने के लिये असम सरकार को शक्ति प्रदान करने हेतु सरकार ने वर्ष 1958 में एक मूल अधिनियम प्रस्तुत किया। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार से दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और एक लम्बी अवधि के बाद केन्द्रीय सरकार ने उनकी माँग स्वीकार की और पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम पारित किया। सरकार ने उन क्षेत्रों के लोगों की इच्छाओं को स्वीकार नहीं किया है।

उन क्षेत्रों में अब संकट की स्थिति नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जब इस क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र का शान्तिपूर्ण ढंग से विकास कर रहे थे, तब सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत उप-राज्यपाल और राज्यपाल को 'अशान्त क्षेत्र' घोषित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ लेने का अधिकार दिया गया है।

इन क्षेत्रों के निवासी अधिक से अधिक शक्तियाँ प्राप्त करने को आतुर हैं लेकिन सत्तारूढ़ काँग्रेस उन्हें शक्तियाँ देने को तैयार नहीं।

काँग्रेस दल के बुरे कारनामों के कारण भारत के निर्धन वर्ग और पूर्व क्षेत्र के लोग काँग्रेस की नीतियों और नियमों को नफरत की नजर से देख रहे थे।

इस बात की आशंका है कि किसी क्षेत्र या राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा शक्ति प्राप्त करने से राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विवाद उत्पन्न हो जायेगा।

सरकार को विधेयक को सभा में शीघ्र पारित करने से पूर्व इस पर राज्य विधान सभाओं की सहमति ले लेनी चाहिये थी।

मैं इस विधेयक का इसलिये विरोध करता हूँ कि यह समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र की लोकतांत्रिक जनता के हितों के विरुद्ध है।

यदि यह विधेयक पारित किया जाता है तो सरकार न केवल त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय अथवा असम राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर देगी बल्कि इस प्रकार के विधानों को लाकर वह सब राज्यों को दबाना आरम्भ कर देगी। इससे भारत में लोकतन्त्र के लिए खतरा उत्पन्न हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का तीव्र विरोध करता हूँ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं विधेयक का विरोध करता हूँ। मेरे विचार से वर्तमान शक्तियाँ उन क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण करने के लिये पर्याप्त हैं। केन्द्र द्वारा उन क्षेत्रों में अधिक हस्तक्षेप करने और राज्य सरकारों पर विश्वास न करने से राज्य सरकारों की स्वायत्तता पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। अतः ऐसी शक्तियाँ राज्यपाल अथवा केन्द्रीय सरकार को नहीं दी जानी चाहियें।

राज्य सरकारों को सेना की सहायता लेने के अधिकार प्राप्त हैं और ऐसा बिहार के मामले में किया गया है। जमशेदपुर में हड़ताल होने पर सेना भेजी गई थी।

प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ विद्रोही नागा बंगला देश को परेशान कर रहे हैं। लेकिन क्या वह इतने शक्तिशाली हैं कि उन पर वर्तमान कानून अथवा वहाँ विद्यमान सेना द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता? हम इस कार्य के लिये विशेष शक्तियाँ नहीं देना चाहते। उन्हें असीमित शक्तियाँ देने से राज्य की स्वायत्तता कम हो जायेगी और मुख्य मंत्री केन्द्रीय सरकार के अधीन रहेंगे और उन्हें पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त नहीं होगी।

मुख्य मंत्री को कम से कम यह अनुभव करना चाहिये कि उनका राज्य स्वायत्त है। यह तभी हो सकता है जब उन्हें विशेष शक्तियाँ न दी जायें। उन क्षेत्रों में आन्दोलनों के कारणों को दूर किया जाना चाहिये।

हमें उन क्षेत्रों के लोगों में विश्वास रखना चाहिये।

अमरीकी सांस्कृतिक संस्थाएँ हमारे देश की विभिन्न योजनाओं को समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं। वे हमारी राजनीति को दूषित कर रही हैं। न केवल वहाँ बल्कि देश के अन्य भागों में भी विदेशी एजेन्ट काम कर रहे हैं। वे अधिक संख्या में नहीं हैं। उन पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। वे देश के सबसे बड़े शत्रु हैं।

माननीय मंत्री को विधेयक पर पुनः विचार करना चाहिए।

इस विधेयक की सब वर्गों के लोगों द्वारा आलोचना की जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों को कम किया जा रहा है।

विधेयक को पारित करने से पूर्व विपक्षी दलों को सन्तुष्ट किया जाना चाहिए।

कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत कोई विधान यदि जनहित में नहीं होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। मुझे शंका है कि यह विशेष विधान जनहित में है। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2 बजकर 5 मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five Minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : I want to invite the attention of the Government to the lathi charge on the workers of Jaipuria Cotton Mills, Azamgarh.

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकार से संबंधित मामला है। यह मामला केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र से परे है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री खाडिलकर को कानपुर की स्वदेशी काटन मिल्स और जे० एन्ड काटन मिल्स में चल रही हड़ताल के बारे में वक्तव्य देना चाहिए। वहाँ 13,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I rise on a point of order. Article 355 has been referred to in this Bill. This Article reads :

"It shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the Government of every state is carried on in accordance with the provisions of this Constitution."

My submission is that the rights proposed to be given to the Government are ultra vires of the Constitution. If Government want to pronounce partial emergency in any part of the country, they should have brought forward a Constitution amendment Bill. The present Bill seeks to give powers to the Government with which they can give special powers to the Armed Forces. It is not permitted by the Constitution. This matter is also connected with the states. Once this power is given to the Central Government, it may lead to rupture of friendly relations between the State Governments and the Central Government.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभा का कार्य यह निर्णय करना नहीं है कि यह विधेयक संविधान के प्रतिकूल है अथवा नहीं। यह कार्य उच्चतम न्यायालय का है। माननीय सदस्य इस समय केवल इस बात का ध्यान रखकर अपने विचार प्रकट करें कि क्या सभा इस विधेयक को पारित कर सकती है, अथवा नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सभा इस तरह संविधान को बदल सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि मैं इस विषय में कोई निर्णय दे सकता हूँ। संवैधानिक उल्लंघन के प्रश्न पर तो उच्चतम न्यायालय ही अपना निर्णय दे सकता है।

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् (तंजावूर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। मूल अधिनियम में असम और मणिपुर राज्यों के लिए ही सशस्त्र सेवाओं को विशिष्ट अधिकार दिये गये थे किन्तु इसमें उन राज्यों के साथ-साथ मेघालय, नागालैंड तथा अन्य स्थानों को भी सम्मिलित किया गया है। इस विधेयक में इस बात की कोई गारंटी नहीं दी गई कि इन राज्यों तथा स्थानों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए सशस्त्र सेनाओं को विशेष अधिकार दिए जायेंगे। अतः सरकार कभी भी किसी राज्य के बारे में यह कदम उठा सकती है। इससे सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं होती। इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक को पेश करने से पूर्व सरकार को संबद्ध राज्य सरकारों से इस बारे में परामर्श करना था तथा उनकी सहमति प्राप्त करनी थी।

संविधान के अनुसार किसी भी अव्यवस्था ग्रस्त राज्य में राष्ट्रपति को कभी भी हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इस स्थिति में विधेयक की धारा 3 में 'केन्द्र सरकार' शब्द जोड़े जाना असंगत है तथा संविधान के प्रतिकूल है। अतः पहले सरकार इन शब्दों को हटाए, फिर संबद्ध राज्यों की सहमति ले और तीसरे इसमें विहित शक्तियों को विशिष्ट स्थानों तक सीमित रखने की व्यवस्था करे।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : I am opposed to this Bill because of the fact that Government intend to concentrate more and more powers in their hands incongrous with the principles of democracy.

The provisions of the Act of 1958 are sought to be extended to Meghalaya, Nagaland, Tripura, Himachal Pradesh and Mizoram. We are aware of the fact that after the creation of Bangla Desh, there is no such disturbances in Assam and other places as forcing the Government to enact such legislation.

I understand that Government wants to declare the state of emergency in certain areas with the plea that they are disturbed areas. It is the duty of the State Government to maintain internal security and I understand that they are capable of doing so with the help of police and other forces under their command. Therefore, it is unfair on the part of the Central Government to interfere in their affairs without the consent of the concerned states. It shows that Government are digressing from the path of democracy.

According to the provisions of Article 355 of the Constitution the Governor of

any disturbed state can recommend to the President to impose President's Rule in that State. In view of the existing provisions, this Bill is against the spirit of the Constitution.

May I know from the Government the actual reasons for which they want to concerntrate more powers in their hands ? I also want to know the names of States and areas which are likely to be declared disturbed.

श्री ए० केवीचुसा (नागालैंड) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ क्योंकि इस विधेयक को उस सशस्त्र सेना (विशेष शक्ति) विनियम, 1958 के स्थान पर लागू किया जाना है जो नागालैंड में गत 14 वर्षों से लागू है। इस विनियम का सहारा लेकर शशस्त्र सेना ने नागालैंड में भारी अत्याचार किया है जिसके कारण वहाँ की जनता तथा सरकार ने इसका विरोध किया है। एक वर्ष पहले नागालैंड विधान सभा ने सर्व सम्मति से यह संकल्प पारित किया कि इस विनिमय को हटाया जाये। वहाँ के मुख्य मंत्री ने अपने सहयोगियों के साथ प्रधान मंत्री से इस बारे में विचार विमर्श भी करना चाहा किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ।

लगभग एक सप्ताह पश्चात् इस विनियम की अवधि समाप्त होने वाली है तथा सरकार उसी व्यवस्था को दूसरे नाम से इस विधेयक के रूप में पुन: लागू रखना चाहती है। यह वहाँ की जनता की भावनाओं के प्रतिकूल है।

यह सच है कि नागालैंड में अधिक खून खराब हुआ है किन्तु 12 वर्ष पहले स्वर्गीय पंडित नेहरू ने यह अनुभव किया था कि इस रक्तपात का कारण कानून और व्यवस्था का उल्लंघन न होकर राजनीतिक समस्या है। अत: उन्होंने नागालैंड राज्य बनाने की अनुमति दी थी। समस्याओं का राजनीतिक समाधान खोजने के लिए वहाँ के नेता पद माँग करते रहे हैं कि सशस्त्र सेनाओं की शक्तियों को सीमित रखा जाये।

मंत्री महोदय ने बताया है कि सशस्त्र सेनाओं को किसी स्थान पर तब तक विशेष शक्तियाँ नहीं दी जा सकतीं जब तक उसे संकटग्रस्त घोषित न कर दिया जाये। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि नागालैंड को संकटग्रस्त अधिसूचित किये बिना ही सशस्त्र सेनाएँ वहाँ अत्याचार करती रहीं। यह विधेयक उसी विनियम का दूसरा नाम है।

अत: मेरा निवेदन है कि नागालैंड विधान सभा के सदस्यों की अपील पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : माननीय सदस्यों ने जो भाव व्यक्त किये हैं उनसे विदित होता है कि वे इस कानून के सीमित क्षेत्र को भली-भाँति समझ नहीं पाये। श्री सोमसुन्दरम ने यह आशंका व्यक्त की है कि कहीं इस कानून को तमिलनाडु अथवा केरल पर भी लागू न कर दिया जाये।

[**श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुई।**
SHRIMATI SHEILA KAUL *in the Chair.*]

उनकी यह आशंका व्यर्थ है क्योंकि यह विधेयक केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र तक सीमित है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा श्री पांडेय ने कहा है कि सरकार परोक्ष रूप से देश के कुछ भागों में

आपातकालीन स्थिति बनाये रखने के लिये यह विधेयक लाई है। माननीय सदस्य आपातकालीन स्थिति में प्राप्त शक्तियों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं तथा उन्हें इन सीमित शक्तियों के बारे में, जो कुछ क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए सशस्त्र सेनाओं को दी जाती हैं, भ्रमित नहीं होना चाहिये।

यह कानून कोई नया नहीं है। सशस्त्र सेना (असम और मणिपुर) विशिष्ट शक्तियाँ अधिनियम, 1958 तत्कालीन असम राज्य और संघ राज्य क्षेत्र मणिपुर पर लागू था। तत्कालीन असम राज्य से कुछ क्षेत्र अलग हो गये तथा नए राज्य बन गए। माननीय सदस्यों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस क्षेत्रों में यह कानून पहिले भी लागू था। अब इसका केवल नाम बदल दिया गया है।

त्रिपुरा में यह कानून पहले लागू था। चूँकि अब त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिल गया है, अतः राज्य को संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित करना था। जहाँ तक नागालैंड का प्रश्न है यह कानून पहली बार वहाँ लागू नहीं किया जा रहा। वरन् पहले भी लागू था। चूंकि 5 अप्रैल, 1972 को उनकी अवधि समाप्त हो रही है, अतः नागालैंड में भी यह कानून लागू रहेगा।

श्री केवीचुसा को यह आपत्ति थी कि केवल नागालैंड में ही यह विनियम लागू किया था। अब उन्हें इससे संतुष्ट होना चाहिए कि अब समानता लाई गई है। माननीय सदस्य ने यह तो माना है कि नागालैंड में अधिक रक्तपात हुआ है। सदन इस बात से भी सहमत होगा कि वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि सरकार उसके बारे में सतर्क न रहे। केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें नागालैंड भी सम्मिलित है, में सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने के लिए पूरा प्रयत्न किया है। बंगला देश की उत्पत्ति से समाज विरोधी तत्वों को अब वहाँ से सहायता नहीं मिलती। फिर भी वहाँ कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं। गत महीनों में नागालैंड से कुछ नवयुवकों का अपहरण किया गया है। सेना में कुछ व्यक्तियों को बलपूर्वक भर्ती भी किया गया है। इसी प्रकार डरा-धमका कर कुछ राशि भी इकट्ठी की गई है। माननीय सदस्य इन सब बातों को जानते भी हैं।

बंगला देश में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागालैंड से कुछ सेना वापस बुलाई गई थी किन्तु इसकी प्रतिक्रिया में वहाँ समाज-विरोधी तत्वों ने अपनी गतिविधियों में कोई कमी नहीं की। इससे माननीय सदस्य का यह अनुरोध नहीं माना जा सकता कि पूरे क्षेत्र से सशस्त्र सेना हटा ली जाये तथा पूरे क्षेत्र के लिए खतरा मोल ले लिया जाये।

बंगला देश की उत्पत्ति से मिज़ोरम के लिए भी अध्याय आरंम्भ हुआ है। समाज विरोधी तत्वों, और छुपे हुए शत्रुओं की शक्ति व्यय हुई है। तथापि वे बर्मा तथा बंगला देश की पहाड़ियों में अपने अड्डे बना रहे हैं। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सदन इस बारे में सहमत होगा कि जब तक ये तत्व समाप्त नहीं होते तब तक देश की सुरक्षा के लिए संकटग्रस्त क्षेत्रों में इस कानून को लगाना आवश्यक है।

श्री बीरेन दत्त को संभवतः चुनावों के बारे में नवीनतम जानकारी नहीं है। त्रिपुरा में हमें बहुमत प्राप्त हुआ है। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि वहाँ किस दल ने सरकार बनाई है।

श्री एस० एम० बनर्जी ने राज्यपाल के अधिकारों का उल्लेख किया है। नागालैंड के राज्यपाल के कुछ विशेष उत्तरदायित्व हैं, किन्तु वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करते हैं। यहाँ भी वह बात लागू होती है।

मेरे विचार से मैंने सभी मुख्य बातों का उत्तर दे दिया है। मैं समझता हूँ कि सदन इस कानून से संतुष्ट होगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष शक्तियाँ अधिनियम, 1958 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 69; विपक्ष में 42
Ayes 69; Noes 42

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 2 से 5, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2 से 5, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 5, clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री समर गुह (कंटाई) : सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय सुरक्षा का दूसरा ही अर्थ लगाता है। और इसीलिए उसने भारत-पाकिस्तान के युद्ध में प्राप्त राष्ट्रीय विजय का अपने हितों के लिए दुरुपयोग किया है। यह विधेयक गुणदोष के अनुसार ही असंगत नहीं वरन् आशंका भी पैदा करने वाला है।

आंशिक आपातकालीन स्थिति घोषित किए जाने के बारे में सरकार का विरोध किया गया था। अब सरकार उसी कार्य को दूसरे माध्यम से करने का प्रयत्न कर रही है। कांग्रेस केन्द्र तथा राज्यों में पूर्ण सक्षम है और अब हम उसके हाथों में और अधिक शक्ति नहीं देना चाहते।

बंगला देश की उत्पत्ति के कारण मिज़ो, नागा तथा अन्य विद्रोहियों को पाकिस्तान अथवा चीन में सहायता मिलनी बन्द हो गई है। इस स्थिति में इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है।

विधेयक में 'संकटग्रस्त क्षेत्र' का उल्लेख किया गया है। आन्तरिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए जब असैनिक प्रशासन के पास अनेक सुरक्षात्मक उपाय विद्यमान हैं तथा पुलिस आदि कई प्रकार के बल हैं, तो सशस्त्र बल की सहायता से आन्तरिक सुरक्षा के लिए उसको अधिक शक्तिशाली बनाए जाने की क्या आवश्यकता है ? इसी कारण मुझे इस विधेयक के उद्देश्यों पर आशंका है। सरकार की प्रवृत्ति तानाशाही बनती जा रही है।

इस विधेयक के द्वारा सरकार किसी भी राज्य को अपने अधिकार में ले सकती है तथा आंतरिक सुरक्षा के नाम पर इस कानून को वहाँ लागू कर सकती है। अब द्र० मु० क० वालों को सतर्क रहना चाहिये।

मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम और त्रिपुरा भी राज्य बन गये हैं अतः उनको भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल की सहायता लेने का अधिकार होगा अतः सरकार उनके प्रजातांत्रिक अधिकारों को क्यों छीनना चाहती है। मेरे विचार से सरकार की भावना शुभ नहीं है तथा वह इन राज्यों के विशेषाधिकारों को छीनना चाहती है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री पाओकाई हाओकिप (बाह्य मणिपुर) : पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेषकर नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में विद्यमान कठिन समस्याओं के सुलझाने के लिए यह उपाय अत्यन्त आवश्यक है। पिछले वर्षों में वहाँ की स्थिति बड़ी गम्भीर थी तथा सदन को ज्ञात होगा कि नागाओं तथा मिज़ो लोगों की गतिविधियों के कारण मणिपुर की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अनेक व्यक्तियों की जानें गईं तथा सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

सौभाग्य से वर्ष 1971 से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है तथा इस क्षेत्र में कुछ विकास कार्य आरंभ हुए हैं। सैनिकों के सराहनीय कार्यों के कारण यह संभव हो सका है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा की पूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायें, जिससे वहाँ की जनता को राहत मिल सके।

सामान्य स्थिति लाने की दिशा में वी० वी० एफ० संगठन ने सराहनीय योगदान दिया है। यह संगठन कार्य अधिक कुशलतापूर्ण होता यदि सरकार ने इसकी ओर ध्यान दिया होता। मेरा निवेदन है कि सरकार इस संगठन को सशस्त्र सेना अथवा पुलिस के रूप में मान्यता दे जिससे इसका भी कार्य अधिक सराहनीय हो सके।

श्री समर गुह ने इस उपाय को नितांत अनावश्यक बताया है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। यह उपाय किसी भी आपातकालीन स्थिति का मुकाबला करने तथा अन्य कठिनाईयों का कुशलतापूर्वक निपटारा करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक जनता के हित में है। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I rise to oppose this Bill. Several provisions are existing in the Constitution to deal with the internal security and National security. In this context I would like to know the special reasons for which Government want to concentrate more power in their hands. Now the situation is changed in that region and the present disturbances can be controlled without using the Military force.

With the creation of Bangla Desh the anti-social elements have lost their training grounds. In this situation Government should have waited for certain period to see whether people were able to deal with the hostiles there. In my opinion with the creation of new states in that region people have got certain rights and privileges and they should not be denied those rights with this measure. They should be given power to deal with every situation in that region.

Previously, Meghalaya was created as a sub-state from Assam. Now Meghalaya has been given full statehood. There is no provision for a sub-state in the Constitution. What are the special circumstances under which the Government seeks this special measure. With these words, I strongly oppose this bill.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि आपात स्थिति में अपेक्षित कार्यवाही करने के लिए संविधान में पर्याप्त व्यवस्था है, फिर इस विधेयक को लाने की क्या जरूरत है ? यह ठीक है कि संविधान के अंतर्गत सरकार को आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार है। परन्तु आपात स्थिति संपूर्ण देश पर लागू होती है और उस अवधि में मूल अधिकार आदि भी निलंबित हो जाते हैं। इस विधेयक में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार मूल अधिकार निलम्बित नहीं होते।

मेरे माननीय मित्र ने मेघालय और उसके उप-राज्य के दर्जे के बारे में कहा। स्वाधीन बंगला देश के उद्भव के कारण पूर्वी क्षेत्र में बाह्य आक्रमण की आशंका काफ़ी हद तक कम हो गई है। परन्तु अन्य पड़ौसी देशों, विशेषकर चीन से अभी भी खतरा बना हुआ है। इसके अतिरिक्त पूर्वी क्षेत्र की कुछ खास समस्याएँ हैं। आज भी पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के मध्य सीमा-विवाद चल रहे हैं और उनसे कुछ अवांछित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

समग्र पूर्वी क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है और मणिपुर को पूर्ण राज्य एवं मिज़ोरम को एक नया दर्जा दिया गया है। अत: यह विधेयक संशोधित रूप में सदन में प्रस्तुत किया गया है।

यह विधेयक केवल पूर्वी क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि देश के किसी भी भाग में लागू किया जा सकता है। पहले कभी इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं किया गया और हमें इस बात की आशंका प्रकट नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में इसका दुरुपयोग होगा। इस विधेयक के द्वारा किसी क्षेत्र में आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I strongly oppose this bill. In the changed circumstances and when a friendly country—Bangla Desh—has emerged as a sovereign independent State, this Bill was totally undesirable and unnecessary. When this bill was not necessary, then there are reasons to doubt the intentions of the Government.

The people may launch agitations and movements against spiralling prices and against many other problems and the Government would resort to this item measure to crush those movements.

The people of the country would not be satisfied by the arguments put forward by the Minister in support of the bill. A Private Member's bill has been introduced in this house to ban the growing danger of communalism, but the Government is not paying any attention to this danger. Instead it is giving wide powers to the Governors and Administrators of the Union territories to suppress the movements of the people.

The Government has not even lifted the state of emergency. The Government wants to acquire additional powers. Though it has the wide powers during the emergency. I hope the Minister would withdraw this Bill.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रथम वाचन के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा, उस पर ध्यान न देने के कारण ही काफी गलतफहमी पैदा हुई है।

मैंने जो बातें जानबूझकर बिना कहे छोड़ दी थीं, उन पर श्री हाओकिप और श्री गोस्वामी बोल चुके हैं। वे उस क्षेत्र में आते हैं और सदन को उनकी बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर सभी व्यक्तियों को दलगत राजनीति से ऊपर होकर सोचना चाहिए। श्री हाओकिप चाहते हैं कि उनके क्षेत्र की जनता शान्तिपूर्वक रहे और श्री गोस्वामी का कहना है कि वहाँ स्थिति काफी नाजुक है और कई अन्य खतरों की ओर भी उन्होंने सरकार का ध्यान दिलाया।

उस क्षेत्र में अन्य कई समस्याएँ भी हैं और कुछ ऐसे तत्वों के प्रति भी सतर्क रहना है, जो उपद्रव करके देश की अखण्डता और एकता को हानि पहुँचाना चाहते हैं। राज्य के आम कार्य-करण और मजदूर संघों के प्रति हमारे व्यवहार के बारे में इस विधेयक के कारण कोई गलत-फहमी नहीं होनी चाहिए।

त्रिपुरा के बारे में, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि वहाँ यह कानून चौदह वर्षों तक लागू रहा, मगर फिर भी कभी इस कानून के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ी। नागालैंड और मिज़ोरम के बारे में स्थिति ऐसी नहीं है और कभी भी इस प्रकार के कानून की आवश्यकता पड़ सकती है। स्थिति का तत्परता से सामना करने के लिए इस प्रकार के कानून का पहले से होना श्रेयस्कर है।

आपात स्थिति लागू होने और इस विधेयक के लागू करने में काफी अन्तर है। आपात स्थिति के लागू होने पर मूल अधिकार निलम्बित हो जाते हैं और संसद राज्य संबंधी विषयों के बारे में भी कानून बना सकती है।

इस विधेयक के उपबन्धों के अनुसार सेना को कोई नया अधिकार नहीं दिया जा रहा है। सेना को सामान्यतया दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन असैनिक अधिकारियों की सहायता हेतु सीमित अधिकार प्राप्त हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के उपद्रवग्रस्त और अशान्त क्षेत्रों के लिए यह आवश्यक समझा गया कि सेना के पास गिरफ्तारी, खानातलाशी, और हथियारों के भण्डारों को नष्ट करने का अधिकार भी होना चाहिए। इस विधेयक के द्वारा कोई नया अधिकार सेना को नहीं दिया जा रहा, परन्तु जो कानून पिछले चौदह वर्षों से वहाँ लागू था, उसकी ही अवधि आगे बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्य सरकारों की बाह्य आक्रमण और आन्तरिक उपद्रव से रक्षा करे। क्या यह उचित होगा कि देश के किसी छोटे से क्षेत्र में उपद्रव होने पर सारे देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी जाये या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये ? क्या यह प्रजातन्त्र की परम्पराओं के अनुरूप होगा ? क्या सीमित स्थिति के लिए सीमिति कार्यवाही करना उचित नहीं होगा ?

कानून और व्यवस्था के प्रश्न को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ नहीं मिलाया जा सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा का पूर्ण दायित्व केन्द्रीय सरकार का है। केन्द्र को सीमावर्ती स्थिति और सीमा के पास के अनेक तत्वों की विदेशों के प्रति निष्ठा एवं संबंधों के बारे में पूरी जानकारी है। कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जबकि केन्द्र को उस स्थिति से शीघ्र निपटना पड़े, तो ऐसा कानून न होने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार कुछ न कर सकेगी। इससे राज्य की स्वायत्तता में कमी होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ कि राज्य और केन्द्रीय सरकार दोनों एकमत हैं।

मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ तथा अंत में श्री हाओकिप के शब्दों को दोहराना चाहता हूँ कि यह विधेयक जनता के हित में है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

वायुयान (संशोधन) विधेयक

AIRCRAFT (AMENDMENT) BILL

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वायुयान अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

गत 10 या 12 वर्ष से, जब इस अधिनियम में संशोधन किया गया था, विमानन प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण विकास हुआ है जहाँ विमानों की किस्मों में सुधार हुआ है और परिवहन में भी भारी वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप इस कानून को नवीनतम बनाने के लिए यह विधेयक लाया जाना आवश्यक हो गया। इसके उद्देश्यों के संबंध में मैं कुछ मुख्य-मुख्य बातें कहना चाहता हूँ।

हवाई अड्डों के क्षेत्र में बूचड़खानों अथवा ऐसे स्थानों के होने से जहाँ मल आदि फैंका जाये तो वहाँ गिद्ध तथा अन्य बड़े पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं जिससे विमानन में कठिनाई उत्पन्न होती है। अत: इस विधेयक में सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान की गई है जिससे हवाई अड्डों के क्षेत्र में पशु बध तथा मल जमा करने को रोका जा सके।

दूसरे, हवाई अड्डों पर कुछ ऐसी वस्तुएँ रह जाती हैं जिनका कोई दावेदार नहीं होता। कुछ विदेशी पर्यटक कैमरा जैसी वस्तुएँ वहाँ छोड़ जाते हैं जिन्हें पुलिस के हवाले करना होता है। इस विधेयक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को ऐसे नियम बनाने का अधिकार होगा जिनके द्वारा हवाई अड्डे का अधिकारी उन वस्तुओं को कुछ उचित समय तक अपने पास रखे तथा बाद में उन्हें बेच सके।

हवाई अड्डे के क्षेत्र में अधिक ऊँची इमारतें भी विमानन में बाधक होती हैं। इसके अन्तर्गत ऐसी बाधक इमारतों के निर्माण को रोकने की भी शक्ति सरकार को प्रदान की जाती है। बड़े-बड़े विमानों को उपयोग में लाये जाने के कारण अधिक ऊँची इमारतें विमानन में अधिक बाधक हैं।

इन मुख्य-मुख्य बातों के साथ कुछ छोटी बातें भी इस विधेयक में सम्मिलित की गई हैं जिससे वायुयान अधिनियम को यथासंभव नवीनतम बनाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वायुयान अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : मुझे हवाई अड्डों के क्षेत्र से गिद्ध आदि पक्षियों को दूर रखने तथा ऊँची-ऊँची इमारतें न बनाने देने पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि हवाई अड्डों पर प्राय: मूल्यवान वस्तुएँ भी जब्त की जाती हैं, जो चोरी छिपे लाई जाती हैं। इस विधेयक में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिसके अंतर्गत उनका निपटान उचित रूप में किया जा सके। अधिकारी उन वस्तुओं को कुछ एजेन्टों को सस्ते दामों पर बेच देते हैं तथा इससे तस्करी को बढ़ावा मिलता है। अत: मैं मंत्री महोदय को सुझाव देता हूँ कि इस विधेयक में इस संबंध में वह कुछ संशोधन करें जिससे तस्करी की वस्तुओं के निपटान में कदाचार समाप्त किया जा सके।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : I am unable to understand how this Bill could prevent the vultures and crows from flying in the vicinity of airports.

I would like to suggest that hon. Minister should bring a comprehensive Bill in which the measures to regulate the flights should also be incorporated. It happens very often that flights are delayed for more than six hours putting the innocent passangers in inconvenience and causing loss to the nation.

With the incidents of hijacking, the airport authorities have started strict checking and they do not exempt even the Members of Parliament. I request that the hon. Minister should issue directions to them so that Members of Parliament are not harassed in this way.

Catering system is also to the improved. While concluding I suggest that hon. Minister should bring a comprehensive Bill to remove all these difficulties to streamline the aviation. With these words I support this Bill.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : I welcome the Bill moved by the hon. Minister. But I would like to know the scientific basis for fixing the radius of 20 kilometres as vicinity of an airport wherein construction of high buildings is sought to be prohibited. According to this measure no high building can be constructed in the cities like Delhi, Bombay and Calcutta.

Farmers grow certain kinds of trees which are profitable and of commercial value. In this connection I would like to know clearly whether they are permitted to grow trees in this area and if so, what should be the height of such trees. The hon. Minister should consult the experts and let us know the height of the descending aircraft at various points between the point they start lending and the airport.

***श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** (श्री परेम्बदूर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ तथा इसमें निहित उपबन्धों के विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

विमानन सेवा में इतनी प्रगति होने के बाद, जब हमने जम्बो जेट तक प्राप्त कर लिए हैं, तो यह विधेयक बड़ी देर में लाया गया है। विमान यात्रा अब भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में हवाई अड्डों के क्षेत्र में बूचड़खानों का होना तथा मल आदि फेंकना अधिक खतरनाक है क्योंकि इससे गिद्ध आदि पक्षी विमानों की राह में आ सकते हैं। अतः ऐसा खतरा मोल लेना अनुचित है। मानव सुरक्षा के लिए सरकार को हर उपाय करने चाहियें।

इस विधेयक में ऊँची इमारतों को विमानन में बाधक बताया गया है तथा ऐसी इमारतों के बनाये जाने पर प्रतिबन्ध की व्यवस्था की गई है। मैं इस व्यवस्था का समर्थन करता हूँ। किन्तु मुझे सरकार की अकार्यकुशलता पर खेद है जिसने इतनी आवश्यक कार्यवाही को इतने दिनों तक डाले रखा।

विमान यात्रियों को खोई हुई वस्तुओं को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। इस विधेयक में निहित प्रस्तावों से उनकी यह कठिनाई कम होगी।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि हमारा देश इन्टरनेशनल सिविल एवियेशन कनवेंशन का सदस्य कब बना था तथा सरकार ने इसमें इतनी देर क्यों लगाई ?

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Hindi version of English Translation of the speech delivered in Tamil.

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki) : I congratulate the hon. Minister for valuable service being done by our aircrafts. I have got opportunities to travel by the aircraft of various countries, like, America and France and I have left that the performance of our aircraft is significant. I support the Bill moved by the hon. Minister with the suggestion that taking photographs of our aerodromes by foreigners or Indians should be strictly prohibited as a security measure.

Shri R. V. Bade (Khargone) : The objectives of the Bill are good. It is ridiculous that Government could not feel the necessity of amending the Act for a long period of 38 years.

This Bill is incomplete. The prohibition of slaughtering and flaying of animals and of depositing rubbish within a radius of ten kilometres can be said justifiable in order to keep away the vultures and other large birds from the vicinity of the aerodromes. But what is the guarantee that vultures and large birds would not fly beyond the distance of these 10 kilometres and not become hazards to aircraft ?

The hon. Minister has not clearly mentioned in the Bill the height of buildings permitted to be constructed within the fixed radius.

The procedure regarding the compensation for the buildings already constructed is also indefinite. In the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill you have substituted the word 'compensation' by 'money'. In this Bill term 'market value' has been deliberately avoided. In this context, I would like to suggest that Government should bring comprehensive Bill if they are really interested in improving the aviation service.

The hon. Minister, while moving the Bill, should also have given the statistics regarding the actual cases of accidents caused by high buidings and the vultures. Since the Bill is incomplete and does not give specific details regarding the permitted height of buildings and trees within the specific distance, I am unable to support the Bill.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : In view of the present conditions of Bombay Airport, I fully support the Bill moved by the hon. Minister. Due to a culvert the Bombay airport has become dirtiest. Besides the measures to keep vultures and large birds off the vicinity of the aerodrome, Government should take certain other steps also.

It is a fact that some facilities have been provided to the passengers at the Delhi airports. But the conditions of Bombay airport are very poor. There is no custom section. The building is quite discouraging with bad material.

It is a matter of disgrace that no latrine facilities have been provided at Bandra airport causing filthy atmosphere which invites animals. Civil aviation is an earning department. Therefore, Government should take necessary steps to improve the conditions so that more and more tourists could be attracted.

The employees of custom department lack the sense of courtesy, welcome and sweet behaviour towards the tourists. They suspect all of the passengers as smugglers or antisocial elements. I suggest that this tendency should be removed from the minds of the employees of the customs department. Search should be quick and such so that the tourists do not feel humiliated. While concluding I would like to know the specific period by which Slaughter House will be removed from Bandra.

डा० कर्ण सिंह : श्री जोरदर के प्रश्न के उत्तर में मेरा निवेदन है कि इस विधेयक में उन वस्तुओं का उल्लेख है जिनका कोई दावेदार नहीं होता। तस्करी की वस्तुओं से संबंधित मामला वित्त मंत्रालय द्वारा निपटाया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कदाचार का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K. N. TIWARY *in the chair*]

जहाँ तक विमानों के समय पर चलने का प्रश्न है मुझे खेद है कि कभी-कभी विमान समय पर नहीं चल पाते। आशा है आगे ऐसा नहीं होगा।

Certain hon. Members have raised the point regarding the searches made by the custom authorities. In this matter I would like to mention here that I never board the aeroplane unless the customs authorities have made search of me.

Shri Shivnath Singh has raised a good point regarding the area in the vicinity of aerodromes. Regarding the radius of 20 kilometres it has been clearly mentioned in this Bill as follows :

'In specifying the radius under clause (1) or clause (2) of sub-section (1) and in specifying the height of any buildings, structure or tree under the said clause, the Central Government shall have regard to :

(a) the nature of the aircraft operated or intended to be operated from the aerodrome;

(b) the international standards made and the recommended practices governing the aircraft."

In our country there are seventy aerodromes where aircrafts land. It is not necessary for us to implement all these provisions at all the aerodromes strictly. Aerodromes where huge aeroplanes land require large areas while aerodromes where small aircraft land, do not require so much area. Government do not intend to clear all the buildings and trees from the vicinity of the aerodromes but only those buildings and trees which cause hazards to the aircraft would be removed.

Shri Lakshmanan blamed us for being somewhat slow in bringing forward this legislation. As I said, the Bill was last amended in 1960 and during the last 12 years there has been a lot of new developments in aviation. The hon. Member would find that planes now operating had not come then. Therefore, it is only when new technological developments take place that we are forced to keep pace with them.

I am thankful to Shri Rudra Pratap Singh for the tributes he has paid to the Air India. I would like to tell him that under the Aircraft Rules no body is permitted to take photographs.

High buildings already constructed in the areas specified would be governed by the provisions of this measure. Any old building causing hazard to the aircraft under the new provisions will be removed. But if it is not felt necessary to remove it, nothing could be done.

Regarding the payment of compensation, I would like to refer to the provisions of the Constitution (Twentyfifth) Amendment Bill. We cannot go against the law.

Bombay Airport is being improved. An allocation of Rs. $1\frac{1}{2}$ crores has been made for it. I would like to inform the House that we are going to construct new international terminals in Bombay and Delhi. We have constructed a beautiful international building in Bombay. There is a much improvement so far as the Bombay airport is concerned. I hope that our airport terminal would not be less beautiful than one anywhere in the world.

Shri Shivnath Singh : The hon. Minister should say something regarding the height and distance required for lending Jambo Jets.

Dr. Karan Singh : Technical information is not available with me at this time. I would like to say that International Civil Aviation Organisation has fixed the radius of 20 kilometres. They must be having some reasons for the same.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वायुयान अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 12 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 2 to 12 were added to the Bill

खण्ड 1 (विधेयक का संक्षिप्त नाम)

Clause 1 (Short Title)

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 3, में—

'1971' के स्थान पर '1972' रख दिया जाये

(संख्या 2) —डा० कर्ण सिंह

Amendment made

Page 1, Line 3, for '1971' subsititute '1972'

Dr. Karan Singh

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र
Enacting Formula

डा० कर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में

'Twenty-second' (बाइसवाँ) शब्द के स्थान पर 'Twenty-third' (तेईसवाँ) शब्द रखा जाये ।' (संख्या 1)

यह मौखिक संशोधन है । जब यह विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया था तब गणतंत्र का बाइसवां वर्ष था । अब यह तेइसवां वर्ष है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में

'Twenty-second' (बाइसवां) शब्द के स्थान पर 'Twenty-third (तेइसवां) शब्द रखा जाये । (संख्या 1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया
The title was added to the Bill

डा० कर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Shai Jharkhande Rai (Ghosi) : The hon. Minister has dealt with the point of personal of search of passengers. This is a technical and administrative point of view. This matter should also be approached with political background. He should understand that no Member of Parliament would ever intend to hijack the plane. Persons known as Naxalites may indulge in these activities but they have no faith in Parliamentary system. Therefore, I request that the Members of Parliament should be exempted from personal search.

On 2nd March, when I was going to Indore I experienced personally that personal search of the persons who took part in freedom struggle is most humiliating. If Dr. Lohia were alive he must have launched Satyagrah on this issue.

A few ministers were involved in the cases of smuggling but such cases are rare. Therefore rare case should not be brought under general rules. In this context, I strongly demand that the M. Ps. and M. L. As. should be exempted from the personal search when they produce their identity cards.

I have personally seen certain Ministers on whom personal searches were not made by the authorities. I demand that this matter should be reconsidered by the hon. Minister.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I have nothing to say regarding conducting searches. Even the Ministers are not spared. But in some small places the search is very rigorous. This department should have faith in the integrity of the Members of Parliament.

At least a three or four room-building should be built near the Kanpur air-port for the facilities of the passengers. I had requested several times but the hon. Minister has not visited that airport so far.

Delhi-Kanpur and Lucknow-Delhi service has been cut off. This should not be done. The hon. Minister should see the figures in this matter. I will be satisfied if the hon. Minister says that the matter is under consideration

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : It is praiseworthy that some new types of aircrafts are coming in our country. But a new problem of hijacking has arised. I am of the view that members of Lok Sabha and Rajya Sabha should not be so touchy in the matter of conducting searches.

Security checking arrangements should be done in a manner that the passengers have not to wait standing for a long time.

They should be allowed to go to the 'Departure lounge' and the security check should be done there.

Security checking regulations should be such that no body has an opportunity to make any complaints against them.

Vegetarians are neglected in the aeroplanes. Vegetarian passengers should be given proper attention like the non-vegetarian passengers and the passengers should be served with good quality of food.

Proper planning should be made before starting new type of planes.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि संसद् सदस्यों की तलाशी नहीं लेनी चाहिये । यदि एक संसद् सदस्य किसी भी दायित्व से ऊपर है, तो नागरिकों के अनेक वर्ग ऐसे हैं, जिन पर शंका नहीं की जा सकती । प्रोफेसर, डाक्टर, वैज्ञानिक, सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेता, ट्रेड यूनियन नेताओं के बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है । लोगों का ऐसा वर्गीकरण हमारे मूल भूत अधिकारों के विरुद्ध होगा । संसद सदस्यों को सर्वप्रथम अपनी तलाशी देनी चाहिये जिससे अन्य लोगों के मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न न हो ।

विधेयक में यात्रियों, विशेषकर विदेशियों की सुविधाओं के लिये अनेक सावधानी बरती गई है ।

देश में वैमानिक सेवा और उद्योग का विकास हुआ है लेकिन देश के अनेक भागों में अभी भी वैमानिक सेवा का विकास नहीं हुआ है ।

त्रिवेन्द्रम एक महान राज्य की राजधानी है । लेकिन हवाई अड्डे के स्थान पर वहाँ एक झोंपड़ी स्थित है, जहाँ 50 से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

कोचीन केरल की औद्योगिक गतिविधि का केन्द्र है, जहाँ पोत-निर्माण यार्ड बन रहा है । इसे केरल की औद्योगिक राजधानी कहा जा सकता है, वहाँ पर्यटक और उद्योगपति आते जाते रहते हैं लेकिन उन्हें कोई सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं । उन्हें त्रिवेन्द्रम तक विमान द्वारा यात्रा करनी पड़ती है और फिर वापिस कोचीन जाना पड़ता है । कोचीन बहुत अधिक उन्नत है लेकिन वहाँ के लोगों ने अभी तक बोइंग नहीं देखा है क्योंकि वह वहाँ उतर नहीं सकता । विधेयक द्वारा दी जा रही सुविधाएँ समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति को दी जानी चाहियें ।

केरल के बीचों बीच एक हवाई अड्डा स्थापित किया जाना चाहिये ताकि जो लोग दक्षिण भारत से कश्मीर जाना चाहें, उन्हें वहाँ जाने की सुविधा उपलब्ध हो सके । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने बम्बई हवाई अड्डे का सुधार करने के लिये योजना बनाई है । उक्त हवाई अड्डे का सुधार करने की बहुत आवश्यकता थी ।

बम्बई हवाई अड्डे के अन्तर्राष्ट्रीय विश्राम स्थल पर शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है ।

वहाँ हाथ पोंछने के लिये तौलिये आदि की भी व्यवस्था नहीं हैं । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

बम्बई हवाई अड्डे के विश्रामस्थल को वातानुकूलित किया जाना चाहिये । वहाँ जमीन पर गलीचा अथवा दरी बिछाई जानी चाहिये ।

Shri Virbhadra Singh (Mandi) : I support the Bill presented by the hon. Minister. It is a matter of pleasure that the Government has made a plan to construct big airports at Bombay, Delhi and other big cities of India. The Government should also look into the development of other airports. I agree that the international airports should be paid more attention but at the same time other airports should not be neglected. They should also be provided the same facilities as are provided at the international airports.

It was decided to establish an airport at Kulu. It is a big tourist's centre. The land of the people have been acquired for this purpose. But nothing has been done in this direction. An airport should be established for the benefit of the tourists there without any further delay.

There is no airport in Simla. Being a hilly area, there may be some difficulties in establishing airport at Simla. But I am not prepared to admit that no air services can be started there.

The Government of India Press at Simla should be expanded. The Government should take steps for starting air services for Simla and for construction of an airport at Kulu.

Dr. Karan Singh : Britishers also conduct searches. But they did so to press us. We conduct searches for the safety of our planes and in the interest of our security. We are not pleased to do so. It is rather inconvenient for the Airlines. We have to be very careful in this matter. I will request the hon. Members to kindly excuse us for this inconvenience.

The land has been acquired by the authority for constructing a small building in Kanpur during the Fourth Five Year Plan.

It is very difficult for us to make search. But we cannot rebuild all the airports. We are trying our best that the people get some place to sit after search.

So far as vegetarian food is concerned, I will certainly look into the matter, and will see that there may not be any complaint in this regard.

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : बोइंग सेवा को त्रिवेन्द्रम तक जारी करने से व्यापारिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं होगा लेकिन यदि विमान कोचीन पर रुककर फिर त्रिवेन्द्रम जायेगा, तब इससे व्यापारिक दृष्टि से लाभ होगा ।

डा० कर्णसिंह : उक्त सुविधाएं केवल अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तक ही केन्द्रित नहीं रहेंगी ।

हमारे देश में 90 से अधिक हवाई अड्डे हैं और उनमें 70 हवाई अड्डों पर हमने सेवाएं

आरम्भ कर दी हैं। हम इस संबंध में प्राथमिकता सूची तैयार कर रहे हैं। इस बारे में पहली प्राथमिकता राज्यों की राजधानियों को दी जा रही है।

दूसरी प्राथमिकता उन स्थानों को दी जा रही है जिन स्थानों पर पयर्टक अधिक संख्या में जाते हैं।

तीसरी प्राथमिकता उन स्थानों को दी जाती है जो वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

हमारे पास सीमित संसाधन हैं, हम अन्य स्थानों की ओर भी ध्यान देंगे।

कोचीन का अपना विशेष स्थान है। यद्यपि यह राज्य की राजधानी नहीं है फिर भी केरल के यातायात का यह एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। इंडियन एयरलाइन्स वहाँ बोइंग सेवा आरंभ करने की बड़ी इच्छुक है क्योंकि इससे काफी लाभ होने की आशा है। लेकिन वहाँ बोइंग विमान सेवा आरंभ करना संभव नहीं है। इसके लिए केवल एक ही विकल्प है कि वहाँ एक नया हवाई अड्डा स्थापित किया जाये। $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की लागत से कालीकट में एक नए हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है। अत: कोचीन में एक नया हवाई अड्डा आरंभ करने से पहले हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी।

डा० हेनरी आस्टिन : ऐसी सूचना मिली है कि केरल सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह एडाकट्टूवायल में हवाई अड्डे की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त कर लेगी। यह स्थान सैनिक तथा असैनिक दोनों ही हवाई अड्डों की स्थापना के लिए बहुत ही उपयोगी है।

डा० कर्णसिंह : यदि केरल सरकार इसकी स्थापना के लिए हमें भूमि दे देती है तो इससे हमें बहुत सहायता मिलेगी।

शौचालयों को साफ रखने के लिए विशेष कर्मचारियों की मंजूरी दी गई है। इस समस्या की हमें पूरी जानकारी है **(अन्तर्बाधाएँ)**

कुल्लू में भूमि अर्जित कर ली गई है लेकिन इसके बारे में कुछ विवाद है। ग्रीष्म ऋतु में मैं वहाँ का दौरा करूंगा और मामले की जांच करके यह निश्चित करूंगा कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार विधेयक

MARINE PRODUCTS EXPORTS DEVELOPMENT AUTHORITY BILL

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री : (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए संघ के नियन्त्रणाधीन एक प्राधिकार की स्थापना का तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

समुद्री उत्पाद उद्योग उन उद्योगों में से है जिसने गत कुछ वर्षों में निर्यात द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय में प्रगति दर को स्थिर बनाये रखा । यह एक सराहनीय कार्य है । आशा है इस वर्ष हम 39 करोड़ रुपये का निर्यात करेंगे । विश्व की श्रिम्प मंडी में हमारा स्थान पहले बहुत नीचा था लेकिन अब हमारा स्थान दूसरा हो गया है ।

विदेशों में बढ़ती हुई माँग के कारण समुद्री उत्पाद को निर्यात प्रधान उद्योग के रूप में बहुत महत्व प्राप्त हुआ है । वर्ष 1969-70 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि हमारे समुद्री उत्पाद उद्योग में 1973-74 तक 61 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायेगी और 1978-79 तक यह वृद्धि बढ़कर 118 करोड़ रुपये हो जायेगी । इसके लिए कुछ ठोस कार्यवाही करनी पड़ेगी । यदि इस उद्योग में इस स्तर तक निर्यात होने लगेगा, तो वर्तमान दर की तुलना में यह उद्योग कहीं अधिक तीव्र गति तथा अच्छे ढंग से कार्य कर पायेगा ।

इस समय समुद्री उत्पाद उद्योग किसी कानून अथवा विनियमन के अंतर्गत नहीं है । इसके परिणामस्वरूप मछली परिष्करण क्षेत्र का अव्यवस्थित और अस्वस्थ विकास हो रहा है जिसके कारण हमारे आर्थिक परिचालन और निर्यातित उत्पादन के ऊँचे दामों की संभावना पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ।

लोक-सभा की प्राक्कलन समिति ने मत्स्य पालन विकास संबंधी अपने 43 वें प्रतिवेदन में व्यापार और विदेशी मंडियों में उद्योग के अव्यवस्थित विकास पर बुरा प्रभाव पड़ने का उल्लेख किया है । समिति यह भी आवश्यक समझती है कि तकनीकी क्षमता, वित्तीय सहायता और स्वास्थ्यकर स्तरों के लिए कुछ निम्नतम स्तर निर्धारित कर निर्यातकर्ताओं के अव्यवस्थित विकास पर काफी रोक लगाने की आवश्यकता है ।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता लगता है कि एक केन्द्रीय एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता है । इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि संघ के नियंत्रण में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नामक एक संविधिक प्राधिकरण की स्थापना की जाये ।

समुद्री उत्पाद संवधर्न परिषद् का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और उत्पादों के

गुण बनाए रखने, सुधार के उपायों का सुझाव देने आदि की जिम्मेवारी उक्त प्राधिकरण पर होगी ।

केन्द्रीय सरकार को समुद्री उत्पादों के आयात निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने और नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है । समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए प्राधिकार को पर्याप्त शक्तियाँ देने का विचार है । निर्यात किए गए सब समुद्री उत्पादों पर 3 प्रतिशत से अनधिक की दर पर यथामूल्य शुल्क लगाने का प्रस्ताव है, परन्तु प्रस्ताव यह है कि आरंभ में केवल एक प्रतिशत शुल्क लगाया जाये । विधेयक में केन्द्रीय सरकार को विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है ।

प्राधिकरण राज्य सरकारों के सान्निध्य से कार्य करेगा तथा जहाँ भी संभव होगा, वह अपनी ओर से किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए एजेंट नियुक्त करेगा तथा कुछ कार्य केन्द्रीय अथवा संबंधित राज्य सरकारों के ऐसे अभिकरणों के माध्यम से करेगा जिन्हें वह इन कार्यों के लिए उचित समझे ।

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) : मैं प्रस्ताव करता हूँ : कि समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए संघ के नियंत्रणाधीन एक प्राधिकार की स्थापना का तथा उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 11 सदस्यों की प्रवर समिति को सौंपा जाये :

1. श्री छुटनलाल
2. श्री हीरालाल डोडा
3. श्री इन्द्रजीत गुप्त
4. श्री नाथू राम मिर्धा
5. श्री ललित नारायण मिश्र
6. श्री अमृत नाहाटा
7. श्री बीरेन्द्र सिंह राव
8. डा० हरिप्रसाद शर्मा
9. श्री रामदेव सिंह
10. श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और
11. श्री राम चन्द्र विकल

और उनको यह अनुदेश भी दिया जाए कि समिति आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन दे दे ।

***श्री माधुर्य्य हालदार** (मथुरापुर) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूँ । इससे अर्जित विदेशी मुद्रा का देश में विभिन्न उद्देश्यों के लिए लाभप्रद ढंग से उपयोग किया जा सकेगा ।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised Hindi version of English Translation of the speech delivered in Bengali.

परन्तु यह विधेयक केवल निर्यात प्रधान है तथा इसमें देश के आंतरिक बाजार की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है । गत कुछ वर्षों में देश में, विशेषतया बंगाल में मछलियों के दाम बहुत बढ़ गये हैं । अतः जब निर्यात को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आंतरिक बाजार की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए ।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुन्दरबन आदि के छोटे-छोटे मछुओं को, बड़े मछुओं द्वारा, जो अपने एजेन्टों के माध्यम से कार्य करते हैं, उनके उचित लाभ से वंचित न किया जाये ।

विधेयक में एक प्रशासनिक निकाय के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें बहुत से अधिकारी होंगे । ऐसी सामान्तशाही निकाय के गठन से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा । हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि धन का लाभप्रद ढंग से उपयोग किया जायेगा । सरकार को आंतरिक तथा निर्यात की आवश्यकताओं के लिए मछली के उत्पादन में वृद्धि कराने का प्रयास करना चाहिए ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ । मत्स्य पालन समुदाय के उत्साह तथा कार्य के कारण ही इस उद्योग का विकास हुआ है । वास्तविक समस्या विकास अथवा नियंत्रण का अभाव नहीं है । किन्तु वास्तविक समस्या तो यह है कि पंचवर्षीय योजनाओं में निहित परियोजनाओं और प्रस्तावों को समुचित रूप में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ।

विकास और विकास संबंधी योजनाओं के बारे में हमारे अपने विचार हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना में धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है और विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त कार्य भी किये जा रहे हैं । पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य 6·4 प्रतिशत रखा गया था जबकि हम पिछले तीन वर्षों में 5·6 प्रतिशत ही प्राप्त कर पाए हैं । चौथी योजना में 5,100 यंत्रीकृत नावों के चालू करने का भी लक्ष्य रखा गया था, जबकि केवल 1,529 नावों का यंत्रीकरण किया जा सका है ।

एक आयातित मत्स्यनौका के साथ एक देशी नौका की शर्त रखी गयी है, जबकि देशी मत्स्यनौकाएँ उत्पादन बढ़ाने में कतई समर्थ नहीं हैं ।

मत्स्य पत्तनों के विकास की भी वैसी ही कहानी है । बंबई पत्तन के विकास कार्य की स्वीकृति 1969 में दी गई थी परन्तु उसका कार्य अभी आरम्भ किया गया है । कोचीन पत्तन के विकास की तो अभी स्वीकृति दी जानी है ।

छोटे पत्तनों का कुछ विकास हुआ है । प्रशीतन सुविधाओं का विकास किये जाने की आवश्यकता है ।

केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान के लिए चौथी योजना में 3·20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी परन्तु उस पर केवल 29 लाख रुपये व्यय किये गये हैं ।

[**श्री आर० डो० भंडारे पीठासीन हुए ।**
SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair.*]

तथापि एक ऐसे क्षेत्र में, जहाँ अधिक पूंजी निवेश के बिना विदेशी मुद्रा समुद्र से ही एकत्र की जा सकती है; हम किसी प्रकार की प्रगति करने में सफल नहीं हुए हैं।

विचारणीय विषय यह है कि जिस समुद्री प्राधिकरण की इस विधेयक द्वारा स्थापना की जा रही है, वह इस समस्या को हल करने में कैसे समर्थ होगा। सरकार ने इस विधेयक के प्रत्येक खण्ड में इस अभिव्यक्ति 'केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत' का उपयोग किया है। इस अभिव्यक्ति का बार-बार उपयोग करना अनावश्यक है। इससे विधेयक असंगत और अहितकर दिखाई देने लगता है।

खण्ड 9 में, कहा गया है कि समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देना प्राधिकरण का कर्त्तव्य होगा। यदि सरकार वास्तव में ही इस उद्योग का विकास करना चाहती है और योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को कार्यान्वित करना चाहती है तो खण्ड 9 के अंतर्गत प्रस्तावित शक्तियों को बढ़ाया जाना चाहिए।

इस प्राधिकरण के गठन के मामले में, वही नौकरशाही दृष्टिकोण अपनाया गया है। भारत में मत्स्यपालन करने वालों का एक समुदाय है जो चिरकाल से यह कार्य कर रहा है। उनमें से कुछ के पास यंत्रीकृत नौकायें भी हैं। खेद का विषय है कि उन लोगों को इस प्राधिकरण में कोई स्थान नहीं दिया गया है।

इस प्राधिकरण में विभिन्न मंत्रालयों को स्थान दिया गया है किन्तु श्रम और पुनर्वास मंत्रालय को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उक्त मंत्रालय को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

केरल मत्स्यपालन आयोग सबसे आगे है। प्राधिकरण के मुख्यालय का चयन करते समय केरल के दावे पर विचार किया जाना चाहिए। इस प्राधिकरण की शीघ्र स्थापना करने के लिए इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I suppot this Bill. No representation has been proposed to be given in the proposed Authority to the labour or their unions. The Government should consider their case.

The price of fish in internal market is rising. Labster fish is selling at the rate of Rs. 14 per Kg while other varieties of fish is selling at the rate of Rs. 8/- per kg. in Delhi. The Government should see that while efforts are made to increase the export of fishes, its price in internal market should not be allowed to rise to an unlimited extent.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए।**
SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*]

We should increase the production of fish in inland waters as also in the high seas. We should consume inland water fish and export marine water fish to earn foreign exchange.

Recently there has been an agreement with Bangla Desh in regard to import of fish. The Minister may enlighten the House about details of that agreement.

Besides fish, there are other sea products like crabs, conch, shells etc. etc. Foreign tourists, are interested in these things. Efforts should be made to increase their production as well.

A representative of Ministry of Labour and Rehabilitation should also be kept on the Authority.

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : हरित क्रान्ति का लाभ तभी हो सकता है जब अन्य क्षेत्रों में उपयुक्त विकास हो। अब आवश्यक है कि हम 'नीली क्रान्ति' का समारम्भ करें।

वाडगर तट एक प्रमुख मत्स्य पालन केन्द्र है। समुद्री जीव-वैज्ञानिकों का कहना है कि उस तट का समुचित ढंग से विकास करके हम दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देशों को प्रोटीन युक्त खाद्य दे सकते हैं।

वर्ष 1953 तक समुद्री खाद्य का कोई निर्यात नहीं होता था। इस समय उससे 39 करोड़ रुपये का निर्यात होता है।

भारत-नार्वे परियोजना के प्रधान नार्वे के पो० ग्रिहडसन ने बताया है कि वह मंगलौर के सुदूर तट से लेकर केरल के दक्षिणी भाग तक एक ऐसी पट्टी का पता लगाने में सफल हुए हैं, जहाँ श्रिम्प बहुतायत में है। उसके विकास से बड़े पैमाने पर आंतरिक खपत तथा निर्यात के लिए मछलियाँ उपलब्ध हो सकेंगी। इससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी।

केरल में 2,800 यंत्रीकृत मत्स्य नौकाएँ हैं। परन्तु ये नौकाएँ यंत्रों में कोई खराबी होने तथा वर्कशाप सुविधा एवं फालतू पुर्जों के न होने के कारण बेकार पड़ी रहती हैं। बड़े पैमाने पर वर्कशाप की व्यवस्था की जानी चाहिए।

केवल धन कमाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में कुछ लोग आ घुसे हैं जिनका इस उद्योग से कोई संबंध नहीं है। उनके द्वारा गरीब मछुओं का शोषण किया जा रहा है। मछुओं को प्राधिकरण में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

लगभग 30 से 40 प्रतिशत मछलियाँ मछुओं द्वारा पकड़ी जाती हैं, जबकि उन्हें उचित मार्ग दर्शन भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी इस उद्योग में घाटा हो रहा है। इस उद्योग में लगे व्यक्तियों ने प्रस्ताव किया है कि उन्हें तेल के लिए सहायता प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव काफी लम्बे समय से मंत्रालय के विचाराधीन रहा परन्तु इस संबंध में कोई राज-सहायता नहीं दी गई है।

किसी भी व्यक्ति को मछली पकड़ने की नाव नहीं दी जानी चाहिए। यंत्रीकृत मत्स्य नावें मछुओं की वास्तविक सहकारी समितियों को ही दी जानी चाहिए। इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। झींगा तथा अन्य सामूहिक खाद्यों को निर्यात करने के लिए लाइसेंस केवल इन्हीं समितियों को दिए जाने चाहियें।

आशा है कि अपनी अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम केन्द्रीय प्राधिकरण के गठन के माध्यम से निर्यात बढ़ाने में ही महत्वपूर्ण योगदान नहीं देंगे अपितु देशवासियों के लिए प्रोटीन

युक्त खाद्यों की व्यवस्था भी करेंगे। कुछ किस्म की मछलियों को निर्यात करने की बजाय देश की आंतरिक खपत के लिए रखना अधिक लाभदायक हो सकता है।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : I welcome this move. Even today sea is full of proteins and medicines. It ought to be explored. In the Andaman and Nicobar Islands and Laccadive islands some fish is available. The Government should prepare a scheme for increasing the fish production there.

There is lot of wealth hidden beneath the surface of the sea. The Central and State Governments should formulate scheme for tapping wealth for supplementing our food production and for making its use for medical and other purposes.

Most of the fisherman in our country do not have mechanically propelled vessels. These people should also be given representation on the Authority. It is very necessary to improve their conditions.

***श्री रामचन्द्रन कडनापल्ला** (कासरगोड) : मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 29 मार्च, 1972/9 चैत्र, 1894 (शक) के 11·00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, the 29th March, 1972/Chaitra 9, 1894 (Saka).

---

* मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised Hindi version of English trauslation of the speech delivered in Malyalam.

New India Printing Press, Khurja